ध्येय IAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

सितम्बर 2018 अंक 04

विषय सूची

सितम्बर 2018
अंक-4

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-17

- धारा 498 क: महिला सुरक्षा का हथियार
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रमः एक अवलोकन
- मानव विकास सूचकांक, 2018: भारत की सुधरती स्थिति
- भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण
- भारत में अनाज भण्डारणः एक अनवरत समस्या
- भारत की गतिशीलता का रूपांतरणः भविष्य की राह
- हिमालयी जलस्रोतों पर नीति आयोग की रिपोर्ट

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 18-22

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 23-29

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30-38

सात महत्वपूर्ण तथ्य 39

सात महत्वपूर्ण विलुप्तप्राय प्रजातियाँ 40-41

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 42

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. धारा 498 कः महिला सुरक्षा का हथियार

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक फैसले को पलटते हुए दहेज उत्पीड़न रोकने के लिए बनी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के तहत सीधे गिरफ्तारी का अधिकार फिर पुलिस के पास देकर अपनी सीमाएँ रेखांकित कर ली है। इस फैसले के तहत अब दहेज की शिकायत की सत्यता जाँचने वाली परिवार कल्याण समितियों का हस्तक्षेप खत्म हो जायेगा और पुलिस ही इसका फैसला करेगी कि शिकायत सही है या गलत। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अगर दोनों पक्षों में समझौता होता है तो कानून के मुताबिक वो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर प्रतिपक्ष कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करता है तो केस की उसी दिन सुनवाई की जा सकती है।

गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि Cr.P.C. की धारा 41 में गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी को लेकर संतुलन कायम किया गया है। मनमानी गिरफ्तारी को रोकने के लिए Cr.P.C. की धारा 41 में साफ प्रावधान है कि पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो पर्याप्त कारण बताएगी और न गिरफ्तार करने का भी कारण बताएगी।

क्या है सर्वोच्च न्यायालय का पुराना फैसला?

उल्लेखनीय है कि एक साल पहले 2017 में न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित ने यह मानते हुए कि दहेज की फर्जी शिकायतें बहुत आ रही हैं और उसके कारण परिवार के बूढ़े और रिश्तेदारों को भी परेशान किया जाता है, इस पर फैसला दिया था कि अब दहेज की शिकायत आने पर एक कल्याण समिति जांच करेगी। जाँच करने वाली समिति जब मामले को सही पाएगी तभी पुलिस गिरफ्तार करेगी। कालांतर में इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाते हुए मानव अधिकार मंच (न्यायाधार) नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि कोर्ट को इस संबंध में दूसरी गाइड लाईन बनाने की जरूरत है। चूंकि कोर्ट के फैसले के बाद दहेज उत्पीड़न का कानून कमजोर हुआ है। याचिका में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया था कि 2012 से 2015 के बीच 32,000 महिलाओं की मौत की वजह दहेज उत्पीड़न था। इस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूण की पीठ ने याचिका पर फैसला सुनाया था।

'498 क' के तहत दर्जा मामलें

साल	मामले
2004	58121
2009	89546
2010	94041
2011	99135
2012	106527
2013	118866
2014	122877
2015	113403

धारा 498-क क्या है?

परिवार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज है। इस सम्बन्ध में धारा 498-क का अपना विशेष महत्व है।

आईपीसी की धारा 498-क में पति या उसके रिश्तेदारों के ऐसे बर्ताव को शामिल किया गया है जो किसी महिला को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुँचाये या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करें, जैसे-

1. जानबूझकर की गई ऐसी हरकते जिससे महिला को गंभीर चोट, जान का खतरा आदि हो।
2. ऐसी प्रताड़ना जिसका मकसद महिला या उससे जुड़े किसी शख्स को किसी जायदाद या कीमती चीज की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना हो।
3. ऐसी किसी मांग को पूरा न कर पाने की हालत में महिला या उससे जुड़े किसी शख्स को प्रताड़ित करना।

गौरतलब है कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है और यह मौत शादी के 7 साल के भीतर हुई हो तो पुलिस आईपीसी की धारा 304-ख के तहत केस दर्ज करती है।

पृष्ठभूमि

दहेज प्रथा वर्तमान भारतीय समाज में एक गंभीर समस्या के तौर पर उभरी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने एक रिपोर्ट में नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो ने बताया कि पिछले साल 2 लाख लोग धारा 498-क के तहत पकड़े गए जो गत साल के मुकाबले 9.4% ज्यादा है।

भारत में 'दहेज' शब्द अरबी भाषा के 'दहेज' शब्द से रूपान्तरित होकर उर्दू और हिन्दी में आया है, जिसका अर्थ होता है 'सौगात'। इस भेट या सौगात की परंपरा प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आर्यो के समय से ही शुरू हो गयी थी। प्राचीन काल में पुत्री को उपहार और मदद देना एक साधारण क्रिया थी। इसकी माँग नहीं की जाती थी। राजपूत राजा भेंट के रूप में कुछ संपत्ति यह सोचकर देते थे कि विवाह के पश्चात उनकी पुत्रियाँ आराम से रह सके, लेकिन बाद के समय में दहेज माँगी जाने लगी। यह संपत्ति दहेज के रूप में हालांकि कुछ वर्गों जैसे- राजपूतों और ब्राह्मणों तक ही सीमित थी, लेकिन संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अन्य वर्गों ने भी दहेज प्रथा का अनुसरण किया।

दहेज में दी जाने वाली सम्पत्तियों में चल (नकदी, साड़ियाँ, आभूषण, चाँदी के बर्तन, कार आदि) और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति शामिल होने लगी। उल्लेखनीय है कि दहेज का स्वरूप, उसकी मात्रा भिन्न जातियों, वर्गों तथा क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न होने लगी। आज के समय में दहेज को वर व उसके माता-पिता एक भेंट न मानकर हक मानने लगे हैं। नतीजतन दहेज हत्या संबंधित मामले अदालतों में बढ़ें हैं।

दहेज उत्पीड़न हत्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बातें

दहेज न मिलने या दहेज संबंधी माँग पूरी न होने की स्थिति में महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। दहेज हत्या या तो एक परेशान की गई पत्नी द्वारा आत्महत्या करके या लालची पति और ससुराल पक्ष द्वारा हत्या करके होती है। एक संतुलित अनुमान के अनुसार भारत में दहेज न देने अथवा पूरा नहीं देने के कारण प्रतिवर्ष हत्याओं की संख्या लगभग 5000 मानी जाती है। भारत सरकार की मई में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में औसतन हर 90 मिनट में एक दहेज से संबंधित हत्या होती है तथा एक दिन में 16 से अधिक व एक वर्ष में लगभग 6,851 से अधिक हत्याएँ हुई हैं। ये आँकड़े आज वास्तव में बुद्धिजीवियों, विधायकों, पुलिस, आदलतों और पूरे समाज के लिए चर्चा का कारण बन गये हैं। दहेज हत्याओं से सम्बन्धित विश्लेषणात्मक बातों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- परिवार की सोच नव वधू की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
- वास्तविक हत्या से पहले युवा वधू को कई प्रकार से सताया/अपमानित किया जाता है जो कि पीड़ित के परिवार के सामाजिक व्यवहार के अव्यवस्थित स्वरूप को दर्शाता है।
- लगभग 70 प्रतिशत पीड़िता 21 से 24 वर्ष आयु-समूह की होती हैं।
- मध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्न वर्ग या उच्च वर्ग की स्त्रियों से अधिक होती है।
- मनोवैज्ञानिक कारक दहेज हत्याओं की अन्य विशेषता है, इसके अंतर्गत शामिल है- हत्यारे का सत्तावादी व्यक्तित्व, उसकी प्रबल प्रकृति और उसके व्यक्तित्व का असमायोजन आदि।
- लड़की के दहेज हत्या से शिक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं होता अर्थात् दहेज हत्या करने वालों के संदर्भ में यह बात मायने नहीं रखती कि वह शिक्षित है या अशिक्षित है।

दहेज प्रथा के कारण

दहेज उत्पीड़न के लिए निश्चित कारणों को बता पाना कठिन है परंतु फिर भी एक अस्थायी सूची के बारे में विचार कर सकते हैं। इन कारणों में शामिल हैं-

1. जाति सोपान की व्यवस्था का होना।
2. पैतृक, पुरूष प्रधान समाज का अस्तित्व होना।
3. ज्येष्ठाधिकार की व्यवस्था समाज में होना व स्त्रियों को निम्नतर समझना।
4. रोजगार और प्रतिष्ठा की गलत धारणाओं का सबल होना।

आगे की राह

ऊपर किए गए विश्लेषण का कुल निचोड़ यह निकलता है कि दहेज एक दूषित बुराई बन चुकी है जिसके परिणामस्वरूप कन्या हत्या, शिशु हत्या, वधू-दहन और अन्य अपमान भरे व्यवहार और क्रूरताएँ पनपकर सामने आई हैं। पहले भी राष्ट्रवादी और समाज सुधारवादी नेताओं ने दहेज प्रथा को लेकर चिंता व्यक्त की थी। महात्मा गाँधी के अनुसार "कोई भी नवयुवक जो विवाह के लिए दहेज की शर्त रखता है वह अपनी शिक्षा, अपने देश को बेइज्जत करता है और स्त्रीत्व को अपमानित करता है।" उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यह भारतीय संस्कृति की पवित्रता पर कलुषित कलंक है।

यह कैसी विडम्बना है कि एक व्यक्ति जो अपनी पुत्री को दहेज देता है, वह अपने पुत्र के लिए उससे अधिक दहेज लेने की बात सोचता है। साथ ही अभिमान की भावना के साथ वह रिश्तेदारों और साथी संगियों में अपनी उच्चता और उच्च प्रस्थिति को प्रकट करते हुए दहेज का प्रदर्शन करता है। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में यदा-कदा ऐसे भी आरोप आए हैं, जिसमें दहेज प्रथा कानून का दुरूपयोग किया गया। इस पर यह माँग भी किया गया कि इस कानून को सहज किया जाए। लेकिन तार्किक रूप से सोचा जाए तो यह सही साबित नहीं होगा। चूँकि जिस समाज में महिलाओं की पहचान शादी से पहले पिता और शादी के बाद पति से हो वहाँ उन्हें सशक्त करने के लिए ऐसे कानून (498-क) की सख्ती होना चाहिए। यह सही है कि इसका दुरूपयोग हुआ है, लेकिन इससे लाभान्वित महिलाओं की संख्या कहीं ज्यादा है। इस सख्ती के अभाव में, निम्न व दबी-कुचली वर्ग, व जाति की महिलाएँ शायद न्याय न प्राप्त कर सके। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को भी अमल में लाया जा सकता है-

- दहेज मृत्यु, उत्पीड़न और अमानीवय व्यवहार की घटनाओं पर तुरंत कार्यवाही, निवारक और अल्पकालीन उपाय आवश्यक है।
- दहेज से पीड़ित महिलाओं या परिवारों को कानूनी और सामाजिक संरक्षण प्रदान करना चाहिए।
- भविष्य में इस समस्या के प्रकोप को खत्म करने के उद्देश्य से दूरदर्शन, रेडियों और समाचार पत्रों में ऐसी घटनाओं पर पूर्ण गम्भीरता के साथ प्रकाश डालना चाहिए।
- राजनीतिक वर्गों व देश के नेतृत्वकर्ता को इस संदर्भ में मसाल उठाने की भूमिका निभानी चाहिए। उदाहरण- बिहार में मुख्यमंत्री व उन जैसे अन्य नेता द्वारा (दहेज प्रथा के विरुद्ध मानव श्रृंखला का निर्माण) किया गया कार्य सराहनीय है।
- दहेज की माँग पर आधारित व्यवस्थित विवाद समाप्त करना चाहिए। इस आलोक में मातृवंशीय समाजों व दक्षिण भारत को आदर्श माना जा सकता है। उदाहरण- मातृवंशीय समाजों में और उन समाजों में जहाँ पर ममेरे, फुफेरे भाई बहनों के विवाह का नियम है वहाँ दहेज की समस्या विकट नहीं हैं। ये दोनों प्रकार के समाज दक्षिण भारत में पाये जाते हैं। नायर, तिय्यार और नालमुड़ी वल्लूर दक्षिण भारत में परंपरागत मातृवंशीय समाज है। उल्लेखनीय है कि केरल में नायर न तो वधू मूल्य देते हैं और न दहेज देते हैं जबकि तिय्यार, नालगुड़ी, वेल्लार समुदाय में लड़की को लड़के वाले भेट स्वरूप एक भू-भाग देते हैं, इसके विपरीत उत्तर भारत में प्रायः कहा जात है "हम क्या कर सकते हैं, हम तो लड़की वाले हैं।"
- अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना होगा।
- सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों और अन्य लोगों को किसी भी रूप में, यहाँ तक कि उपहार और भेंट के रूप में भी न तो दहेज लेने और न देने की छूट होनी चाहिए।
- नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ऐसी घटनाओं से आम जन को अवगत कराना चाहिए।
- विवाह में उपहारवादी नियम की प्रधानता होना। इस संदर्भ में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लाया गया जिसके अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया व इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1984 और फिर दोबारा 1986 में संशोधन किया गया। बावजूद इसके हालत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है। ऐसे में जरूरत समाज के भीतर से ही अवाज की है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रमः एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) की 21वीं अखिल भारतीय समीक्षा बैठक केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। इस बैठक में हुए विचार विमर्श में योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के नोडल सचिवों ने भी हिस्सा लिया। चर्चा में मुख्य रूप से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन से संबधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया ताकि मंत्रालय इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठा सकें।

क्या है एमपीलैड?

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) 23 दिसंबर, 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी, ताकि सांसदों को एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सके जिससे वे स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढाँचा सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये विकासपरक कार्यों की सिफारिश कर सकें। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित करने के बाद दिसंबर 1994 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गए। इन दिशा-निर्देशों में फरवरी 1997, सितंबर 1999, अप्रैल 2002, नवंबर 2005, अगस्त 2012 और मई 2014 में पुनः संशोधन किये गए। इन दिशा-निर्देशों को संशोधित करते समय सांसदों, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित राज्यसभा और लोकसभा की समितियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, सभी हितधारकों के सुझावों और विगत वर्ष के कार्य अनुभवों को ध्यान में रखा गया है।

वर्तमान परिदृश्य

अभी हाल ही में एमपीलैड वेब पोर्टल पर मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा कार्यानुसार ब्यौरा अपलोड किया गया है, जिसमें हरियाणा, छत्तीसगढ़,मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात और ओडिशा का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। प्रतिशत के हिसाब से एमपीलैड निधि का सर्वाधिक इस्तेमाल करने के मामले में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) के तहत इस निधि का बेहतर और समुचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिये 30 अगस्त को 21वीं अखिल भारतीय समीक्षा बैठक हुई।

लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने अप्रैल 2014 से अब तक कुल 467144 कामों की सिफारिश की, जिसमें से 4 लाख 11 हजार 612 कामों को मंजूरी दी गयी और इनमें से 3 लाख 84 हजार 260 काम 31 जुलाई, 2018 तक पूरे किये गए। एमपीलैड कार्यक्रम के शुरू होने के बाद 31 जुलाई 2018 तक इसके लिए कुल 47,922.75 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं जिसमें से 45604.94 करोड रुपये इस्तेमाल किए जा चुके हैं जो कि जारी की गयी राशि का करीब 95 प्रतिशत है। समीक्षा बैठक में सांसद को कार्यकाल के दौरान मिलने वाली सांसद निधि का उपयोग करने में उसके समक्ष आने वाली रुकावटों को दूर करने पर चर्चा हुई। यह योजना अपनी रजत जयंती पूरी कर चुका है।

एमपीलैड के पक्ष में तर्क

एमपीलैड के द्वारा किये कई साकारात्मक कार्यों को देखते हुए इसके पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं-

- एमपीलैड योजना सहकारी संघवाद का परिचायक है।
- इस योजना के माध्यम से स्थानीय निकाय को भी विकासपरक कार्य करने में सहायता मिलती है।
- केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजना को धरातल पर लागू करने में भी इस योजना की महती भूमिका है।
- अनुसूची ग्यारहवीं और अनुसूची बारहवीं में उल्लिखित कार्यों के क्रियान्वयन में एमपीलैड निधि का उपयोग किया जाता है।
- संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों की जाँच-पड़ताल की जाती है और कार्यों को जिलापदाधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। योजना के तहत शुरूआत से ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे- पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बिजली, सामुदायिक केंद्र, रेलवे, सड़क, रास्ते और पुल, सिंचाई, गैर-परंपरागत ऊर्जा, बस-स्टैंड/पड़ाव जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कर स्थानीय निवासियों को लाभ पहुँचाया गया है।

एमपीलैड के विपक्ष में तर्क

एमपीलैड में वर्तमान में कई कमियाँ उजागर हुई हैं जिससे कि कई संस्थाओं और विद्वानों द्वारा इसके बने रहने पर सवाल उठने लगा है। जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है-

- पिछले कई वर्षों से सांसद निधि को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आती रही हैं। 2009 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि सांसद निधि और विधायक निधि में जिस पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है तथा जिस तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसे देखते हुए इन निधियों की व्यवस्था तत्काल बंद कर देनी चाहिये। साथ ही 2008 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी सदन में कहा था कि यह योजना तुरंत बंद कर दी जानी चाहिये।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी 2010-11 की अपनी रिपोर्ट में इसके क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख किया था।
- संसद में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या 33 प्रतिशत से ज्यादा है। वैसे भी यह आम धारणा बन चुकी है कि सांसद निधि भ्रष्टाचार का पोषण करती है।
- कुछ समय पहले एक स्टिंग के जरिये कुछ सांसदों को ठेके के लिये कमीशनबाजी करते रंगे-हाथों पकड़ा जा चुका है।
- जमीनी स्तर पर विकास किये जाने के लिये आवंटित सांसद निधि की रकम आमतौर पर राजनीतिक लाभ के लिये खर्च की जाती है या फिर राजनेताओं के अपने काम में खर्च होती है।
- कैग की रिपोर्ट बताती है कि 11 राज्यों में सांसद निधि से प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री राहत

कोष को सात करोड़ 37 लाख रुपए नियम के विरुद्ध दिये गए।

- 14 राज्यों में सांसदों ने एयरकंडीशनर, फर्नीचर खरीदने के अलावा ट्रस्ट के अस्पतालों एवं स्कूलों को लगभग छह करोड़ रुपए दे दिये। राज्यों में सांसद निधि से सात करोड़ रुपए खर्च कर कुछ गिने-चुने लोगों के नाम पर निर्माण कार्य कराए गए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद निधि पर निगरानी रखने के लिये थर्ड पार्टी द्वारा निगरानी रखने का फैसला किया था लेकिन उसके बाद भी सरकार का आकलन है कि सांसद निधि के इस्तेमाल में पारदर्शिता नहीं है।
- ताजा आँकड़ों के मुताबिक देश के 200 सांसद अपनी विकास निधि का 12 हजार करोड़ रुपए नहीं खर्च कर पाए हैं जिसमें से ज्यादातर राशि जिलाधिकारियों के खाते में पड़ी है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सांसदों को समर्थ बनाना है जिससे वे स्थानीय जरूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन पर बल देते हुए विकासपरक कार्यों की सिफारिश कर सकें। योजना की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख किया गया है:

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक केंद्रीय योजना है जिसके लिए आवश्यक निधि पूर्णतः भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यह निधि सहायता अनुदान के रूप में सीधे जिला पदाधिकारियों को जारी की जाती है।
- योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य शामिल किए जाते हैं जो विकासमूलक हों तथा स्थानीय जरूरतों पर आधारित हों और जनता के उपयोग के लिए हमेशा सुलभ हों। योजना के तहत राष्ट्रीय तौर पर प्राथमिक कार्यों को वरीयता दी जाती है, जैसे पेयजल उपलब्ध कराना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क आदि।
- योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि अव्यपगत होती है यानि अगर कोई देय निधि किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं होती तो आगे के वर्षों में पात्रता के अनुसार आवंटित राशियों में जोड़ दिया जाता है। इस समय, प्रति सांसद/निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक वर्ष में 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।
- योजना के तहत सांसदों की भूमिका संस्तुतिपरक है। वे संबंधित जिला पदाधिकारियों को अपनी पसंद के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, जो संबंधित राज्य सरकार की स्थापित कार्यविधियों का पालन करते हुए इन कार्यों को कार्यान्वित करते हैं।
- जिला पदाधिकारियों को कार्यों की पात्रता की जाँच करने, निधि मंजूर करने और कार्यान्वयन अभिकरणों का चयन, कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण एवं समग्र निष्पादन की देखरेख करने तथा जमीनी स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग करने के अधिकार प्राप्त हैं।
- लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उस राज्य के किसी भी इलाके के लिए कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, जहाँ से वे निर्वाचित होकर आए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य कार्यान्वित करने की सिफारिश कर सकते हैं।
- सरकारी अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कोई सीमा नहीं है। हालांकि, प्रत्येक ट्रस्ट/सोसाइटी को उसके कार्यों के लिए आजीवन दी जाने वाली निधि 50 लाख रु. से अधिक नहीं हो सकती। एक सांसद संस्थाओं या ट्रस्टों द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए एमपीलैड निधि से एक वित्त वर्ष में कुल 1 करोड़ रुपये तक की निधि की ही सिफारिश कर सकता है।
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, हिमपात, हिमस्खलन, बादल फटना, महामारी, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, सूखा, सुनामी, आग, रासायनिक, जैविक और विकिरण संबंधी जोखिमों इत्यादि से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा सकते हैं। राज्य/संघ राज्य के गैर-प्रभावित क्षेत्रों के सांसद भी राज्य के प्रभावित क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये सालाना आधार पर स्वीकृति योग्य कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।

चुनौतियाँ

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) की 21वीं अखिल भारतीय समीक्षा बैठक में यह राय व्यक्त की गई है कि जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा ऑडिट प्रमाण पत्र, निधि के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र, निधि के इस्तेमाल का अंतरिम प्रमाण पत्र, मासिक प्रगति रिपोर्ट, बैंक की ओर से दिया गया विवरण और मासिक ऑनलाइन प्रगति रिपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेजों को मंत्रालय में समय पर जमा नहीं किया जाना है। सांसद निधि का रुपया खर्च करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास है और ऐसे में जिम्मेदारी सिर्फ सांसद पर डाल देना कि पैसा खर्च नहीं हुआ या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, यह उचित नहीं होगा। सांसद निधि के अंतर्गत कार्यों की निगरानी जिला प्रशासन के द्वारा की जाती है साथ ही इसमें पारदर्शिता का भी अभाव होता है जिससे कार्यों का श्रेय संबंधित सांसद को नहीं मिल पाता है। कभी-कभी राजनीतिक कारणों से भी इन परियोजनाओं को रोकने की कोशिश की जाती है, खासकर ऐसे राज्यों में जहाँ केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकारें नहीं होती हैं।

आगे की राह

- इन निधियों को लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन दिए जाने की जरूरत है कि स्थानीय निकायों और पंचायतों की क्या जिम्मेदारियाँ होंगी?, सांसद निधि तथा विधायक निधि की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी? क्योंकि अगर सांसद निधि से हैंडपंप और नाली का निर्माण होगा, जबकि वही काम विधायक भी करा सकता है, तो सांसद निधि का महत्त्व कम हो जाएगा। जैसा कि पहले भी सांसद निधि पर आरोप लगते रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण हो गया है। अकसर सांसदों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन स्थानों पर ही सांसद निधि से अधिक काम किये जाते हैं जहाँ उनके समर्थक ज्यादा होते हैं। अतः कार्यों का समान वितरण होना चाहिये।
- एमपीलैड के आँकड़ों के अनुसार, इसके क्रियान्वयन, सर्टिफिकेशन, मासिक रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है जिसके क्रियान्वयन होने में काफी देरी होती है। ऐसे में उस सांसद का क्या दोष है जिसने उस फंड को जारी करने के लिये अपनी स्वीकृति दी थी। ऐसे में उस जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिये जिसे सर्टिफिकेट मुहैया कराने हैं तथा निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- सांसद निधि के प्रोजेक्ट पर कौन-सी कार्यदायी संस्था काम करेगी इसमें भी मतभेद उजागर होने से कार्य प्रभावित होते देखा गया है। जब तक राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन में बेहतर तालमेल नहीं होगा कठिनाइयाँ आती रहेंगी। किस प्रोजेक्ट पर काम करना है,

इसके लिये पहले से एक सूची तैयार होनी चाहिये। सूची में दी गई परियोजनाओं का चुनाव सांसदों को करना चाहिये और फिर उस प्रोजेक्ट को जिला परियोजना या राज्य परियोजना में शामिल कर केंद्र की अनुमति के साथ क्रियान्वित किया जाए तो उसकी निगरानी बेहतर तरीके से हो सकती है।

- प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की बात कही गई है, जबकि इसके लिये किसी फंड का आवंटन नहीं किया गया गया है जिसके कारण यह योजना विफल हो रही है। ऐसे में इसके लिये फंड का आवंटन किया जाना जरूरी है। सांसद निधि के अंतर्गत जारी हुए धन का उपयोग होने के बाद उसका अगला भाग जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में भी बदलाव की जरूरत है। राज्य की क्रियान्वयन एजेंसी को विकास के प्रति संवेदनशील होना भी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।
- योजना के क्रियान्वयन में व्यावहारिक त्रुटियों को दूर करते हुए यह तय करना होगा कि एमपीलैड के माध्यम से किन-किन मदों में धन खर्च करना है। विधायक निधि किन मदों में खर्च की जाएगी तथा पंचायती राज व स्थानीय निकाय की क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, इसे परिभाषित करने की जरूरत है।
- किसी योजना को बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन तक की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। अगर जिला प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो समय पर किसी भी परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। इसके लिए प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर समन्वय स्थापित होना जरूरी है। राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन की नकारात्मक मानसिकता भी बदलने की जरूरत है।
- सांसद निधि का कम-से-कम आधा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नवयुवकों के कौशल विकास पर खर्च किया जाना चाहिये, जिससे वे स्थानीय स्तर पर ही नौकरी प्राप्त कर सकें या स्वरोजगार स्थापित कर सकें। सरकार की नीतियों में बदलाव की जरूरत है।

समग्रत: सांसद निधि की वर्षों पुरानी व्यवस्था जो पुराने ढर्रे पर ही चलती नजर आ रही है, उन्हें बदलने की जरूरत है। पिछले अनेक वर्षों से सांसद निधि के उपयोग में गंभीर अनियमितताएँ भी पाई गई हैं, जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। आवश्यकता इस बात की भी है कि इस निधि पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जनता की खून पसीने से कमाई गयी राशि है। सरकार द्वारा सांसद निधि के स्वरूप में समानता रखते हुए क्षेत्रों की भौगोलिक विभिन्नता को भी पाटने की जरूरत है, जिससे जनता तक मूलभूत सुविधाओं की पहुँच संभव हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

■

3. मानव विकास सूचकांक, 2018: भारत की सुधरती स्थिति

चर्चा का कारण

हाल ही जारी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत की रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ है। यूनाइटेड नेशंस डिवेलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) की तरफ से जारी की गई एचडीआई रैंकिंग में कुल 189 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। 2017 के लिए भारत की एचडीआई वैल्यू 0.64 रही जो मध्यम एचडीआई कैटिगरी में आती है। रिपोर्ट के मुताबिक, '1990 से 2017 के बीच भारत का एचडीआई वैल्यू 0.427 से बढ़कर 0.640 हो गयी है यानी इसमें करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।' यूएनडीपी ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की दिशा में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का अहम संकेतक बताया है।

क्या है मानव विकास सूचकांक?

मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स (HDI) जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, और आय सूचकांकों का एक संयुक्त सांख्यिकीय सूचकांक है। इस पद्धति को पाकिस्तान के विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक ने तैयार किया था। प्रो. अमर्त्य सेन इसके विकास में उनके मुख्य सहायक थे। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। तब से हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। HDI के अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न देशों में मानव विकास के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों का आकलन करना तथा इस संदर्भ में दिशा-निर्देशन जारी करना है। इसके सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है।

पृष्ठभूमि

प्रारंभ में प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) में वृद्धि को ही किसी भी देश के विकास का मुख्य मापक माना जाता रहा, जिसे कुछ संशोधित रूप में विश्व बैंक (World Bank) ने भी आधार बनाया। परन्तु यह विधि काफी संकीर्ण है क्योंकि अनेक देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय तो बहुत अधिक है किन्तु वहाँ के लोगों का सामाजिक, धार्मिक, तकनीकी व संस्थागत दृष्टिकोण काफी रूढ़िवादी और परंपरागत है। इसके अलावा वहाँ का सामान्य जीवन स्तर भी काफी दयनीय है, जैसे-ओपेक एवं अफ्रीका महाद्वीप के देश। अत: बाद में यह माना जाने लगा कि यदि किसी देश का आर्थिक कल्याण अर्थात् वहाँ के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार हो तभी उसे 'आर्थिक विकास' कहा जाएगा। इस प्रकार, आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) व आर्थिक विकास (Economic Development) की अवधारणा में मूलभूत अंतर है। आर्थिक विकास के सूचकों के निर्धारण के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास हुए जिससे मानव विकास सूचकांक (HDI) का विकास हुआ। इस सूचकांक के तीन महत्वपूर्ण मानक निर्धारित किये गये जो निम्न हैं-

1. **जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth):** इससे सम्बंधित आँकड़े संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाजन (United Nations Population Division-UNPD) द्वारा तैयार किए जाते हैं।
2. **शिक्षा का स्तर (Education Level):** इसमें दो-तिहाई भार वयस्क शिक्षा को एवं एक-तिहाई भार प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक स्कूलों में संयुक्त नामांकन अनुपात को दिया गया है। इसके आँकड़े यूनेस्को (UNESCO) द्वारा तैयार किए जाते हैं।
3. **प्रति व्यक्ति आय (वस्तु व सेवाओं की क्रय-शक्ति के आधार पर-PPP):** इसके आँकड़े विश्व बैंक के द्वारा लिए जाते हैं, जो नवीनतम् 'International Comparison Programme' (ICP) द्वारा 118 देशों के सर्वेक्षण पर आधारित है।

2009 तक मानव विकास सूचकांक की गणना हेतु तीन आयामों-जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात व प्रौढ़ साक्षरता दर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (PPP आधारित) को क्रमशः स्वास्थ्य एवं दीर्घजीविता, शैक्षणिक स्तर व जीवन निर्वाह स्तर के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता था। वर्ष 2010 की मानव विकास रिपोर्ट हेतु यूएनडीपी द्वारा एचडीआई की गणना हेतु नई प्राविधि का प्रयोग किया गया था जिसके अंतर्गत तीन संकेतक शामिल थे:

1. **जीवन प्रत्याशा सूचकांक (LEI):** स्वास्थ्य एवं दीर्घजीविता के मापन हेतु पहले की तरह ही जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को आधार बनाया गया है।
2. **शिक्षा सूचकांक (EI):** यह दो नए आँकड़ों पर आधारित है:
   - स्कूलावधि के औसत वर्ष (MYS: Mean Years of Schooling) 25 वर्षीय वयस्कों द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष।
   - स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष (MYS: Mean Years of Schooling) 5 वर्षीय बालक द्वारा अपने जीवन काल में स्कूल में बिताए गए वर्ष।
3. **आय सूचकांक (II):** जीवन निर्वाह स्तर के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (PPP पर आधारित) को प्रति व्यक्ति आधारित सकल राष्ट्रीय आय (GNI) से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके बाद एचडीआर-2010 में तीन नए अतिरिक्त पैमाने भी जोड़े गए थे:

1. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (The Multidimensional Poverty Index)
2. लिंग असमानता सूचकांक (The Gender Inequality Index)
3. असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (The Inequality Adjusted Human Development Index)

वर्तमान स्थिति

विश्व: एचडीआई रैकिंग में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी टॉप पर हैं जबकि नाइजर, सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिणी सूडान, चाड और बुरुंडी काफी कम HDI वैल्यू के साथ निम्न स्थान पर हैं। भारत का एचडीआई वैल्यू (0.640) दक्षिण एशिया के औसत 0.638 से थोड़ा सा ऊपर है। भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान के एचडीआई वैल्यू क्रमशः 0.608 और 0.562 हैं। बांग्लादेश की रैकिंग जहां 136 है, वहीं पाकिस्तान की रैकिंग 150 है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर HDI इंडेक्स में सुधार हुआ है। जिन 189 देशों के एचडीआई की गणना की गई, उनमें से आज 59 देश 'वेरी हाई ह्यूमन डिवेलपमेंट' की श्रेणी में हैं जबकि 38 देश लो एचडीआई श्रेणी में हैं। सिर्फ 8 साल पहले 2010 में 46 देश ही उच्च एचडीआई ग्रुप में थे जबकि 49 देश निम्न एचडीआई ग्रुप में थे।

भारत: जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) के मामले में भारत की स्थिति बेहतर हुई है। 1990 से 2017 के बीच भारत में जन्म के वक्त जीवन प्रत्याशा में करीब 11 सालों की बढोतरी हुई है। भारत में जीवन प्रत्याशा 68.8 साल है जबकि 2016 में यह 68.6 साल और 1990 में 57.9 साल थी। लैंगिक आधार पर अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें तो भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज्यादा है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा जहां 70.4 वर्ष है, वहीं पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.3 वर्ष है। खास बात यह है कि भारत में जीवन प्रत्याशा दक्षिण एशिया के औसत से कम है। इस मामले में बांग्लादेश की स्थिति हमसे बेहतर है जहां जीवन प्रत्याशा 72.9 वर्ष है। 1990 से अब तक औसत वैश्विक एचडीआई में 22 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई है। इस दौरान कम विकसित देशों में एचडीआई में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यानी लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। हालांकि विकसित और विकासशील देशों के बीच जीवन स्तर में बड़ा फर्क साफ दिख रहा है। नॉर्वे जैसे उच्च एचडीआई वाले देश में जन्मे एक बच्चे की जीवन प्रत्याशा 82 साल है और वह स्कूल में करीब 18 वर्ष बिताएगा। वहीं, दूसरी तरफ नाइजर जैसे रैकिंग में निम्न देश में जन्मे बच्चे की जीवन प्रत्याशा सिर्फ 60 साल है और वह स्कूल में सिर्फ 5 वर्ष बिताएगा।

भारत में स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों के स्कूलों में और ज्यादा वक्त रहने की संभावना बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में बच्चों के स्कूल में रहने की संभावित समयावधि 1990 के मुकाबले 4.7 साल ज्यादा है। इस बार भारत में संभावित इयर्स ऑफ स्कूलिंग 12.3 वर्ष है। पिछली बार भी यह 12.3 वर्ष थी जबकि 1990 में यह 7.6 वर्ष थी।

रिपोर्ट के मुताबिक क्रय क्षमता के आधार पर इस बार भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,353 डॉलर (करीब 4,55,986 रुपये) है, जो पिछली बार (साल 2016 से) 327 डॉलर (करीब 23,470 रुपये) ज्यादा है। 1990 से 2017 के बीच भारत के प्रति व्यक्ति आय (GNI) में 266.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) 1733 डॉलर (करीब 1,24,386 रुपये) थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय 3,677 डॉलर तो पाकिस्तान की 5,311 डॉलर रही।

विभिन्न देशों की रैंकिंग इस प्रकार हैं:

रैंक	देश	एचडीआर
1	नॉर्वे	0.953
2	स्विटजरलैण्ड	0.944
3	आस्ट्रेलिया	0.939
130	भारत	0.640
136	बांग्लादेश	0.608
150	पाकिस्तान	0.562
189	नाइजर	0.354

विभिन्न सूचकांक में भारत का प्रदर्शन इस प्रकार है:

- **एचडीआर रैंकिंग:** 130
- **एचडीआर मूल्य:** 0.640
- **जीवन प्रत्याशा:** 68.8 वर्ष
- **विद्यालय जाने का अनुमानित वर्ष:** 12.3 वर्ष
- **प्रतिव्यक्ति आय:** 6353 डॉलर (2011 पीपीपी)
- **असमानता समायोजित एचडीआई:** 0.468
- **लैंगिक विकास सूचकांक:** 0.841
- **गरीबी (3-10 डॉलर दैनिक से कम पर काम करने वाले लोगों का प्रतिशत):** 42.9 प्रतिशत
- **इंटरनेट प्रयोगकर्ता:** जनसंख्या का 29.5 प्रतिशत
- **प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन:** 1.7 टन

एचडीआई में भारत की निम्न रैंकिंग: एक अवलोकन

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 2017 का विश्व मानव विकास सूचकांक जारी किया है। इसे हम दो तरह से देख सकते हैं। पहले पक्ष के अनुसार सन् 1990 के मुकाबले सन् 2017 में देश में जीवन प्रत्याशा (57.9 वर्ष से 68.8 वर्ष), स्कूल में शिक्षा अवधि (7.6 वर्ष से 12.3 वर्ष) और प्रति व्यक्ति आय (अढ़ाई गुना से अधिक बढ़ौतरी) में जबरदस्त वृद्धि हुई अर्थात 1990 में पैदा होने वाला व्यक्ति जहां औसतन 57.9 वर्ष जीने की आशा रख सकता था, वहीं आज पैदा होने वाला बच्चा 68.8 साल जी सकता है।

इस साल के शुरूआत में आई विश्व सम्पन्नता रिपोर्ट के अनुसार भी भारत दुनिया में छठे नंबर पर है और अरबपतियों की संख्या के स्तर पर भारत अमरीका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। हम इस बात से भी खुश हो सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में भारतीयों के विदेश जाने पर खर्च 253 गुना बढ़ा है। सकारात्मक विचारों के लोग यह भी कह सकते हैं कि भारत सकल घरेलू उत्पाद,

(जी.डी.पी.) के आकार के हिसाब से (लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर या 156 लाख करोड़ रुपए) दुनिया में छठे नंबर पर है।

दूसरे पक्ष के अनुसार आज से 27 साल पहले भारत 135वें पायदान पर था और लगभग अगले तीन दशकों तक 135 से 131 के बीच में ही बना रहा यानी इन 27 वर्षों में अन्य देश विकास की दौड़ में हमसे आगे भागते रहे।

ऑक्सफेम तथा अन्य विश्व संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2000 में ऊपर के एक प्रतिशत लोगों के पास देश की 37 प्रतिशत दौलत होती थी जो 2005 में बढ़ कर 42 प्रतिशत, 2010 में 48 प्रतिशत, 2012 में 52 प्रतिशत और आज इन्हीं एक प्रतिशत के पास 65 प्रतिशत से बढ़कर पिछले साल यह 73 प्रतिशत हो गई। सन् 2022 में देश में खरबपतियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। एक सामान्य कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी.ई .ओ.) एक साल में उतनी तनख्वाह पाता है जिसे कमाने में एक कामगार मजदूर को 950 साल लगेंगे अर्थात आय असमानता तथा गरीबी व अमीरी की खाई लगातार बढ़ती ही जा रही है।

इस रिपोर्ट को जारी करते हुए यूएनडीपी के निदेशक ने कारण भी बताया और एक तरह से आगाह भी किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार अधिकतर मामलों में प्रजातांत्रिक देशों में भी आर्थिक विकास यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से वास्तविक मानव विकास का रिश्ता नहीं है जैसे कि भारत में। आर्थिक, शैक्षणिक व अवसर-संबंधी असमानता की वजह से हमारा मानव विकास ऊपर नहीं उठ रहा है। उदाहरण के तौर पर इसी साल असमानता-समायोजित विकास सूचकांक पर भारत 26.9 प्रतिशत नीचे गिर गया, जबकि वैश्विक स्तर पर यह गिरावट मात्र 20 प्रतिशत अर्थात भारत और नीचे के पायदान पर पहुंच जाएगा। आज अगर भारत मात्र एक पायदान ऊपर (एचडीआई में) बढ़ा भी है तो वह अमीर के बच्चे की बेहतर शिक्षा, अमीर की आय में इजाफा और स्वास्थ्य के सभी बेहतर साधनों पर संभ्रांत वर्ग का अधिकार होने से बढ़ा है।

ट्रांसपैरेंसी इंटरनैशनल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में एक पायदान और नीचे खिसक गया यानी नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण न हो पाने से तमाम जनोपदेय योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचने की जगह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं और फर्जी आंकड़े तसल्ली के लिए संसद से लेकर सड़क तक हमारी जन-विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं।

चुनौतियाँ

मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत में नीति और विधायी स्तर पर प्रगति होने के बावजूद महिलाएं पुरुषों की तुलना में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कम सशक्त हैं। उदाहरण के रूप में, महिलाओं के हिस्से केवल 11.6 प्रतिशत संसदीय सीटें हैं। 64 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में केवल 39 प्रतिशत वयस्क महिलाएं कम से कम माध्यमिक स्तर तक ही पहुंची हैं। श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कम है। 78.8 पुरुषों की तुलना में केवल 27.2 प्रतिशत महिलाएं हैं।

बेरोजगारी: शिक्षा के अभाव में या सरकार के गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है जो आय असमानता को जन्म देती है।

जवाबदेहिता का अभाव: एक जिम्मेदार व्यक्ति देश के लिये सक्षम मानव संसाधन है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिये अत्यंत ही आवश्यक है लेकिन भारत में पारदर्शिता तथा जवाबदेही का अभाव है।

स्वास्थ्य चिंताएँ: प्राय: यह देखा गया है कि जहाँ शिक्षा का स्तर कम होता है वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहता। बीमारियों के बढ़ने से स्वास्थ्य क्षेत्र पर दबाव तो बढ़ता ही है साथ में अर्थव्यवस्था भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

अनुपयुक्त बुनियादी ढाँचा: भारत में अधिकांश विद्यालय अभी भी शिक्षा के अधिकार के बुनियादी ढाँचे के अनुरूप नहीं हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2018 में कहा गया है कि स्कूलों में इस्तेमाल करने योग्य शौचालयों के अभाव, लड़कियों के स्कूल छोड़ने का प्रमुख कारण है। दरअसल, स्कूलों में बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण किया गया है, लेकिन खराब निर्माण एवं अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के अभाव में इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

सामाजिक भेदभाव: भारतीय समाज में कई प्रकार के भेदभाव व्याप्त हैं, इसलिये महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्गों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है या वे वर्ग समाज के मुख्यधारा से नहीं जुड़ पर रहे हैं जो एचडीआई में भारत की निम्न रैंकिंग के लिए उत्तरदायी है।

भ्रष्टाचार: भारतीय में व्याप्त भ्रष्टाचार भी प्रशासन की गुणवत्ता को कम कर रहा है।

सीखने की प्रक्रिया का अभाव: हमारी शिक्षा व्यवस्था सीखने की कला विकसित करने के बजाय रटने-रटाने और बेहतर ग्रेड्स प्राप्त करने पर ज्यादा बल देती है। यही कारण है कि डिग्री तो मिल जाती हैं लेकिन अधिकांश युवा रोजगार प्राप्त करने के लायक नहीं होते।

आगे की राह

- भारत को अगर अपने एचडीआई में व्यापक सुधार करना है तो इसके लिए उसे बढ़ती आय असमानता की खाई को समाप्त करना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुँचाना होगा साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना होगा।
- शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता है जैसे- प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि के साथ-साथ रोजगार परक शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बुनियादी आवश्यकताओं जैसे- दक्ष अध्यापक, स्कूलों और कॉलेजों का विस्तार, विभिन्न विकसित देशों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में समझौतों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की जरूरत है साथ ही साथ व्यापक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किये जाने की आवश्यकता है।
- शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किये जाने की आवश्यकता है जैसे- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों को जिला मुख्यालय में स्थित अस्पतालों के साथ लिंक किये जाने की जरूरत है। इसके अलावा डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति की पहुँच आम जनता तक पहुँचाने की जरूरत है।
- सबसे अहम कार्य महिला और पुरूषों के बीच व्याप्त लैंगिक असमानता को जल्द से जल्द समाप्त करने की है। इसके लिए सरकार को विभिन्न नीतियों तथा महिलाओं से संबंधित विकासात्मक कार्यों को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा राजीनतिक रूप से सशक्त किये जाने की आवश्यकता भी है।
- प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण एवं डिजिटल पेमेंट जैसी व्यवस्था को अपनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जरूरत है ताकि भारत में बढ़ती गरीब-अमीर की खाई को पाटा जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

4. भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण

चर्चा का कारण

हाल ही में "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" अपने स्थापना तथा कार्यान्वयन का एक दशक पूरा किया है। उल्लेखनीय है की भारत में कई ऐसे संस्थान हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं पर ये ऐसे संस्थान हैं जो हमारी आधारभूत व्यवस्था को बनाए रखती हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) जिसे पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता था, देश में भूमि अभिलेखों की गुणवत्ता में सुधार करने, उन्हें अधिक सुलभ बनाने और सरकार द्वारा गारंटीकृत अधिकार की ओर बढ़ने की मांग है। ज्ञात है की सबसे महंगी संपत्ति होने के कारण, भूमि अक्सर सभी झगड़े, संपत्ति अपराध और धोखाधड़ी के केंद्र में रही है। बेंगलुरु स्थित दक्ष, भूमि और संपत्ति मामलों के एक अध्ययन के मुताबिक देश में सभी लंबित सिविल मुकदमों के दो-तिहाई हिस्से भूमि से ही संबंधित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डीआईएलआरएमपी की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

डीआईएलआरएमपी क्या है?

"डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" एक व्यापक शब्द है। इसमें भूमि के पंजीकरण, अधिकारों के रिकॉर्ड्स, किरायेदारी और फसल निरीक्षण रजिस्टर, उत्परिवर्तन रजिस्टर, विवादित मामलों के रजिस्टर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, मिट्टी के बारे में भूगर्भीय जानकारी, भूमि का प्रकार, सिंचाई और फसलों से संबंधित आर्थिक जानकारी भी शामिल होता है। इसका मुख्य कार्य भूमि अभिलेखों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण, भूमि/संपत्ति विवादों को कम करने, भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और देश में अचल संपत्तियों के लिये अंततः गारंटीकृत निर्णायक अधिकार की ओर बढ़ने की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक भूमि स्वामित्व का फेर-बदल, मानचित्रों का डिजिटलीकरण तथा पाठ्यचर्या और स्थानिक डेटा के एकीकरण, सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण और मूल भूमि के रिकॉर्ड सहित सभी भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है।

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने 1988 में देश में अपर्याप्त भूमि अभिलेख प्रणाली के प्रकाश में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए भूमि अधिलेखों (सीओएलआर) को कम्प्यूटरीकरण योजना में प्रायोजित किया था। इसे दो दशक बाद, वर्ष 2008 में राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत राज्यों को 2017 तक देश के सभी 620 जिलों को कवर करने का निर्देश दिया गया था। बजट 2016 में, सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण फिर से शुरू किया गया। नई पहल के तहत, 1 अप्रैल 2016 से लागू राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत सरकार ने बैंक खातों की तर्ज पर 'भूमि खाते' स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए।

वर्तमान स्थिति

भूमि स्वामित्वाधिकार एक दस्तावेज है जो भूमि पर स्वामित्त्व को निर्धारित करने में मदद करता है और यह संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के पूर्ण कंप्यूटरीकरण तथा सभी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से हासिल की जा सकती है। "डीआईएलआरएमपी" को सभी राज्यों द्वारा अंतर-प्रगति के साथ लागू किया जा रहा है। आँकड़ों के मुताबिक दो राज्य (कर्नाटक और ओडिशा) और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों का 100% कम्प्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है वहीं चार राज्य अभी तक इस प्रक्रिया को शुरू ही नहीं कर पाए हैं, जबकि शेष अन्य राज्यों ने रिकॉर्ड 80-90% तक भूमि अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया है। उन्नीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अधिकारों के डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड (RORs) जारी करना शुरू कर दिया है, इन रिकॉर्ड से ज्ञात होता है कि जमीन का अधिकार भूमि मालिक द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है। इन राज्यों ने आरओआरएस को कैडस्ट्रल मैप्स (क्षेत्र का रिकॉर्ड, स्वामित्त्व और जमीन के मूल्य) से जोड़ना शुरू कर दिया है। इनमें से तीन राज्यों (गोवा, ओडिशा और त्रिपुरा) ने लगभग इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। हालाँकि, योजना के कुछ अन्य घटकों पर प्रगति धीमी रही है जिसमें स्वामित्त्व के हस्तांतरण का रिकॉर्ड केवल 50% गाँवों में ही कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अलावा, केवल 21% गाँवों ने (ROR) मानचित्रों के वास्तविक समय को अद्यतन करना शुरू किया है। इससे पता चलता है कि रिकॉर्ड डिजिटलीकृत तो किये गये हैं किंतु उन्हें अद्यतन नहीं किया गया है। मानचित्र भूमि अभिलेखों के एक महत्त्वपूर्ण घटक होते हैं क्योंकि वे संपत्ति और स्वामित्त्व की सटीक सीमाओं का विवरण प्रदान करते हैं। हालाँकि, केवल 48% कैडस्ट्रल मानचित्रों को डिजिटलीकृत किया गया है। गाँवों के 45% सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण के काम में स्थानिक डेटा का प्रयोग किया जाता है जो स्थानीय रिकॉर्ड अपडेट करने में मदद करता है। हालाँकि कुल गाँवों में से केवल 9% में ही यह कार्य किया गया है।

डीआईएलआरएमपी के मुख्य कार्य

- आंकड़ों की प्रविष्टि/पुनः-प्रविष्टि/नामांतरण अभिलखों तथा भूमि से संबंधित अन्य आंकड़ों सहित सभी लिखित अभिलखों के आंकड़ों का रूपांतरण करना।
- भू-कर नक्शों का डिजिटलाइजेशन करना।
- लिखित तथा स्थानिक आंकड़ों का समेकन करना।
- तहसील, अनुमंडल/जिला एवं राज्य स्तरीय आंकड़ों तथा राजस्व कार्यालयों के बीच समन्वय बनाना।
- सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अभिलखों को अद्यतन करना।
- स्टेशन (टी.एस.) तथा विविध ग्लोबल पाजिशिंग सिस्टनम (डीजीपीएस) का प्रयोग करके पूर्णतः जमीनी स्तर का पता लगाना।
- हाई रिजोल्यूाशन सैटेलाइट इमेजरी (एच आर एस आई) तथा टीएस और डीजीपीएस के द्वारा वास्तविक आँकड़े प्राप्त करना।
- उप पंजीयक के कार्यालयों (एसआरओ) का कम्प्यूटरीकरण करना।
- कीमत के ब्यौरों को प्राप्त करने के लिए सूचना एकत्रित करना।
- पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग तथा अनुरक्षण करना।
- राजस्व कार्यालयों के साथ उप पंजीयक के कार्यालयों का संपर्क स्थापित करना।
- तहसील/तालुक/ब्लॉक स्तर पर आधुनिक अभिलेख कक्ष/भूमि अभिलेख प्रबंधन केंद्र की स्थापना करना।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का विकास करना।

डीआईएलआरएमपी से लाभ

- नागरिकों को वास्तविक समय में भूमि स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध होंगे।
- चूंकि अभिलेखों को समुचित सुरक्षा आई.डी. के साथ वेबसाइट पर डाला जाएगा, अतः संपत्ति स्वामी, सूचना की गोपनीयता के संबंध

में बिना कोई समझौता किए अपने अभिलेखों को नि:शुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

- अभिलेखों की नि:शुल्क प्राप्ति से नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के बीच संपर्क कम होगा, परिणामस्वरूप घूसखोरी और परेशानी में कमी आएगी।
- सेवा सुपुर्दगी की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति, सुविधाजनक साबित होते हुए नागरिकों के सरकारी तंत्र के साथ संपर्क को कम करेगी।
- स्टॉम्प पेपरों के समाप्त होने तथा स्टॉम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की अदायगी बैंकों आदि के जरिए किए जाने से पंजीकरण तंत्र के साथ संपर्क में भी कमी आएगी।
- आई.टी. इंटर-लिंकेजिज के उपयोग द्वारा अधिकारों के अभिलेखों (आर.ओ.आर.) को प्राप्त करने में लगने वाले समय में भी काफी कमी आएगी।
- सिंगल-विंडो सर्विस अथवा वेब-आधारित ''कभी भी-कहीं भी'' प्राप्ति से नागरिकों को अभिलेखों आदि को प्राप्त करने में लगने वाले समय और श्रम की बचत होगी।
- स्वत: और स्वचालित नामांतरणों से संपत्ति के लेन-देन में की जाने वाली धोखाधड़ी की संभावना में पर्याप्त रूप से कमी आएगी।
- निश्चय स्वामित्वाधिकार से भी मुकदमेबाजी में पर्याप्त रूप से कमी आएगी।
- इन अभिलेखों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जा सकेगी।
- इस पद्धति से ऋण-सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ई-लिंकेजिज उपलब्ध होगा।
- नागरिकों के लिए वेबसाइट पर बाजार मूल्य संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी।
- नागरिकों को भूमि आंकड़ों पर आधारित प्रमाण-पत्र (उदाहरणत: अधिवास, जाति, आय आदि) कम्प्यूटरों के जरिए उपलब्ध होंगे।
- सरकारी कार्यक्रमों के लिए पात्रता संबंधी आंकड़ों पर आधारित सूचना उपलब्ध होगी।
- संगत सूचना के साथ भूमि पासबुक जारी करना सुविधाजनक होगा।

चुनौतियाँ

इस योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण तो किया गया है लेकिन भूमि स्वामित्त्व संबंधित समस्यायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ज्ञातव्य है कि भारत में भूमि अभिलेख अस्पष्ट हैं और वे स्वामित्त्व की गारंटी नहीं देते हैं। इस तरह के अस्पष्ट भूमि विवाद विभिन्न कारणों से हैं जो निम्नलिखित हैं-

- सबसे पहले भारत में पंजीकृत लेन-देन कार्यों की एक प्रणाली है, न कि भूमि स्वामित्त्वाधिकार।
- संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम, 1882 के अनुसार एक अचल संपत्ति (या भूमि) के अधिकार को केवल एक पंजीकृत दस्तावेज द्वारा स्थानांतरित या बेचने का कार्य किया जा सकता है।
- ये दस्तावेज पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत हैं। इसलिये हस्तांतरण तो पंजीकृत हो जाता है लेकिन भूमि स्वमित्त्वाधिकार नहीं हो पाता है। इसका तात्पर्य यह है कि संपत्ति का हस्तांतरण हमेशा स्वामित्त्व की गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि इससे पूर्व हस्तांतरण को चुनौती दी जा सकती है।
- भूमि पर स्वामित्त्व विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए कई दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिससे उन तक पहुँचना बोझिल हो जाता है। उदाहरण के लिये - पंजीकरण विभाग में बिक्री कार्य, नक्शा सर्वेक्षण विभाग तथा संपत्ति कर रसीद राजस्व विभाग द्वारा संग्रहीत किये जाते हैं।
- इसके अलावा, ये विभाग सिलो में काम करते हैं और डेटा को समय-समय पर अपडेट नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। इस तरह संपत्ति के एक टुकड़े पर स्वामित्त्व का दावा प्राप्त करने के लिये किसी को कई वर्षों तक दस्तावेजों का संग्रह करना पड़ता है, इससे अन्य कार्यों में बहुत देरी होती है।
- संपत्ति पंजीकरण की लागत अधिक है और इसलिये लोग लेन-देन पंजीकरण की प्रक्रिया से बचते हैं। उल्लेखनीय है कि बिक्री के लिये खरीदार को पंजीकरण शुल्क के साथ एक स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है। भारत के राज्यों में स्टांप ड्यूटी की दरों में भिन्नता है जो गरीबों के लिए परेशानी का सबब बनता है।
- जब संपत्ति एक वर्ष से भी कम समय के लिये ली गई हो और संपत्ति का बँटवारा किया गया हो तो ऐसे में पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण जैसे- लेन-देन के लिये संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है।
- कई बार संपत्ति के बँटबारे को दर्ज नहीं किया जाता है अत: ये संपत्ति के स्वामित्त्व को उचित ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं साथ ही यह अक्सर स्वामित्त्व से संबंधित मुकदमेबाजी में फँस जाता है।
- भू-स्वामित्त्व अधिकार कई मोर्चों पर विकास में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिये ग्रामीण इलाकों में छोटे और सीमांत किसान, जो औपचारिक भूमि अधिकार नहीं रख सकते हैं, वे संस्थागत क्रेडिट तक पहुँचने में असमर्थ रहते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में विवादित भू-स्वामित्त्व अधिकार, अचल संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता की कमी का कारण बनता है। इस आधार पर जमीन पर बनाए गए किसी भी आधारभूत ढाँचे को भविष्य में संभावित रूप से चुनौती दी जा सकती है, इस व्यवस्था ने निवेश को जोखिम भरा बना दिया।
- इसके अलावा, स्मार्ट शहरों और अमृत (AMRUT) मिशन के अंतर्गत, शहर, संपत्ति करों और भूमि आधारित वित्त पोषण के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अत: इसके लिये स्पष्ट भू-स्वामित्त्व अधिकार की व्यवस्था प्रदान करने की जरुरत है।

आगे की राह

- डीआईएलआरएमपी का लक्ष्य निर्णायक भू-स्वामित्व अधिकार की ओर बढ़ना है, लेकिन यह उपर्युक्त मुद्दों को केवल आंशिक रूप से संबोधित करता है, इसलिए अस्पष्ट भू-स्वामित्त्व अधिकार के मुद्दों को हल करने के लिये सरकार को निर्णायक स्वामित्त्वाधिकार की ओर कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- इस प्रणाली के तहत सरकार स्वामित्त्व विवादों के मामले में गारंटीकृत भू-स्वामित्त्व अधिकार और मुआवजा प्रदान कर सकती है।
- हालाँकि, भारत में ऐसी प्रणाली को अपनाने के लिये कई उपायों की आवश्यकता होगी। इसके लिये पंजीकृत संपत्ति अधिकार की एक प्रणाली को स्वामित्व के प्राथमिक सबूत के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही मौजूदा सभी भूमि अभिलेखों को यह सुनिश्चित करने हेतु अद्यतन किया जाना चाहिये कि वे किसी भी प्रकार के भार से मुक्त हैं।
- इसके अलावा, भूमि अभिलेखों की जानकारी जो वर्तमान में कई विभागों से जुटानी होती है, को समेकित करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारत में भूमि सुधार।

■

5. भारत में अनाज भण्डारणः एक अनवरत समस्या

चर्चा का कारण

मानसून के मौसम में सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज में फँफूदी और कई तरह के कीड़े लग जाते हैं क्योंकि इन 'खाद्य अनाजों' (खाद्यान्न) का भण्डारण उचित नहीं होता है। त्रिपाल व पन्नी आदि को अनाज के ऊपर डालकर खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे यह अनाज विषाक्त हो जाता है। इस विषाक्त अनाज को सरकार 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के माध्यम से जनता को देती है, जिससे लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। एक आँकड़ें के अनुसार सरकार द्वारा खरीदे गए कुल अनाज का प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत हिस्सा खराब हो जाता है, इसके लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं, यथा- भण्डारण, परिवहन आदि। इन सब में अनाज बर्बादी का प्रमुख कारण उचित भण्डारण का न होना है। एक वर्ष में लगभग 18 लाख टन अनाज की बर्बादी उचित भण्डारण के न होने से होती है।

2014 में एक आरटीआई के जवाब में 'भारतीय खाद्य निगम' (एफसीआई) ने बताया कि 2005 से लेकर 2013 के बीच के 8 वर्षों में भारत में सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज में 1.95 लाख मीट्रिक टन अनाज बर्बाद हो गया, जिसमें सबसे अधिक चावल और गेहूँ की बर्बादी हुयी। इसके अलावा 'उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय' की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60000 टन अनाज की क्षमता के गोदाम 2013 से 2018 के बीच क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ इसी प्रकार का आँकड़ा 'एफएओ' (खाद्य एवं कृषि संगठन) भी देता है। एफएओ के मुताबिक भारत का सालाना 14 बिलियन डॉलर का खाद्य उत्पादन क्षतिग्रस्त हो जाता है।

भारत में खाद्य अनाज का भण्डारण और प्रबंधन

- **भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई):** खाद्य अनाजों के खरीद, भण्डारण और परिचालन आदि हेतु एफसीआई भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। एफसीआई, खाद्य अनाज की पहले खरीददारी करती है और फिर 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (पीडीएस), 'खुली बाजार बिक्री योजना' (ओएमएसएस) एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनाज का जनता में वितरण करती है। भारत में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को उचित कीमतों पर उचित समय पर उपलब्ध करवाने तथा जनता के पोषण के उचित स्तर को बनाए रखने के लिए 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' का एक मुख्य उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है। खाद्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को दबाने एवं अन्य योजनाओं हेतु खुले बाजार में अनाज की बिक्री 'खुली बाजार बिक्री योजना' के तहत की जाती है।
- एफसीआई की स्थापना 1965 में 'खाद्य निगम अधिनियम, 1964' के तहत की गयी थी। इस निगम का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य नीति के लक्ष्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना है-
  - कृषि उत्पादन को बाजार में उचित मूल्य दिलवाने हेतु कार्यक्रम बनाना ताकि गरीब किसानों के हितों की सुरक्षा हो सके।
  - पीडीएस के द्वारा पूरे देश में खाद्यान्नों का उचित कीमत पर वितरण करना।
  - 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा' सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना।
  - उपभोक्ताओं को विश्वसीनय मूल्य पर अनाज प्रदान करने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना (खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाकर)।
- एफसीआई का वर्तमान में मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अपना पहला जिला कार्यालय तमिलनाडु के तंजावुर (तमिलनाडु का चावल का कटोरा) में खोला था।
- अनाज की बढ़ती खरीद के कारण एफसीआई, केंद्रीय भण्डार निगम (CWC), राज्य भण्डार निगमों (SWCs) और निजी पार्टियों के सहयोग से अनाज के 'भंडारण प्रबंधन' को निम्नलिखित प्रकार से कर रही है-
  - **कवर्ड भंडारण (Covered Storage):** भारत में अनाज भण्डारण सबसे अधिक इसी विधि से किया जाता है। इसमें अनाज को जूट बैग (जुट की बोरी) में भरकर गोदामों में रखा जाता है।
  - **कवर और प्लिंथ विधि (Covered and Plinth Method):** इस विधि में जूट के पैकटों में भरे अनाज को खुले में पर्याप्त सावधानियों (यथा- नमी एवं चूहों से बचाना, पॉलीथीन की त्रिपाल से ढँकना आदि) के अंतर्गत खुले में भंडारित किया जाता है।
  - **सिलो (Silo):** सिलो, स्टील से बने बड़े-बड़े एयरप्रूफ कंटेनर होते हैं। इन कंटेनरों में अनाज को भंडारित किया जाता है और इससे रेलवे या अन्य यांत्रिक संचालनों से अनाज को देश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। भारत में अभी चार सिलो केंद्र मौजूद हैं। यथा- कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हापुर-गाजियाबाद।
  - **सिलो बैग तकनीक (Silo Bag Technique):** खरीद साइटों पर अनाज के थोक भण्डारण के लिए सिलो बैग का उपयोग किया जाता है। ये बैग एचडीपीई से बने होते हैं, जो अनाज की बारिश, यूवी किरणों, वायुमण्डलीय आर्द्रता और धूल आदि से रक्षा करते हैं।

खाद्यान्न भण्डारण से सम्बन्धित मुद्दे एवं चुनौतियाँ

1. **खेत के स्तर पर भण्डारण सुविधाएँ:** कृषि उपजों का खेत के स्तर पर ही उचित भण्डारण नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ भण्डारण सुविधाएँ अक्सर खराब होती हैं, जिसके कारण खाद्यान्न में फफूँदी एवं कीटों आदि का आक्रमण हो जाता है। इसके अलावा इन खस्ताहाल भण्डार गृहों में ज्यादा दिनों तक अनाज को रखना सम्भव भी नहीं होता है क्योंकि अनाज सड़ने लगता है। अतः किसान मजबूर होकर सस्ते दामों पर ही अपने कृषि उपज को बेंच देते हैं।
2. **गोदामों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन:** पिछले वर्षों में एफसीआई की स्टोरेज क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद, सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) ने अपनी 2013 की रिपोर्ट में कहा कि भारत में भण्डारण क्षमता की उपलब्धता और उपभोग करने वाले राज्यों में भण्डारण स्थान में भारी कमी के साथ-साथ गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन है, क्योंकि एफसीआई के पास उपलब्ध कुल भण्डारण स्थान का 64 प्रतिशत स्थान पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े खरीद वाले राज्यों में ही सिमटा है।

3. **खुले में अनाज का भण्डारणः** भण्डारण क्षमता के अभाव में खरीद सीजन के दौरान अनाज को खुली जगह में ही रख दिया जाता है, जिससे इसमें चूहों, नमी, फफूँदी और कीटों आदि के आक्रमण का खतरा बना रहता है।
4. **भण्डारण सुविधाओं के खराब बुनियादी ढाँचेः** 2013 की सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में राज्य भण्डार निगमों (SWCs) द्वारा बनाए गए अनाज भण्डार गृह वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से अनपयुक्त थे, जिसकी वजह से इन पूलों में अनाज की भारी बर्बादी हुई। यदि गोदाम तकनीकी रूप से दक्ष नहीं होंगे तो वे कृषि उपज के नुकसान और अपव्यय को जन्म देंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक भण्डारण प्रथाओं में कमी के चलते अनाज की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।
5. **स्वास्थ्य का मुद्दाः** WHO के अनुसार यदि अनाज को वैज्ञानिक विधि से भण्डारित नहीं किया जायेगा तो इसमें फफूँदी एवं अन्य कीटों का आक्रमण होता है, जो अनाज को 'Low Dose Micotoxins' (विषाक्तता से युक्त) युक्त अनाज में बदल देता है, जिससे लोगों में गम्भीर बीमारियाँ जन्म लेती हैं और यहाँ तक कि ये महामारी का भी रूप धारण कर लेती हैं। 19वीं-20वीं शताब्दी में अमेरिका में इसी कारण से महामारियों ने जन्म लिया था।
6. **प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गत सिद्धांत (First-In-First-Out Principle):** FCI द्वारा इस सिद्धांत का पालन भी सही तरीके से नहीं किया गया है, क्योंकि CAG रिपोर्ट (2013) कहती है कि 2008-09 से 2010-11 के बीच खरीदे गए कुल अनाज में से 126 लाख मीट्रिक टन अनाज 2012 में भी गोदामों में पड़ा हुआ था। इससे ज्ञात होता है कि सरकार खरीदे गए कुल अनाज को 2 वर्ष तक में भी पूरी तरह से निर्गत नहीं कर पाती है। इसका प्रमुख कारण एफसीआई के पास उचित डाटा का न होना है। इसके अलावा एफसीआई के द्वारा सड़े हुए अनाज को या सड़ने से पहले अनाज का भी समय रहते निपटान नहीं किया जाता है, जिससे गोदामों की भण्डारण क्षमता अवरूद्ध होती है।
7. एफसीआई के द्वारा अनाज के लिए सुरक्षित और वैज्ञानिक भण्डारण विधियों का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके पास कुशल कर्मचारी, समुचित वित्त की उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। एफसीआई के द्वारा खराब एवं पुराने अनाज के निपटान हेतु अनुमति देने में भी देरी की जाती है, जिससे कई प्रकार की समस्याएँ जन्म लेती हैं। इसके अलावा एफसीआई द्वारा अनाज के प्रबंधन में भारी अनियमितता एवं कुप्रबंधन भी देखने को मिलता है।
8. एफसीआई को अनाज भण्डारण की गोदाम स्थापित करने हेतु राज्य सरकरों द्वारा जमीन आवंटन में देरी की जाती है।
9. **खाद्य सुरक्षाः** सरकार सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण युक्त भोजन निरंतरता के साथ उपलब्ध कराने एवं गरीब किसानों के कृषि उपज को उचित मूल्य दिलाने आदि के लिए खाद्यान्नों की खरीद व बिक्री का कार्य सम्पन्न करती है लेकिन विभिन्न सरकारी रिपोर्टों व 'वैश्विक भूख सूचकांक' में भारत की निम्न स्थिति यह दर्शाती है कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार खाद्य सुरक्षा की चुनौती से उभर नहीं पा रही है।

खाद्यान्न भण्डारण क्षमता को बढ़ाने हेतु विभिन्न सरकारी प्रयास

1. **खाद्यान्नों के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीतिः** खाद्यान्नों के भण्डारण, निगरानी व प्रबंधन हेतु भारत सरकार सन् 2000 में 'राष्ट्रीय नीति' लेकर आयी। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न के भण्डारण व परिवहन क्षति को कम करना और खाद्य अनाजों के संचालन, भण्डारण और परिवहन की व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना है।
2. **रेल-साइड वेयरहाउसिंग कम्पनीः** सरकार रेलवे और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ खाली पड़ी सरकारी भूमि पर खाद्यान्न गोदामों को स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए केंद्रीय भण्डार निगम (CWC) और भारतीय रेलवे ने मिलकर 'रेल साइड वेयरहाउसिंग कम्पनी' का निर्माण किया है, जो चुनिंदा रेलवे रूटों पर गोदामों का निमार्ण कर रही है।
3. **ग्रामीण भण्डारण योजनाः** इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु सरकार सब्सिडी देती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उपज भंडारण के लिए किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का विकास करना है।
4. **पीईजी स्कीमः** पीईजी स्कीम (PEG Scheme) का पूरा नाम "Private Entrepreneurs Guarantee Scheme" (निजी उद्यमियों की गारण्टी योजना) है। इस योजना के तहत एफसीआई निजी उद्यमियों को उनके गोदामों के उपयोग की गारण्टी प्रदान करती है जिससे खाद्यान्न भण्डार की गोदामों के निर्माण में निजी निवेश को बढ़ावा मिल रहा है।
5. सिलो प्रौद्योगिकी के परीक्षण हेतु एफसीआई द्वारा बिहार के कैमर और बक्सर में चावल के भण्डारण हेतु 'सिलो गोदामों' के निर्माण की परियोजनाएँ चल रही हैं। इसके अलावा एफसीआई ने पंजाब, दिल्ली, बिहार, असम और कर्नाटक में छह स्थानों पर 2.5 लाख टन की क्षमता वाले 'गेहूँ सिलो' के निर्माण के लिए कांट्रैक्ट दिए हैं।
6. भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भण्डार निगम और राज्य भण्डार निगमों के समन्वयन के माध्यम से खेतों के नजदीक ही उच्च तकनीकी से युक्त शीत भण्डारगृहों का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि संवेदनशील कृषि उत्पादों को तुरंत सुरक्षित किया जा सके।
7. 'पीयूसीएल बनाम यूओआई (2010)' केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "जब भारत में लोग भूख से मर रहे हों तो ऐसे में अनाज का एक भी दाना बर्बाद करना अपराध है। अतः राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाज का एक भी दाने की बर्बादी न हो।"
8. **शांताकुमार समिति (2014):** 'भारतीय खाद्य निगम' की पुनर्सरचना के मुद्दे पर गठित की गयी शांताकुमार समिति ने निम्न सिफारिशें दीं-
   - एफसीआई को खाद्यान्नों के भण्डारण और परिचालन आदि के लिए विभिन्न एजेंसियों (यथा- केंद्रीय भण्डार निगम, राज्य भण्डार निगम और विभिन्न निजी एजेंसी आदि) से सर्विस आउटसोर्स करनी चाहिए।
   - नई तकनीकी से युक्त सिलो की स्थापना के साथ-साथ पारम्परिक भण्डारण में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना होगा।

- ‘कवर और प्लिंथ भण्डारण विधि’ (CAP Method) को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से ‘सिलो बैग प्रौद्योगिकी’ से प्रतिस्थापित करना होगा। वर्तमान में जहाँ भी ‘CAP विधि’ से भण्डारण हो रहा है, वहाँ अनाज का 3 महीने से अधिक स्टॉक नहीं करना चाहिए।
- अनाज के परिवहन को धीरे-धीरे कंटेनरकृत किया जाना चाहिए ताकि ‘अनाज के पारिगमन क्षति’ (Transit losses of grains) को कम किया जा सके।

आगे की राह

- शांताकुमार कमेटी की सिफारिशों को तुरंत अमल में लाया जाये। यथा- सिलो की स्थापना के साथ-साथ भण्डारण की पारम्परिक विधियों को भी आधुनिकता से लैस किया जाय (जैसे किसानों को सस्ते दामों पर अनाज भण्डारण के आधुनिक डिब्बे उपलब्ध कराये जा सकते हैं)।
- सुरक्षित और वैज्ञानिक भण्डारण के लिए ‘प्रबंधन प्रोटोकॉल’ को विकसित करना अति आवश्यक है। इसके अलावा सुरक्षित भण्डारण के लिए भण्डारण स्थल व संरचना को सावधानीपूर्वक चुनना होगा।
- अनाज के भण्डारण के पहले उसका उचित निरीक्षण व सफाई आवश्यक है।
- अनाज के भण्डारण, प्रबंधन और निगरानी जैसे कार्यों के लिए ‘शोध व विकास’ पर बल देना होगा।
- अनाज के उत्पादन, माँग, खरीद और भण्डारण जैसे सभी संबंधित क्षेत्रों व बुनियादी ढाँचे को ध्यान में रखते हुए एक ‘एकीकृत साफ्टवेयर’ को विकसित किया जाना चाहिए।
- अनाज के भण्डारण बर्बादी से बचने हेतु ‘फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आऊट’ पालिसी का सख्ती से पालन करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

■

6. भारत की गतिशीलता का रूपांतरणः भविष्य की राह

चर्चा का कारण

हाल ही में नीति आयोग और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) ने ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन, 2018 में “ट्रांस फॉर्मिंग इंडिया की गतिशीलता” नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय शहरों में परिवहन की समस्या जटिल रूप ले रही है। भीड़, प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाएँ शहरी जीवन का अंग बन गए हैं ऐसे में इन समस्याओं को कम करके आंका नहीं जा सकता है।

उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन के दौरान समावेशी, सुरक्षित और अधिक टिकाऊ शहरों के निर्माण के लिए बेहतर शहरी जीवन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

भारत में शहरी परिवहन की वर्तमान स्थिति

1. ज्यादातर शहरी केंद्रों में यात्रा के लिए बस प्रमुख यातायात संसाधन होते हैं। हाल के वर्षो में मेट्रों रेल, ट्राम और स्थानीय ट्रेन के चलने से बसों में यात्रियों की संख्या कम हुई है लेकिन फिर भी भीड़ बनी हुई है। दरअसल इसके मूल में गाँव से जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन है जो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कारणों से जुड़ा हुआ है।
2. शहरी परिवहन के क्षेत्र में इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अपनी महती भूमिका है। सभी भारतीय शहरों में बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा, टैक्शी, साईकिल रिक्शा व कारों में बढ़ोत्तरी हुई है। नतीजतन सड़कों पर जाम की स्थिति में व्यापक बढ़ोत्तरी हुई है।
3. परिवहन की सुविधा सामान्यतः दो रूपों में देखी जाती है निजी और सार्वजनिक। जहाँ निजी परिवहन किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित होता है, वहीं सार्वजनिक परिवहन का अपना विशेष उद्देश्य होता है। दरअसल इसके मूल में सामाजिक हित होता है। हालाँकि भारत में सार्वजनिक परिवहनों की स्थिति भारतीय जनसंख्या की तुलना में शोचनीय है। मैककिंसे की एक रिपोर्ट के अनुसार 24 वैश्विक शहरों की शहरी परिवहन प्रणाली (2018) में सिंगापुर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को दुनिया की सबसे अच्छी, किफायती प्रणाली बताया गया है। विदित हो कि सिंगापुर में 80% यात्राएँ सार्वजनिक परिवहन द्वारा होती हैं। सिंगापुर दुनिया में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन की सबसे ज्यादा आपूर्ति करता है।
4. भारत में केवल मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में व्यापक उपनगरीय रेल सेवाएँ हैं, वहीं दिल्ली में उपनगरीय रेल सेवाएँ सीमित हैं।
5. भारत में शहरी परिवहन के अंतर्गत एक क्रांति के तौर पर बुलेट ट्रेन को लाने की बात कही जा रही है। इसका परिचालन अहमदाबाद से पुणे के बीच की जाएगी

क्या है नीति आयोग की सिफारिशें?

नीति आयोग द्वारा “ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन” में भारतीय परिवहन को लेकर चिंता व्यक्त की गई तथा इसमें सुधार को लेकर नीति आयोग ने एक नया रोड़ मैप तैयार करने की सिफाशि की है। यह मैप भारत में परिवहन की गतिशीलता को बदलने के लिए 3 सी फ्रेमवर्क मॉडल अर्थात स्वच्छ, सुविधाजनक और कंजेशन मुक्त (भीड़-भाड़ मुक्त) परिवहन व्यवस्था की माँग करती है। इसको प्राप्त करने के लिए, यह निम्नलिखित क्रिया-एजेंडा पर बल देती है-

1. भारत में महिलाओं, बुजुर्गो और विकलांगों सहित भारतीय आबादी के लिए एक सुरक्षित, पर्याप्त और समग्र आधारभूत संरचना की व्यवस्था करना।
2. परिवहन के साधनों का लाभ जन समुदाय तक सहज रूप से सुनिश्चित करना।
3. समग्र गतिशीलता आवश्यकताओं के लिए डेटा का उच्च उपयोग करना।
4. यात्रा को अनुकूलित करना, इसके लिए केंद्रीय नीति आधारित उपायों को अपनाने के साथ बुद्धिमता परिवहन प्रणाली का प्रयोग करना। इसके लिए जरूरी है कि जनता को तकनीकों से अवगत कराया जाना चाहिए।
5. शहरी क्षेत्रों में यात्री और माल प्रवाह के कारण भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एकीकृत तरीके से आवासीय और व्यावसायिक परिसरों को लेकर योजना बनाया जाए ताकि यात्रा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
6. बाधा रहित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना ताकि शहरों में प्रदूषण व आम जन की समस्याओं का समाधान हो सके।

7. शहरी भारत के लिए सार्वजनिक परिवहन को सस्ती, आरामदायक और जन सुलभ बनाना।
8. बहुमॉडल सिस्टम पर फोकस करना।
9. ग्रीन मोड और तकनीकी को अनाना। इसके तहत बिजली के वाहनों और गैर मोटर चालित परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाये।
10. स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए। जिससे कि पारिस्थितिकीतंत्र को स्वच्छ बनाया रखा जा सके।
11. इसके अंतर्गत घरेलू विनिर्माण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की व्यवस्था पर बल दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त कार्यों के एजेंडा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित रणनीतिक समर्थकों को सशक्त करने की सिफारिश करता है-

- तकनीकी विकास के आधार पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नयापन व सुदृढ़ता लाया जाए।
- शासन तंत्र को अच्छी तरह से परिभाषित कर उसे हित धारकों से जोड़ा जाए।
- एक मजबूत जन जागरूकता और संचार अभियान चलाया जाए।
- कौशल विकास और मानव संसाधन के विकास पर बल दिया जाए।

भारत में शहरी परिवहन की समस्याएँ

परिवहन की संख्या में बढ़ोतरी: वर्तमान में शहरों की एक मुख्य समस्या परिवहन की संख्या में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि है। यह वृद्धि न सिर्फ दुर्घटना ट्रैफिक का कारण बनती है। बल्कि पर्यावरण के लिए भी घातक होती है। नीति आयोग के मुताबिक पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या 2015 में 210 मिलियन तक हो गई थी, जो 1984 में 5.4 मिलियन थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह अप्रत्याशित वृद्धि सार्वजनिक वाहनों की अपेक्षा निजी वाहनों में अधिक रही है।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार देश में लगभग 19 लाख बसें हैं, जिनमें से केवल 2.8 लाख बसे ही राज्य परिवहन उपक्रम के तहत संचालित होती है। इस संदर्भ में सीएसई का अध्ययन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक 2000-01 में सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा 75.5 से घटकर 2030-47 में 44.7 प्रतिशत हो सकता है, वहीं निजी परिवहन का हिस्सा 50% से अधिक हो जायेगा।

सार्वजनिक बसों की यह स्थिति समाज के उन वर्गों के लिए समस्या उत्पन्न कर रही है जो यातायात लागतों को वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। अगर हम अपने पड़ोसी देश चीन की बात करें तो वहाँ 1000 लोगों पर लगभग छह बसों की व्यवस्था हैं जबकि भारत में प्रति 10,000 लोगों के लिए केवल चार बसें ही हैं। ऐसी स्थिति में जरूरत सार्वजनिक परिवहनों की संख्या बढ़ाने व निजी परिवहनों की संख्या कम करने की है।

शहरी प्रदूषण: बढ़ती हुयी जनसंख्या की बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति के लिए परिवहन के एक विस्तृत नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखते हुए परिवहन के विभिन्न साधन विकसित किए गये, जिससे जीवाश्म ईंधनों जैसे, गैस और पेट्रोलियम पदार्थो का उपयोग बढ़ता गया नतीजतन शहर प्रदूषित हो रहे हैं।

डब्ल्यूएचओ (WHO) के एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के हैं। वाहन प्रदूषण भारतीय शहरों में घातक बीमारियों का भी घटक है।

सड़क सुरक्षा: शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व दिनों-दिन बढ़ रहा है, जिसके चलते लोग सड़क के किनारे बसने लगे हैं, परिणामस्वरूप आवाजाही में रूकावट के साथ पार्किंग समस्या भी पैदा हुई है। स्मरणीय है कि दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और बेंगलुरू जैसे प्रमुख भारतीय शहरों को दुनिया के सबसे ज्यादा घिरे शहरों में स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए बेंगलुरू में वाहनों की औसत गति 17 किमी./घंटा दर्ज की गई है। सड़कों के आकार में आ रही यह कमी दुर्घटनाओं को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है "यातायात से मौते और चोट" शीर्षक नामक 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 4.1% की कमी आई है। हालाँकि, इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मौतों में 3.2 की बढ़ोतरी हुई है। विदित हो कि यातायात दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में सड़कों की खराब गुणवत्ता, खराब यातायात प्रबंधन, असुरक्षित, अति संवेदनशील वाहन तथा असुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार शामिल हैं।

अनियोजित शहरीकरण: भारत में अनियोजित शहरीकरण ने शहरों में परिवहन की समस्या को विकरालता प्रदान किया है। दरअसल सरकार जब भी आधारभूत संरचनाओं को दुरस्त कर यातायात की समस्या का समाधान करना चाहती है तो उसे अवैध कलोनियों व अनियोजित जगहों पर रहने वाले स्थानीय लोगों, कुछ सामाजिक संस्थाओं व समाज सेवियों के विरोध का सामना करना पड़ता है। नतीजतन कार्य लंबित हो जाता है और समस्या अपना पाँव पसारने लगती है। उदाहरण के लिए जब दिल्ली मेट्रो को लेकर कार्य आरंभ हुआ तो उसको लेकर व्यापक स्तर पर अनियोजित रूप से बसे व्यक्तियों व कुछ समाज सेवी संगठनों ने विरोध किया, यह परिपाटी वर्तमान समय में भी यदा-कदा व्यक्त होती रहती है।

परिवहन और महिला सुरक्षा: शहरी परिवहन की सुविधा ने वर्तमान समय में काफी हद तक यातायात की समस्या का समाधान तो किया है, लेकिन आज भी यह महिला सुरक्षा को लेकर उतना सजग नहीं हो पाया है। आये दिन महिलाओं के साथ छेड़-छाड़, शोषण, छीना-झपटी जैसी घटनाएँ होती रहती हैं। यह घटनाएँ न सिर्फ उस राज्य विशेष की छवि को धूमिल करती है, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय कटघरे में भी खड़ी करती है। एक्शन एड यूके के अनुसार, "प्रमुख भारतीय शहरों में 79% महिलाओं ने सड़कों पर परेशान (उत्पीड़न) होने की सूचना दी है, जिसमें बड़ी संख्या में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े भारतीय शहरों की महिलाएँ शामिल हैं।"

शहरी परिवहन को लेकर सरकारी पहलें

शहरी परिवहन की समस्या की गंभीरता को लेकर भारत सरकार ने समय दर समय कई कार्य किये हैं। कुछ महत्वपूर्ण सरकारी पहलों का जिक्र निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जा सकता है- जो सरकार की शहरी परिवहन के प्रति सजगता प्रकट करती है।

1. **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन (जेएनएनयूआरएम):** सरकार द्वारा शहरी परिवहन समस्या को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरणीय मिशन की शुरूआत 2005 में किया गया। इस मिशन के तहत सरकार ने बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहनों, बसों आदि के वित्त पोषण, व्यापक आवागमन परियोजनाओं पर कार्य करना शुरू किया। वर्तमान में इस मिशन का नाम बदलकर अटल अमृत मिशन कर दिया गया है।
2. **राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति:** सरकार ने शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ परिवहन की संकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति को 2006 में शुरू किया। इसके अंर्तगत बहु मॉडल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से सुरक्षित, किफायती, त्वरित, आरामदायक, विश्वसनीय परिवहन का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रीन शहरी परिवहन योजनाः यह योजना ग्रीन शहरी परिवहन पर बल देती है इसके तहत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से चलित वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है। स्मरणीय है कि ग्रीन शहरी योजना का लक्ष्य गैर मोटर चालित परिवहन के बुनियादी ढाँचें में सुधार करना भी है। आज सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या पर्यावरण को क्षति पहुँचा रही है। वाहनों से निकलने वाला धुँआ न सिर्फ मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है बल्कि इसके चपेट में कई जीव-जंतु व पौधों की प्रजातियाँ भी आ रही हैं। इस बात को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी साइकलिंग व उन्नत परिवहन यातायात साधनों के इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है।

मास रैपिड ट्रांजिट/ट्रांसपोर्ट सिस्टमः भारतीय शहरों में मेट्रों रेल व्यापक पैमाने पर अनुकूल परिवहन विकल्प के रूप में उभरा है। वर्तमान समय में शहरी परिवहन के रूप में मेट्रो के प्रयोग ने समय की बचत और आवाजाही को सुगम बनाया है, नतीजतन सड़कों पर वाहनों के प्रयोग में कुछ कमी आयी है। उल्लेखनीय है कि 2017 में सरकार ने नई मेट्रो नीति पेश की जिसका उद्देश्य परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था, मानदंडों का मानकीकरण व खरीद तंत्र बनाना है।

बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (बीआरटीएस): बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बसों की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा के लिए सड़कों के बुनियादी ढाँचें में सुधार पर बल देता है। बीआरटीएस (AMRUT) अटल मिशन का ही एक महत्वपूर्ण घटक है।

नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी

इस पॉलिसी का आरम्भ 2017 में किया गया। इस पॉलिसी फ्रेमवर्क का लक्ष्य मेट्रो, मोनोरेल और बस रैपिड ट्रांजिट गलियारों को बड़े शहरी ट्रांजिट गलियारों के पास स्थापित करने पर बल देना है।

सतत शहरी परिवहन परियोजनाः इस परियोजना को शहरी विकास मंत्रालय और यूएनडीपी (UNDP) मंत्रालय ने साझीदारी रूप में शुरू किया है। यह परियोजना भारत में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने पर बल देता है।

पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टमः यह एक परिवहन मोड है जो स्वचालित वाहनों को जोड़ता है।

राष्ट्रीय जन साइकिल योजनाः वर्ष 2011 में सरकार द्वारा शहरी परिवहन को लेकर देशभर में एक नई पहल करते हुए साइकिल साझा कार्यान्वयन और संचालन कार्यक्रम लान्च किया गया जो साइकलीकरण पर बल देता है।

इलेक्ट्रानिक वाहनों का संवर्धनः भारतीय सरकार शहरी परिवहन की समस्या के समाधान के लिए 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने की योजना बना रही है। विदित हो कि केंद्र सरकार बिजली की बसों की लागत पर सब्सिडी देती है। अप्रैल, 2018 में केंद्र द्वारा 11 शहरों में 390 बसों की सब्सिडी को मंजूरी दी गई।

सरकारी पहलों के समक्ष संस्थागत चुनौतियाँ

1. शहरी परिवहन प्रणाली के कार्यों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा कई एजेंसियों के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है, नतीजतन समन्वय में कमी आती है और जबावहेदी मुश्किल हो जाती है।
2. बुनियादी परिवहन ढाँचें के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण, समय लेने वाली परियोजनाओं की उच्च लागत, एकीकृत बुनियादी शहरी परिवहन ढाँचे के लिए एक बड़ी बाधा रही है। उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण मुद्दे के कारण कोलकाता में पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर परियोजना काफी समय तक लंबित रही।
3. परिवहन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में शहर और राज्य अधिकारियों के बीच शहरी परिवहन कौशल की कमी एक जटिल समस्या है।
4. मानक, व्यवस्थित आँकड़ों और शहरी परिवहन आँकड़ों को लेकर वैज्ञानिक विश्लेषण की कमी भी सरकारी पहलों का आकलन करने व एक मजबूत शहरी परिवहन योजना तैयार करने में बाधा उत्पन्न करती है।
5. शहरी आधारभूत संरचना निर्माण परियोजनाओं के लिए एक लंबे समय के साथ भारी रकम की भी आवश्यकता पड़ती है। इसकी उपर्युक्त व्यवस्था न होने से परियोजनाओं के रखरखाव व पूरा होने पर असर पड़ता है।
6. सरकारी पहलों के समक्ष भ्रष्टाचार भी एक बड़ी चुनौती है। व्यक्तिगत फायदे को लेकर अधिकारी से लेकर नेता तक शहरी परियोजनाओं में घपलेबाजी करने से संकोच नहीं करते हैं।

आगे की राह

नीति आयोग द्वारा "मोबिलिटी शिखर सम्मेलन" में जो सिफारिशें पेश की गई वे सिफारिशें अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो सकती है। बस जरूरत है कि इन सिफारिशों का व्यावहारिक धरातल पर सही से क्रियान्वयन हो। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझाव को भी अमल में लाया जा सकता हैः

1. शहरी भीड़ और शहरी वायु प्रदूषण को हल करने के लिए निम्न उपायों पर ध्यान दिया जा सकता है- (a) पार्किंग नीति, (b) निजी कारों के उपयोग को हतोत्साहित करना।
2. सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढाँचें को प्रभावित करने वाले समस्याओं का समाधान व धन की व्यवस्था करना।
3. संस्थागत चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न परिवहन एजेंसियों, विभागों और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय व सहयोग स्थापित किया जाए।
4. सार्वजनिक परिवहन नीतियों की गतिशीलता के लिए समावेशी पहुँच पर बल देना।
5. महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपातकालीन हेल्पलाइनों, अधिक सीटों व बसों में होमगार्ड की व्यवस्था करना।
6. कम दूरी की यात्रा के लिए गैर मोटर चालित परिवहन को प्रोत्साहित करना।
7. पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैदल लेन बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए मेक्सिकों सिटी में एक नये कानून के तहत पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को मोटर चालकों के ऊपर रखा गया है। इस तरह के सक्रिय परिवहन की भारत जैसे प्रदूषित शहरों को सख्त जरूरत है।
8. यात्रा समस्या समाधान के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जा सकता है। इस संदर्भ में अहमदाबाद ने नई पहल करते हुए किफायती स्मार्ट कार्ड प्रदान किया। इसके अंतर्गत एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, यात्री सूचना प्रणाली, शामिल था। ठीक इसी तरह लंदन का आयस्टर "स्मार्ट कार्ड" न्यूनतम नुकसान के साथ परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

7. हिमालयी जलस्रोतों पर नीति आयोग की रिपोर्ट

चर्चा का कारण

नीति आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक समूह ने सरकार से देश के हिमालयी राज्यों में जल स्रोत प्रणालियों या झरनों में आ रही गिरावट से बचाने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए एक समर्पित मिशन स्थापित करने की सिफारिश की है क्योंकि ये जल स्रोत हिमालयी क्षेत्र के निवासियों के लिए पीने के लिए जल और सिंचाई दोनों कार्यों हेतु शीर्ष प्राथमिकता रखते हैं।

विशेषज्ञ समूह ने 'जल सुरक्षा के लिए हिमालय में जल स्रोतों की सूची और पुनरूद्धार' (Inventory and Revival of Springs in the Himalayas for Water Security) नामक अपनी रिपोर्ट में कहा कि, लगभग आधे से अधिक बारहमासी जलस्रोत पहले ही सूख गए हैं या मौसम आधारित हो गए हैं जिससे हिमालयी राज्यों के हजारों गाँवों को वर्तमान में पीने तथा अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी की कमी की विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

परिचय

भारतीय हिमालय क्षेत्र (IHR-Indian Himalaya Region) के 10 राज्यों और पहाड़ी जिलों में लाखों लोगों और उनके पशुओं के लिए पानी का मुख्य स्रोत यही जल स्रोत या जलस्रोत हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों समुदाय अपने पशुओं के लिए पानी, घरेलू कार्यों, सिंचाई की जरूरतों के लिए झरनों पर ही निर्भर हैं। ऐसे बहुत से साक्ष्य उपलब्ध हैं जिससे पता चलता है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जलस्रोत बहुत तेजी से सूख रहे हैं। वास्तव में इसका विस्तार पूरे हिंदूकुश हिमालयी क्षेत्र में अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैल रहा है। अनियमित वर्षा, भूकंपीय गतिविधियाँ तथा पारिस्थितिकीय तंत्र का क्षरण, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अत्यधिक भूमि के उपयोग से आईएचआर के पहाड़ी जल भृतक्षेत्र समाप्त हो रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार आईएचआर राज्यों में तीन मिलियन से अधिक बारहमासी झरनों का आधे से अधिक हिस्सा पहले ही सूख गया है या मौसमी हो गया है जिसके परिणामस्वरूप हजारों हिमालयी गाँवों में जल की उपलब्धता में तीव्र कमी हो रही है। बड़ी नदियों को अपनी मूल प्रवाह को बनाए रखने के लिए झरनों का कितना योगदान है इस विषय पर वैज्ञानिक अध्ययन की कमी है। यह स्पष्ट है कि बड़ी नदियों के मूल प्रवाह में हिमनदों तथा बर्फ से कहीं अधिक योगदान झरनों का ही होता है।

पृष्ठभूमि

नीति आयोग ने डा. वी.के. सारस्वत की अध्यक्षता में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए तथा कार्य सूची तैयार करने के लिए 7 अप्रैल, 2017 को एक बैठक बुलाई। बैठक में कई मंत्रालयों, संगठनों, संस्थानों, सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) और गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। इस बैठक में नीति आयोग ने विचार-विमर्श के लिए पाँच विषयगत क्षेत्रों की पहचान की। इसमें शामिल हैं-

- आविष्कार और जल सुरक्षा के लिए हिमालय क्षेत्र में झरनों को फिर से पुनर्जिवित करना।
- भारतीय हिमालय क्षेत्र में सतत पर्यटन।
- कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए परिवर्तनीय दृष्टिकोण।
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कौशल और उद्यमिता परिदृश्य को मजबूत बनाना।
- सुविज्ञ फैसले करने के लिए डेटा/जानकारी।

उपरोक्त विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतियों, विचार-विमर्श और चर्चा के बाद प्रत्येक विषय के पहचाने गए कार्य बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए 5 सदस्यीय कार्यकारी समूह का गठन किया गया। इन विषयों में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में "जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों की सूची और पुनरुद्धार" एक महत्वपूर्ण विषय था। इस समूह में प्रतिभागियों के रूप में कुछ एजेंसियों/संस्थानों की पहचान की गई है। इनमें शामिल हैं-

- भूमि संस्थान विभाग (DoLR), भारत सरकार
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC)
- केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)
- सिक्किम सरकार का ग्रामीण प्रबंधन और विकास विभाग (RM और DD)
- पूणे स्थित उन्नत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन (ACWADAM) तथा
- काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMoD)

इन विषयों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को मुख्य संस्थान के रूप में नामित किया गया जिसका मुख्य सलाहकार डा. अखिलेश गुप्ता को बनाया गया। इस कार्यकारी समूह का गठन निम्नलिखित बिंदुओं को पता लगाने के लिए किया गया था-

- समस्या की गंभीरता को समझने (झरनों का सूखना, झरनों में पानी की गुणवत्ता)।
- भारतीय हिमालय क्षेत्र में जल की पर्याप्तता और अंतराल का पता लगाने के लिए बनी संबंधित नीतियों की समीक्षा करना।
- वर्तमान में चल रहे कार्यों की समीक्षा करना साथ ही साथ विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये गये खोज तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से झरनों के पुनरूद्धार को आईएचआर क्षेत्र में बढ़ावा देना
- वर्तमान पहल से उत्पन्न चुनौतियों की समीक्षा करना
- तथा उन चुनौतियों को हल करने के लिए लघु, मध्यम तथा दीर्घकालिक उपायों को सुझाना।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र

हिमालय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊँची पर्वत शृंखला है, जिसमें 8 देश जैसे- अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार इससे लगे हुए हैं और ये लगभग 43 लाख वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 9 प्रमुख बारहमासी नदियों जैसे- सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्विन, मेकांग, तारिम, यांग्त्से तथा पीली का उद्गम स्रोत हिमालय ही है। 30 से ज्यादा हिमालय की चोटियों की ऊँचाई 7,620 मी. (25000 फीट) या उससे अधिक है। इसी शृंखला में विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउण्ट एवरेस्ट (8,848 मीटर) भी स्थित है। पानी, भोजन और ऊर्जा के लिए लगभग 1.5 बिलियन लोग हिमालय की इन्हीं शृंखलाओं पर निर्भर हैं।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र 10 पहाड़ी राज्यों जैसे- जम्मू-कश्मीर, हिमालच प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड त्रिपुरा और दो आंशिक पहाड़ी राज्यों- असम और पश्चिम बंगाल में फैला है। अकेले आईएचआर में लगभग 50 मिलियन लोग रहते हैं।

आईएचआर में ग्रामीण परिवारों के लिए पर्वतीय जलस्रोत पानी के प्राथमिक स्रोत के

साथ-साथ एकमात्र स्रोत हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखण्ड राज्य में पेयजल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी जलस्रोत ही हैं जबकि मेघालय में राज्य के सभी गाँव पीने के लिए जल, सिंचाई और पशुओं के लिए झरनों का ही उपयोग करता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पूरे भारत में पाँच मिलियन जलस्रोत हैं जिनमें से लगभग 3 मिलियन पर्वतीय जलस्रोत आईएचआर में हैं। यद्यपि ये जलस्रोत पर्वतीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उनपर उचित ध्यान न देने से ये जलस्रोत सूख रहे हैं।

आईएचआर के झरनों के सूखने के कारण

- पानी के माँग में वृद्धि
- भूमि उपयोग में परिवर्तन
- पारिस्थितिकीय ह्रास
- जलवायु परिवर्तन
- बढ़ता तापमान
- बारिश की तीव्रता में वृद्धि लेकिन फैलाव में कमी
- सर्दियों में होने वाली बारिश में उल्लेखनीय गिरावट
- पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि
- आईएचआर राज्यों में बढ़ते शहरीकरण की वजह से जल संसाधनों पर तेजी से बढ़ता दबाव।
- हिमालयी झरनों में बढ़ता प्रदूषण, इसके दो कारण हैं-
  - प्राकृतिक
  - मानव जनित
- माइक्रोबियल सामग्री, सल्फेट्स और नाइट्रेट का कारण मुख्यरूप से मानवजनित स्रोत है।
- फ्लोराइड, आर्सेनिक व लौह प्रदूषण का कारण प्राकृतिक है।

प्रभाव

- हिमालय से निकलने वाली 60 प्रतिशत जलधाराएँ सूखने की कगार पर हैं इनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों की जलधाराएँ भी शामिल हैं। हिमालय से निकलने वाली तमाम नदियों की अविरलता इन्हीं जलधाराओं से प्रवाहमान रहता है। स्थिति यह हो गई है कि अब इनमें केवल बरसात के मौसम में ही पानी आता है।
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र में बढ़ती औद्योगिकरण के कारण इस क्षेत्र में जल का अत्यधिक दोहन किया जाने लगा है जिसके कारण उत्तर भारत तथा पूर्वोत्तर भारत की तमाम नदियाँ सूख रही हैं क्योंकि इन नदियों का मूल स्रोत आईएचआर में स्थित विभिन्न जलस्रोत ही हैं।
- जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इस क्षेत्र में जो विस्फोट किये जा रहे हैं जिससे हिमखण्डों से ढकी चट्टानों टूट रही हैं वहीं ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं तथा उनकी चौड़ाई में व्यापक कमी आयी है। साथ ही ये अपने मूल स्थान से खिसकने लगे हैं।
- प्राकृतिक प्रभाव के साथ-साथ मानवीय प्रभाव कम नहीं हैं। हिमालयी क्षेत्र में छोटे आवासों के लिए जल प्रदान करने वाले लगभग 60% झरनों में गिरावट पिछले कुछ दशकों में देखी गई है।
- हिमालयी जलस्रोत लगभग 64% भाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर ये जलस्रोत सूख गये तो हिमालयी क्षेत्र की कृषि के साथ-साथ मैदानी क्षेत्रों में भी जल की अनुपलब्धता से कृषि संकट की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी।
- नीति आयोग की जल पर आयी रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के आधे दर्जन जिलों तथा राज्य की राजधानी शिमला को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस जल संकट का मुख्य कारण खराब जल प्रबंधन, झरनों में निम्न प्रवाह को माना गया था।
- हिमालयी क्षेत्रों में पाये जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र तथा जीव-जंतुओं में व्यापक ह्रास की घटनाएँ देखी जा रही हैं क्योंकि उत्तर और उत्तरपूर्व राज्यों में कई अभ्यारण स्थिति हैं।
- चूँकि जलस्रोत या नदियाँ बिजली उत्पादन के प्रमुख स्रोतों में हैं। अगर इन झरनों या नदियों में जल की उपलब्धता ही नहीं रहेगी तो बिजली उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा।
- व्यापक रूप से लोगों का पलायन आदि।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

- जलस्रोत ग्रामीण हिमालयी आबादी के लिए पेयजल के मूल स्रोत हैं। आँकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में रहने वाले 60% जनसंख्या इन्हीं झरनों पर ही निर्भर है। हिमालयी क्षेत्र में ऊँचाई पर स्थित गाँवों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हिमालय से उत्पन्न होने वाली धाराओं के माध्यम से बहने वाले ताजे पानी का अधिकांश हिस्सा उनके लिए उपलब्ध ही नहीं है। इससे यहाँ के निवासियों को पीने के पानी तथा सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हिमालयी जनसंख्या का लगभग अधिकांश हिस्सा कृषि कार्य से जुड़ा है। जबकि कुल भूमि के 12.5% हिस्से पर खेती की जाती है जिसमें कृषि के लिए योग्य भूमि के 11% हिस्से पर सिंचाई होती है, इस सिंचाई का लगभग 64% हिस्सा प्राकृतिक झरनों पर ही निर्भर है।
- सूखते झरनों की वजह से पर्वतीय पर्यावरण सहित पर्वतीय जलभृत (Aquifer) भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए पानी के इस पारंपरिक स्रोत का पुनरूद्धार अत्यन्त आवश्यक है।
- भारत में लगभग हर नदि की उत्पत्ति झरनों से ही हुई है इनकी उत्पत्ती से न केवल जलविद्युत उपलब्ध होती है बल्कि ये हिमालयी नदियों के आस-पास विकसित संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। ये विरातस और संस्कृति तभी संरक्षित हो पायेंगे जब ये प्राकृति जल के स्रोत सुरक्षित हो।
- झरनों के जल विज्ञान में किसी भी तरह से बदलाव से हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विज्ञान पर विचलन अवश्य परिलक्षित होगा।
- भूजल प्रवाह या भूजल का एक बड़ा हिस्सा इन झरनों से ही प्राप्त है इसलिए भूजल को या नदियों को सतत वाहिनी बनाये रखने के लिए इन झरनों का कायाकल्प आवश्यक है।
- ज्ञातव्य है कि विभिन्न नदियों जैसे, गंगा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी आदि नदियों के जल के मुख्य स्रोत ये जलस्रोत ही हैं क्योंकि ये विभिन्न छोटी-छोटी धाराओं में प्रवाहित होकर बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं। अगर ये जलधाराएँ सूख गईं तो मैदानी क्षेत्रों की नदियाँ सतत वाहिनी से असततवाहिनी में परिवर्तीत हो जाएंगी, यहाँ तक कि मध्य हिमालय (900 से 2000 मी. ऊँची) की छोटी-छोटी नदियाँ तो विलुप्त ही हो जाएंगी।
- दुर्भाग्यवश झरनों में पानी की कमी ने कई अस्थिर और अव्यवहारिक समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे कमजोर मानसून या पूरे वर्ष सूखे की स्थिति में लोग साइकिलों, मोटरसाइकिलों, टैंकरों तथा पहाड़ी जानवरों

का उपयोग करके बमुश्किल से पीने का पानी प्राप्त कर पाते हैं। सबसे अधिक समस्याओं का सामना ग्रामीण महिलाओं को करना पड़ता है क्योंकि जब ये जलस्रोत तथा जल स्रोत सूख जाते हैं तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को निचले मैदानी क्षेत्रों से पानी लाना पड़ता है। इसके अलावा, जलावन के लिए लकड़ी, पशुओं के चारे तथा उनके देखभाल करने में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आयोग की प्रमुख सिफारिशें

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि हिमालयी क्षेत्र के झरनों के पुनरूद्धार के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए जिनमें लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कार्यक्रम शामिल किये जाने चाहिए। नीति आयोग ने इस स्थिति से निपटने के लिए अपने सुझाव में कहा है कि सरकार को तीन चरणों वाली योजनाएँ तैयार करनी चाहिए

पहलाः 1-4 साल की लघु अवधि।

दूसराः 5-8 साल की मध्यम अवधि।

तीसराः 8 साल से अधिक दीर्घ अवधि।

पहला चरणः आईएचआर राज्यों में जल स्रोतों या झरनों का व्यवस्थित मानचित्रण तथा पहाड़ी राज्यों के प्रत्येक ब्लॉक में स्थित झरनों के बारे में आँकड़ों के एकत्रीकरण का कार्य पहले में ही पूरा करना होगा। भारत के वन सर्वेक्षण विभाग और उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों/आँकड़ों के आधार पर एक डिजिटल मानचित्र डाटा तैयार किया जाना चाहिए जिससे वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके।

राज्य सरकारों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा एनजीओ द्वारा प्राप्त आँकड़ों को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने की जरूरत है। जिससे की आम आदमी भी इन समस्याओं से रूबरू हो सके। कौशल भारत पहल के माध्यम से इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही कई साझेदारी और सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से मानव शक्ति का विकास पहले चरण में करना होगा। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE) पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन (NMHS) आदि के साथ इस कार्यक्रम को एकीकृत किया जा सकता है। जल प्रबंधन के संबंध में आईएचआर क्षेत्रों के समुदायों को जागरूक तथा शिक्षित करने की आवश्यकता है।

द्वितीय चरणः प्रथम चरण के प्राप्त आँकड़ों के आधार पर द्वितीय चरण के चार वर्षों के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकारों को सौंप दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारें इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध बजट (राज्य बजट तथा CAMPA द्वारा अर्जित रकम) का सद्उपयोग करेंगी और इस कार्यक्रम को विस्तृत क्षेत्र तक प्रसारित करेंगी ताकि अधिक से अधिक जल स्रोतों का संरक्षण एवं पुनरूद्धार किया जा सके। हिमालच प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, मेघालय और नागालैण्ड जैसे कुछ राज्य पहले से ही इससे संबंधित अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वयन कर रहे हैं।

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि राज्यों द्वारा चलाए जा रहे उन कार्यक्रमों, जो सीधे तौर पर जलस्रातों के संरक्षण एवं सुधार से जुड़े हैं के साथ-साथ इससे अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कार्यक्रमों (जैसे- मनरेगा) को भी समन्वित किया जाना चाहिए। नीति आयोग का कहना है कि योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रत्येक हिमालयी राज्यों की जरूरतों के अनुसार आकार दिया जाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप जिन क्षेत्रों में जल स्रोतों के पुनरूद्धार का स्तर उच्च है उन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए उज्ज्वला जैसी योजनाओं को विस्तृत और सुचारू रूप से लागू करना होगा ताकि ईंधन का वैकल्पिक स्रोत हिमालयी राज्यों के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जा सके।

तृतीय चरणः इस चरण के तहत सभी जल स्रोतों को कवर कर लिया जाना चाहिए। इस चरण तक आते-आते जलस्रोतों के सुचारू प्रबंधन की व्यवस्था पूर्णतः मूर्तरूप में आ जानी चाहिए। इस चरण के तहत वृहद स्तर पर जल स्रोतों के संरक्षण और सुधार के लिए 'ग्रीन क्लाइमेट फंड' (GCF) जैसी व्यवस्था को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए। इस पहल के तहत उचित धनराशि को एकत्रित करने के लिए सरकार को विभिन्न बॉण्ड, NMSHE जैसे उपायों को बढ़ावा देना होगा। चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी पेय जल की पूर्ति के लिए इन्हीं जल स्रोतों पर निर्भर होते हैं अतः इनके संरक्षण एवं पुनरूद्धार से सरकार सतत विकास लक्ष्य (लक्ष्य संख्या-6 जिसके तहत सभी व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है) को भी प्राप्त कर सकेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

धारा 498 कः महिला सुरक्षा का हथियार

प्र. दहेज प्रथा कानून '498-क' से आप क्या समझते हैं? यह कानून कहाँ तक महिलाओं को न्याय दिलाने में सक्षम है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- दहेज प्रथा कानून '498-क' क्या है?
- कानून कहाँ तक सक्षम
- समाज पर प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक फैसले को पलटते हुए दहेज उत्पीड़न रोकने के लिए बनी भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A के तहत सीधे गिरफ्तारी का अधिकार फिर पुलिस के पास देकर अपनी सीमाएँ रेखांकित कर ली हैं।

दहेज प्रथा कानून '498-क' क्या है?

- इस धारा को आम बोलचाल में दहेज के लिए प्रताड़ना के नाम से जाना जाता है। धारा 498-क में पति या उसके रिश्तेदारों के उन बर्ताव को शामिल किया गया है जो किसी महिला को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुँचाये या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करें।

कानून कहाँ तक सक्षम हैं?

- यह कानून रेटो स्पेक्टिव है अर्थात् इस कानून में अपने को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है न कि पीड़ित (आरोप लगाने वाले) की।
- मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान का होना।
- वहीं अगर शादी-शुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है और यह मौत शादी के 7 साल के दौरान हुआ हो तो पुलिस आईपीसी की धारा '304-B' के तहत केस दर्ज करती है।

समाज पर प्रभाव

- भारत में दहेज प्रथा को लेकर कानूनी प्रावधान स्वतंत्रता के पश्चात् कठोरता के साथ अस्तित्व में आया लेकिन फिर भी सफलता वांछनीय नहीं रही ऐसे में इस कानून से संभावनाएँ तो हैं लेकिन सफलता के लिए जरूरी है कि समाज के अंदर से ही आवाज उठे।

आगे की राह

- कुछ उपायों को अमल में लाया जा सकता है। जैसे-
  - दहेज मृत्यु, उत्पीड़न और अमानीवय व्यवहार की घटनाओं पर तुरंत कार्यवाही, निवारक और अल्पकालीन उपाय आवश्यक है।
  - दहेज से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी और सामाजिक संरक्षण प्रदान करना चाहिए।
- भविष्य में इस समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से दूरदर्शन, रेडियों और समाचार पत्रों में ऐसी घटनाओं पर पूर्ण गम्भीरता के साथ प्रकाश डालना चाहिए। ■

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रमः एक अवलोकन

प्र. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) का औचित्य क्या है? क्या यह योजना जनता तक बुनियादी सुविधाओं की पहुँच को सुनिश्चित करने में सक्षम है? सविस्तार विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है एमपीलैड?
- वर्तमान परिदृश्य
- एमपीलैड के पक्ष में तर्क
- एमपीलैड के विपक्ष में तर्क
- योजना की मुख्य विशेषताएँ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) की 21वीं अखिल भारतीय समीक्षा बैठक केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।
- चर्चा में मुख्य रूप से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया ताकि मंत्रालय इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठा सकें।

क्या है एमपीलैड?

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) 23 दिसंबर, 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी, ताकि सांसदों को एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सके जिससे वे स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढाँचा सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये विकासपरक कार्यों की सफारिश कर सकें।

वर्तमान परिदृश्य

- अभी हाल ही में एमपीलैड वेब पोर्टल पर मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा कार्यानुसार ब्यौरा अपलोड किया गया है, जिसमें हरियाणा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात और ओडिशा का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। प्रतिशत के हिसाब से एमपीलैड निधि का सर्वाधिक इस्तेमाल करने के मामले में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है।

एमपीलैड के पक्ष में तर्क

- एमपीलैड योजना सहकारी संघवाद का परिचयक है।
- इस योजना के माध्यम से स्थानीय निकाय को भी विकासपरक कार्य करने में सहायता मिलती है।
- केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजना को धरातल पर लागू करने में भी इस योजना की महती भूमिका है।

एमपीलैड के विपक्ष में तर्क

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी 2010-11 की अपनी रिपोर्ट में इसके क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख किया था।
- एक तरफ सांसदों को जन-लोकपाल के दायरे में लाने की माँग देश भर में चल रही है, वहीं अनेक सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक केंद्रीय योजना है जिसके लिए आवश्यक निधि पूर्णतः भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यह निधि सहायता अनुदान के रूप में सीधे जिला पदाधिकारियों को जारी की जाती है।
- योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य शामिल किए जाते हैं जो विकासमूलक हों तथा स्थानीय जरूरतों पर आधारित हों और जनता के उपयोग के लिए हमेशा सुलभ हों। योजना के तहत राष्ट्रीय तौर पर प्राथमिक कार्यों को वरीयता दी जाती है, जैसे पेयजल उपलब्ध कराना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क आदि।

चुनौतियाँ

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) की 21वीं अखिल भारतीय समीक्षा बैठक में यह राय व्यक्त की गई है कि जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा ऑडिट प्रमाण पत्र, निधि के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र, निधि के इस्तेमाल का अंतरिम प्रमाण पत्र, मासिक प्रगति रिपोर्ट, बैंक की ओर से दिया गया विवरण और मासिक ऑनलाइन प्रगति रिपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेजों को मंत्रालय में समय पर जमा नहीं किया जाना है।

आगे की राह

- सांसद निधि का कम-से-कम आधा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नवयुवकों के कौशल विकास पर खर्च किया जाना चाहिये, जिससे वे शहरों में नौकरी प्राप्त कर सकें या स्वरोजगार स्थापित कर सकें। सरकार की नीतियों में बदलाव की जरूरत है। समग्रतः सांसद निधि की वर्षो पुरानी व्यवस्था जो पुराने ढर्रे पर ही चलती नजर आ रही है, उन्हें बदलने की जरूरत है। ■

मानव विकास सूचकांक, 2018: भारत की सुधरती स्थिर्ति

प्र. हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में भारत का स्थान 130वां है। इस सूचकांक के अनुसार भारत को मध्यम सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। भारत के मध्यम सूचकांक वाले श्रेणी में होने के कारणों की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- क्या है मानव विकास सूचकांक?
- वर्तमान स्थिति
- एचडीआई में भारत की निम्न रैंकिंगः एक अवलोकन
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में एक पायदान का सूधार हुआ है।
- यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) की ओर से जारी की गई एचडीआई रैंकिंग में कुल 189 देशों में भारत 130वें स्थान पर है।

पृष्ठभूमि

- इस सूचकांक को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक ने तैयार किया था तथा प्रो. अमर्त्यसेन इसके विकास में मुख्य सहायक थे। पहला मानव सूचकांक 1990 में जारी किया गया था।
- एचडीआई का उद्देश्य विभिन्न देशों में मानव विकास के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों का आकलन करना तथा इस संदर्भ में दिशा-निर्देशन जारी करना है।

क्या है मानव विकास सूचकांक?

- मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांक का एक संयुक्त संख्यिकीय सूचकांक है।
- इसके सूचकांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है। जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth), शिक्षा स्तर (Education Level) तथा प्रति व्यक्ति आय (Per Capital Income)।

वर्तमान स्थिति

- एचडीआई रैंकिंग में नार्वे, स्विटजरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, आयरलैण्ड और जर्मनी टॉप पर हैं जबकि नाइजर, सैन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिणी सूडान, चाड और बुरूंडी का स्थान निम्न है।
- जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत की स्थिति बेहतर हुई है। 1990 से 2017 के बीच भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में करीब 11 सालों की बढ़ोतरी हुई है।

एचडीआई में भारत की निम्न रैंकिंग: एक अवलोकन

- आज से 27 साल पहले भारत 135वें पायदान पर था और लगभग अगले 3 दशकों तक 135 से 131 के बीच बना रहा।
- ऑक्सफेम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 में उपर के 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की 37 प्रतिशत दौलत थी जो पिछले साल 73 प्रतिशत हो गई है।

चुनौतियाँ

- एचडीआई के अनुसार महिलाएँ पुरूषों की तुलना में राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक रूप से कम सशक्त है।
- इसके अलावा भारत में बेरोजगारी, स्वास्थ्य चिंताएँ, सामाजिक भेदभाव, भ्रष्टाचार, जीवन प्रत्याशा, आय असमानता चरम अवस्था में व्याप्त है।

आगे की राह

- भारत को अगर अपने एचडीआई में व्यापक सूधार करना है तो इसके लिए बढ़ती असमानता की खाई को कम करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव करना होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना होगा, महिला और पुरूषों के बची व्याप्त लैंगिक असमानता तथा भेदभाव को समाप्त करना होगा। ■

भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण

प्र. हाल ही में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) ने अपने स्थापना तथा कार्यान्वयन का एक दशक पूरा किया है। इस कार्यक्रम द्वारा 10 वर्षों में किये गये कार्यों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- डीआईएलआरएमपी क्या है?
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान स्थिति
- डीआईएलआरएमपी से लाभ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" अपने स्थापना तथा कार्यान्वयन का एक दशक पूरा कया है।
- ज्ञात है कि सबसे महंगी संपत्ति होने के कारण भूमि अकसर सभी झगड़े, संपत्ति अपराध और धोखाधड़ी के केंद्र में रही है।

डीआईएलआरएमपी क्या है?

- "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" एक व्यापक शब्द है। इसमें भूमि के पंजीकरण, अधिकारों के रिकॉर्ड्स, किरायेदारी और फसल निरीक्षण रजिस्टर, उत्परिवर्तन रजिस्टर, विवादित मामलों के रजिस्टर आदि शामिल हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों के प्रबंधन को आधुनिकीकरण, भूमि/संपत्ति विवादों के दायरे को कम करने, भूमि अभिलेख रख-रखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और देश में अचल संपत्तियों के लिए अंततः गारंटीकृत निर्णायक अधिकार की ओर बढ़ने की सुविधा प्रदान करना है।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने 1988 में देश में अपर्याप्त भूमि अभिलेख प्रणाली के प्रकाश में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए भूमि अभिलेखों (सीओएलआर) को कम्प्यूटरीकरण योजना में प्रायोजित किया था।
- बजट 2016 में, सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण फिर से शुरू किया गया था।

वर्तमान स्थिति

- आँकड़ों के मुताबिक दो राज्य (कर्नाटक और ओडिशा) और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि अभिलेखों का 100% कम्प्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।
- उन्नीस राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अधिकारों के डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड (RORs) जारी करना शुरू कर दिया है।

एलएनआरएमपी से लाभ

- नागरिकों को वास्तविक समय में भूमि स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध होंगे।
- अभिलेखों की निःशुल्क प्राप्ति से नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के बीच संपर्क कम से कम होगा, परिणामस्वरूप घूसखोरी और परेशानी में कमी आयेगी।

चुनौतियाँ

- इस योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण तो किया गया है लेकिन भूमि स्वामित्व संबंधित समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- भूमि पर स्वामित्व विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए कई दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिससे उन तक पहुँचना बोझिल हो जाता है।

आगे की राह

- भारत में ऐसी प्रणाली को अपनाने के लिए कई उपायों की आवश्यकता होगी। इसके लिए पंजीकृत संपत्ति अधिकार की एक प्रणाली को स्वामित्व के प्राथमिक सबूत के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा भूमि अभिलेखों की जानकारी जो वर्तमान में कई विभागों से जुटानी होती है को समेकित करने की आवश्यकता है। ■

भारत में अनाज भण्डारणः एक अनवरत समस्या

प्र. 'भारत में निरपेक्ष गरीबी की स्थितियाँ विद्यमान हैं व लोग भूख से मर रहे हैं, ऐसे में अनाज का एक भी दाना बर्बाद करना अपराध के समान है।' इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसके साथ ही अनाज की बर्बादी रोकने हेतु मौलिक उपाय सुझाइए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- भारत में व्याप्त गरीबी
- भारत में खाद्यान्न भण्डारण एवं प्रबंधन
- खाद्यान्न भण्डारण से सम्बन्धित मुद्दे व चुनौतियाँ
- खाद्यान्न बर्बादी को रोकने हेतु सरकारी प्रयास
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- भारत में हर वर्ष लाखों टन अनाज बर्बाद हो जाता है। इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण अनपयुक्त व अवैज्ञानिक खाद्यान्न भण्डारण है।

भारत में व्याप्त गरीबी

- विभिन्न सरकारी रिपोर्टों व 'वैश्विक भूख सूचकांक' में भारत की निम्नतम स्थिति से पता चलता है कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं जिसके कारण वे भुखमरी का शिकार होते हैं।

भारत में खाद्यान्न भण्डारण एवं प्रबंधन

- 'भारतीय खाद्य निगम' भारत में खाद्य अनाजों के खरीद, भण्डारण और परिचालन आदि हेतु नोडल एजेंसी है। यह केंद्रीय भण्डार निगम, राज्य भण्डार निगमों और विभिन्न प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित रीतियों से खाद्यान्न के भण्डारण व परिचालन को सुचारू रूप से प्रबंधित करती है-
  - कवर्ड भण्डारण
  - कवर और प्लिंथ विधि
  - सिलो बैग तकनीक

खाद्यान्न भण्डारण से संबंधित मुद्दे व चुनौतियाँ

- खेत के स्तर पर भण्डारण सुविधा का अभाव।
- गोदामों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन।
- खुले में 'CAP विधि' से अनाज का भण्डारण।
- स्वास्थ्य की चुनौतियाँ।
- 'प्रथम-प्रवेश-प्रथम-निर्गत सिद्धांत' का अनुपालन न होना।

खाद्यान्न बर्बादी को रोकने हेतु सरकारी प्रयास

- खाद्यान्नों के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति।
- ग्रामीण भण्डारण योजना।
- पीईजी स्कीम।

आगे की राह

- शांताकुमार समिति की सिफारिशों को लागू करना होगा।
- प्रबंधन प्रोटोकॉल को विकसित करना।
- अनाज के भण्डारण, प्रबंधन व निगरानी जैसे कार्यों के लिए 'शोध व विकास' पर बल देना।
- एकीकृत सॉफ्टवेयर को विकसित करना। ■

भारत की गतिशीलता का रूपांतरणः भविष्य की राह

प्र. भारत में शहरी परिवहन पर नीति आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए बताइए कि शहरी परिवहन के समक्ष कौन-सी समस्याएँ मौजूद हैं? इस संदर्भ में उपयुक्त सुझाव भी दे?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- नीति आयोग की सिफारिशें
- शहरी परिवहन के समक्ष समस्याएँ
- शहरी परिवहन पर सुझाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में नीति आयोग और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 में "ट्रांस फार्मिंग इंडिया की गतिशलता" नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

नीति आयोग की सिफारिशें

- भारत में महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सुरक्षित, पर्याप्त और समग्र आधारभूत संरचना की व्यवस्था करना।
- जन सुलभ सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।
- यात्रा को अनुकूलित करना।
- शहरी क्षेत्रों में यात्री और माल प्रवाह के लिए भीड़ को नियंत्रित करना।
- बाधा रहित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना।
- ग्रीन मोड टेक्नोलॉजी को अपनाना।
- स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर बल देना।

भारत में शहरी परिवहन की समस्याएँ

- परिवहन की संख्या में बढ़ोतरी
- शहरी प्रदूषण
- सड़क सुरक्षा
- अनियोजित शहरीकरण
- परिवहन और महिला सुरक्षा

भारत में शहरी परिवहन की समस्या को लेकर सुझाव

- सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढाँचें को प्रभावित करने वाली समस्या का समाधान करना।
- संस्थागत एजेंसियों, विभागों और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
- निजी कारों के उपयोग को हतोत्साहित करना।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपातकालीन हेल्पलाइनों, होमगार्डों की व्यवस्था करना।
- कम दूरी की यात्रा के लिए गैर मोटर चालित परिवहन को प्रोत्साहित करना।
- पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैदल लेन बनाना।
- यात्रा समस्या समाधान के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाए।

आगे की राह

- नीति आयोग द्वारा मोबिलिटी शिखर सम्मेलन में जो सिफारिशें पेश की गयी है वे अपने-आप में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो सकती है जरूरत इसके सही क्रियान्वयन की है। ■

हिमालयी जलस्रोतों पर नीति आयोग की रिपोर्ट

प्र. हाल ही में नीति आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने "जल सुरक्षा के लिए हिमालय क्षेत्र में जल स्रोतों की सूची और पुनरूद्धार" नामक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में समिति द्वारा दिये गये सुझावों की समीक्षा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- पृष्ठभूमि
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र
- आईएचआर के जल स्रोतों के सूखने के कारण
- प्रभाव
- प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ
- आयोग की प्रमुख सिफारिशें

चर्चा का कारण

- नीति आयोग ने सरकार से देश के हिमालयी राज्यों में जल स्रोत के प्रणालियों में आ रही गिरावट से बचाने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए एक समर्पित मिशन स्थापित करने की सिफारिश की है।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आधे से अधिक बारहमासी जलस्रोत पहले ही सूख गये हैं या मौसम आधारित हो गय हैं।

परिचय

- भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) के 10 राज्यों पहाड़ी जिलों में लाखों लोगों और उनके पशुओं के लिए पानी का मुख्य स्रोत यही जलस्रोत हैं।
- वास्तव में इसका विस्तार पूरे हिमालयी क्षेत्र में अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैल रहा है।

पृष्ठभूमि

- नीति आयोग ने विचार-विमर्श के लिए पाँच विषयगत क्षेत्रों की पहचान की है। जिनमें मुख्य हैं-
- आविष्कार और जल सुरक्षा के लिए हिमालयी क्षेत्र में झरनों को फिर से पुनर्जीवित करना।
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR)

- हिमालय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊँची पर्वत शृंखला है जिनमें 8 देश जैसे- अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार इससे लगे हुए हैं।
- 9 प्रमुख बारहमासी नदियों जैसे- सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्विन मेकांग, तारिम, यांग्त्से तथा पीली नदी का उद्‌गम स्रोत हिमालय ही है।

आईएचआर के जल स्रोत सूखने के कारण

- पानी के माँग में वृद्धि, भूमि उपयोग में परिवर्तन, पास्थितिकीय ह्रास, जलवायु परिवर्तन, बारिश की तीव्रता में वृद्धि लेकिन फैलाव में कमी, सर्दियों में होने वाली बारिश में उल्लेखनीय कमी आदि।

प्रभाव

- खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी।
- हिमालयी क्षेत्रों में पाये जाने वाले पारिस्थिकीतंत्र तथा जीव-जंतुओं में व्यापक ह्रास की घटनाएँ देखी जा रही है।
- व्यापक रूप से लोगों का पलायन।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

- हिमालयी क्षेत्र में ऊँचाई पर स्थित गाँवों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हिमालय से उत्पन्न होने वाली धाराओं के माध्यम से बहने वाले ताजे पानी का अधिकांश हिस्सा उनके लिए उपलब्ध नहीं है।
- झरनों के जल विज्ञान में किसी भी तरह के बदलाव से हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विज्ञान पर विचलन अवश्य परिलक्षित होगा।

आयोग की प्रमुख सिफारिशें

- नीति आयोग ने अपने सुझाव में कहा है कि सरकार को तीन चरणों वाली योजनाएँ तैयार करनी चाहिए।
  - पहला- 4 साल का शॉर्ट टर्म प्लान।
  - दूसरा- 5-8 साल का मिड टर्म प्लान।
  - तीसरा- 8 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान।
- शॉट टर्म प्लान में जलधाराओं की मॉनिटरिंग की जाए। मिड टर्म प्लान में इसके मैनेजमेंट का प्लान तैयार हो और लॉन्ग टर्म प्लान में इस पर अमल हो। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. आइएनएमएएस की पहली स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट

परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान (आइएनएमएएस) के वैज्ञानिकों ने स्वदेश निर्मित पहली एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इससे परमाणु युद्ध या रेडियोधर्मी विकिरण की वजह से गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज किया जा सकेगा।

देश की सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बलों और पुलिस की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिकों द्वारा तैयार इस किट को बेहद उपयोगी माना जा रहा है। इस किट का परमाणु हमले की स्थिति में लोगों को विकिरण के संपर्क में आने से रोकने में भी उपयोग किया जा सकेगा।

एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट

- वैज्ञानिकों ने 20 वर्षों के निरंतर प्रयासों से इस किट को तैयार किया है।
- इस किट में लगभग 25 सामग्रियाँ हैं, जिनका अलग-अलग इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इनमें विकिरण के असर को कम करनेवाले रेडियो प्रोटेक्टर, बैंडेज, गोलियां, मलहम आदि शामिल हैं।
- इस किट में हल्के नीले रंग की गोलियां हैं, जो रेडियो सेसियम (सीएस-137) और रेडियो थैलियम आदि के असर को लगभग खत्म कर देती हैं।
- यह खतरनाक रसायन परमाणु बम का हिस्सा होता है। जो मानव शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है।
- यह गोली मानव शरीर में प्रवेश करने वाले विकिरणों को पूरी तरह से अवशोषित कर लेने में सक्षम है।
- इसमें एक एसिड (ईडीटीए) का इन्जेक्शन भी है, जो परमाणु हमले के दौरान यूरेनियम को शरीर में फैलने से रोकता है।
- इस किट में सीए-ईडीटीए द्रव है, जिसे इंजेक्शन के जरिये शरीर में दिया जाता है।

स्वदेशी रूप से इस किट का निर्माण पहली बार किया गया है। इससे देश को काफी फायदा होगा। अब तक भारत इस किट को सामरिक रूप से उन्नत राष्ट्रों जैसे रूस और अमेरिका से खरीदता था, जिसके लिए भारी कीमत चुकानी होती थी। आइएनएमएएस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार फिलहाल यह किट केवल अर्धसैनिक बलों और पुलिस वालों के लिए बनाई गई है, जिनको विकिरण का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इनका इस्तेमाल किसी परमाणु, रासायनिक हमले के दौरान या उसके बाद चलाए जाने वाले बचाव अभियान के दौरान ही किया जाएगा। ■

2. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India – AWBI) उन नियमों को कड़ाई से लागू नहीं कर रहा है जिनमें बताया गया है कि फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में वन्य पशुओं का चित्रण किस प्रकार हो।

आरोप क्या है?

ज्ञातव्य है कि AWBI की उप-समिति फिल्म निर्माताओं के आवेदनों की छंटनी करता है। मेनका गाँधी का कहना है कि इन आवेदनों में यह समिति उन विवरणों को नहीं मानती जिनसे पता चले कि सम्बन्धित जीव संरक्षित है अथवा नहीं।

उप-समिति ने कई बार ऐसे चित्रण को भी अनुमति दे दी है जिसके कारण पशुओं के प्रति क्रूरता को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार AWBI सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गये आदेशों का उल्लंघन कर रही है।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) क्या है?

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) एक वैधानिक परामर्शदाता निकाय है जिसका गठन पशु क्रूरता निषेध अधिनियम, 1960 के अनुभाग 4 के तहत 1962 में किया गया था। यह बोर्ड भारत सरकार को पशु कल्याण कानूनों के बारे में परामर्श देता है और देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। इस बोर्ड का आरम्भ प्रसिद्ध मानवतावादी श्रीमती रूकमणी देवी अरूणेडले के तत्त्वाधान में हुआ था।

- आरम्भ में यह बोर्ड भारत सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन था, परन्तु 1990 से यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है।
- इस बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल तीन वर्षों का होता है।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) देश के सभी पशु कल्याण संगठनों को मान्यता देने का काम करता है। ■

3. अप्सरा परमाणु रिएक्टर 09 वर्ष बाद पुनः आरंभ किया गया

देश के सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर 'अप्सरा' को अधिक क्षमता के साथ फिर से शुरू किया गया है। इस रिएक्टर की मरम्मत कर इसे नया रूप देने के लिए 2009 में स्थाई तौर पर बंद कर दिया गया था।

भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बार्क) ने बयान जारी कर कहा कि रिएक्टर को और बेहतर बनाने के बाद 10 सितंबर 2018 को फिर से शुरू किया गया। अप्सरा रिएक्टर के इस मॉडल को 'अप्सरा-अपग्रेडेड' (अप्सरा-यू) के नाम से जाना जायेगा।

भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डा. होमी जे भाभा के अनुसार, "अनुसंधान रिएक्टर देश के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ होते हैं।"

इसी बात का महत्व समझते हुए अप्सरा रिएक्टर को ट्रॉम्बे कैंपस में अगस्त 1956 में आरंभ किया गया था। अप्सरा एक हल्के स्विमिंग पूल जैसा रिएक्टर है जिसकी अधिकतम क्षमता एक मेगावाट थर्मल है। यह रिएक्टर एल्युमीनियम मिश्रित प्लेटों के रूप में समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग करता है।

अप्सरा-यू अनुसंधान रिएक्टर

- अप्सरा अस्तित्व में आने के बाद 62 साल बाद उच्च क्षमता का यह स्विमिंग पूल के आकार का रिएक्टर दोबारा आरंभ हुआ है।
- रिएक्टर, स्वदेशी, समृद्ध यूरेनियम (LEU) से बने प्लेट ईंधन तत्वों का उपयोग करता है।
- यह रिएक्टर चिकित्सा क्षेत्र के लिए स्वदेशी उत्पादन या रेडियो-आइसोटोप को लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ा देगा।
- इस रिएक्टर का इस्तेमाल विकिरण क्षति के अध्ययन, फोरेंसिक शोध, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी और परिरक्षण प्रयोगों के लिए होता है।
- इस रिएक्टर की अधिकतम क्षमता एक मेगावाट थी जिसका उन्नयन कर इसे 2 मेगावाट किया गया है।
- इस अनुसंधान रिएक्टर द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की स्वास्थ्य सुविधाओं, वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान के लिए जटिल सुविधाओं के निर्माण करने की क्षमता पर फिर से जोर दिया जायेगा। ■

4. एचआईवी/एड्स अधिनियम नई अधिसूचना

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एचआईवी/एड्स अधिनियम, 2017 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि 10 सितंबर 2018 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

पीड़ितों को उनके लाभ तक के लिए इस अधिनियम का लाभ हासिल हो सकता है। साथ ही अधिनयिम के लागू हो जाने के बाद एचआईवी या एड्स पीड़ितों को संपत्ति में पूरा अधिकार और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हर संभव सहायता मिल सकेगी। अधिनियम में साफ किया गया है कि इस तरह के मरीजों से भेदभाव को अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।

एचआईवी/एड्स अधिनियम, 2017 के प्रमुख तथ्य

- यह अधिनियम एचआईवी पीड़ित नाबालिग को परिवार के साथ रहने का अधिकार देता है तथा उनके खिलाफ भेदभाव करने और नफरत फैलाने से रोकता है।
- इस अधिनियम के तहत मरीज को एंटी-रेट्रोवाइरल थेरेपी का न्यायिक अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक एचआईवी मरीज को एचआईवी प्रिवेंशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और काउंसलिंग सर्विसेज का अधिकार मिलेगा।
- इस अधिनियम में राज्य और केंद्र सरकार को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि वे एचआईवी पीड़ितों में इंफेक्शन रोकने और उचित उपचार देने में मदद करें।
- राज्य सरकारों को इन मरीजों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने को भी कहा गया है।
- किसी भी मरीज को उसकी सहमति के बिना एचआईवी टेस्ट या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
- एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति तभी अपना स्टेटस उजागर करने पर मजबूर होगा, जब इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर लिया जाएगा।
- यह भी कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक और मेडिकल रिसर्च के उद्देश्यों के लिए सहमति की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि उस व्यक्ति के एचआईवी स्टेटस को सार्वजनिक न किया जाए।

एचआईवी पीड़ितों से भेदभाव पर सजा

इस अधिनियम में इन मरीजों के खिलाफ भेदभाव को भी परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि मरीजों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रॉपर्टी, किराए पर मकान जैसी सुविधाओं को देने से इनकार करना या किसी तरह का अन्याय करना भेदभाव माना जायेगा। इसके साथ ही किसी को नौकरी, शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा देने से पहले एचआईवी टेस्ट करवाना भी भेदभाव माना जायेगा। अधिनियम में बताया गया है कि इस तरह के मरीजो से भेदभाव को अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा।

भारत में इस अधिनियम की आवश्यकता

- यूएनएड्स (UNAIDS) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2015 तक लगभग 20 लाख लोग एचआईवी पीड़ित थे। वर्ष 2015 में 68,000 से ज्यादा एड्स से संबंधित मौतें हुई थीं, वहीं 86,000 नए लोगों में एचआईवी इन्फेक्शन के लक्षण पाए गए थे। अब तक यह संख्या लाखों में हो गई होगी। इसके साथ ही एचआईवी/एड्स पीड़ितों के साथ भेदभाव की समस्या भी भारत में पाई गई इसलिए यह अधिनियम काफी अहम माना जा रहा है। ■

5. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि का शुभारंभ किया। इस योजना से 50 हजार गांवों में 95 लाख दूध उत्पादक लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही अनेक कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल कर्मियों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय डेयरी प्लान चरण- 1 योजना का कार्यान्वयन भी एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य के सहकारी दुग्ध संगठनों/दुग्ध फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना का क्रियान्वयन 14 राज्यों से बढ़ाकर 18 राज्यों में कर दिया गया है।

योजना की विशेषताएं

- इस योजना के तहत प्रतिदिन 126 लाख लीटर की अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, प्रतिदिन 210 टन दूध को सुखाने की क्षमता, 28000 ग्रामीण स्तर पर बल्क मिल्क कूलर की स्थापना से प्रतिदिन 140 लाख लीटर की दुग्ध अवशीतन क्षमता का सृजन किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत दुग्ध सहकारी संस्थाओं को 8004 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ऋण के रूप मे 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी जिसकी भरपाई 10 वर्ष की अवधि में करनी होगी।
- ऋण पर भारत सरकार ने ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी रखा है। अब तक 1148 करोड़ रुपये की कुल 15 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें कर्नाटक (776.39 करोड़ रुपये - 5 उप-परियोजनाएं), पंजाब (318. 01 करोड़ रुपये की 4 उप-परियोजनाएं) और हरियाणा (54.21 करोड़ रुपये की 6 उप-परियोजनाएं) शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत वर्तमान सरकार द्वारा मार्च, 2018 तक 29 राज्यों से आये प्रस्तावों के लिए 1600 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 686 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 20 गोकुल ग्राम इसी योजना के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे हैं। ■

6. ऋण वसूली प्राधिकरण

केंद्र सरकार द्वारा ऋण वसूली प्राधिकरणों (Debts Recovery Tribunals – DRT) के पास ऋण वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा किये गये आवेदन हेतु वित्त की सीमा दस लाख रु. से बढ़ाकर बीस लाख रु. कर दी गई है।

इसके निहितार्थ

देश भर के 39 ऋण वसूली प्राधिकरणों के पास लंबित मामलों की संख्या घटाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यदि अब बाकी कर्ज की राशि 20 लाख रु. से कम है तो कोई बैंक अथवा वित्तीय संस्था DRT में मामला दर्ज नहीं कर पायेगा।

ऋण वसूली प्राधिकरण – DRT क्या है?

- ऋण वसूली प्राधिकरणों की स्थापना बैंकों और अन्य वित्त संस्थानों के ग्राहकों से ऋण की वसूली करने के लिए की गई थी। इन प्राधिकरणों की स्थापना बैंकों एवं वित्तीय संथाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act – RDBBFI, 1993) के अंतर्गत हुई थी।
- DRT के द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऋण वसूली अपीलीय प्राधिकरण (Debts Recovery Appellate Tribunal – DRAT) के पास की जा सकती है।
- DRT का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक ऐसा अधिकारी होता है जो जिला जज बनने की योग्यता रखता हो।
- इसका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र तक होता है।

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त देश का कोई भी न्यायालय प्राधिकरण द्वारा विचारित मामले पर क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। ■

7. कुष्ठ रोग पीड़ितों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने हाल ही में कुष्ठ रोग के मुफ्त इलाज की उपलब्धता के बारे में जागरुकता फैलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए और कुष्ठ रोग के मरीजों का उचित इलाज सुनिश्चित करने और उनके खिलाफ भेदभाव खत्म करने को कहा। अदालत ने कुष्ठ रोग के इलाज को लेकर सरकार को बड़े स्तर पर जागरुकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि कुष्ठ रोग मरीजों को परिवार या समुदाय से अलग नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, "जागरुकता अभियान में यह बात जरूर शामिल होनी चाहिए कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को किसी विशेष क्लीनिक या अस्पताल या आरोग्य आश्रम में भेजने की जरूरत नहीं है और उसे परिवार के सदस्यों या समुदाय से अलग नहीं किया जाना चाहिए। प्रचार में यह बात सूचित करना चाहिए कि कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति एक सामान्य वैवाहिक जीवन जी सकता है और बच्चे पाल सकता है, सामाजिक समारोह में भाग ले सकता है और सामान्य रूप से कार्य कर सकता या स्कूल जा सकता है। कुष्ठ रोग के मरीजों की समाज में स्वीकार्यता से और इस रोग से जुड़े कलंक को कम किया जा सकता है।"

अंतर्राष्ट्रीय

1. संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर-सचिव एवं मिशन निदेशक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स (UN Interagency Task Force – UNIATF) पुरष्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरष्कार उन्हें असंक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करने तथा सम्बंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान हेतु दिया गया है।

UNIATF क्या है?

UNIATF का गठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामजिक परिषद् (ECOSOC) के जुलाई, 2013 के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। इस कार्यदल (task force) की बैठक का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के माध्यम से इस विषय में ECOSOC को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

UNIATF के कार्य

- UNIATF का काम संयुक्त राष्ट्र के असंक्रामक रोग के विषय में निर्गत राजनैतिक घोषणा में लिए गये संकल्पों को चरितार्थ करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रमों, कोषों एवं विशेषज्ञ एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना है।
- सतत विकास के 2030 एजेंडा को देखते हुए UNIATF का कार्यक्षेत्र 2016 में बढ़ाते हुए उसमें उन विषयों को भी शामिल किया है जो असंक्रामक रोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे– मानसिक स्वास्थ्य, हिंसा एवं शारीरिक क्षति, पोषण और पर्यावरणिक समस्याएँ।

असंक्रामक रोग (NCD) क्या हैं?

असंक्रामक रोग लम्बे चलने वाले रोग हैं जो आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरणगत, व्यवहारगत कारणों से होते हैं। यह प्रमुख असंक्रामक रोग हैं- ह्रदयरोग (जैसे- हार्ट अटैक और स्ट्रोक), कैंसर, दमा और श्वास रोग एवं मधुमेह।

असंक्रामक रोगों से क्षति

- असंक्रामक रोगों से प्रत्येक वर्ष 41 मिलियन लोग मरते हैं जो कुल मृत्यु का 71% है।
- असंक्रामक रोगों से प्रति वर्ष मरने वाले 30 से 69 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या 15 मिलियन है जिनमें 85% मृत्यु असामयिक कहलाती है जो निम्न और माध्यम आय वाले देशों में होती है।

असंक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु ह्रदय रोग (17.9 मिलियन), कैंसर (9 मिलियन), श्वास रोग (3.9 मिलियन) और मधुमेह (1.6 मिलियन) से होती है। ■

2. भारत–बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2018 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश में तीन आधारभूत परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इन तीनों परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी, उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने संयुक्त रूप से उदघाटन किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके बांग्लादेशी समकक्ष भी इस मौके पर उपस्थित थे।

भारत-बांग्लादेश संयुक्त परियोजनाएं

भारत–बांग्लादेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं- भरमार (बांग्लादेश)- बहरामपुर (भारत) अंतरसंपर्क के जरिए भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, अखौरा-अगरतला रेल लिंक और बांग्लादेश रेलवे के कुलौरा- शाहबाजपुर खंड का पुनरूद्धार।

कुलौरा-शाहबाजपुर खंड का पुनरूद्धार: इस परियोजना के तहत, पुल और पुल भवन का निर्माण किया गया है। इसमें प्लेटफार्म के साथ स्टेशन और पैदल क्रॉसिंग और रेलवे लाइन के सुधार के साथ शेड भी बनाया गया। इसके अंतर्गत 44.77 किलोमीटर की मेनलाइन तथा 7.77 किलोमीटर की लूपलाइन का भी पुनर्निर्माण किया गया है।

भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावाट विद्युत् आपूर्तिः भारत द्वारा मौजूदा भरमार (बांग्लादेश) से बहरामपुर (भारत) में इंटरकनेक्टिविटी स्थापित की गई है। इसके द्वारा भारत बांग्लादेश को 1.16 गीगावाट बिजली आपूर्ति करेगा। इस परियोजना के बारे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बांग्लादेश यात्रा के दौरान वर्ष 2015 में घोषणा की गई थी।

अखौरा-अगरतला रेल लिंकः इस रेल परियोजना को वर्ष 2010 में तय किया गया था। इसके उपरांत दोनों देशों ने वर्ष 2013 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर करके इस रेल परियोजना को आरंभ किया। माना जा रहा है कि यह रेल लाइन वर्ष 2019 में काम करना आरंभ कर देगी। इसके तहत 15.054 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का निर्माण किया जाना है। इस रेल लिंक द्वारा भारत और बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर संपर्क करने में सक्षम हो जायेंगे। इससे न केवल दोनों देशों के मध्य आर्थिक-सामाजिक तालमेल बढ़ेगा बल्कि सांस्कृतिक तालमेल भी बढ़ेगा। ■

3. नासा का क्यूरोसिटी रोवर

अंतरिक्ष एजेंसी नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के भूदृश्य के समग्र नजारों को कैमरे में कैद कर धरती पर भेजा है। इन तस्वीरों में लाल ग्रह पर हफ्तों चली धूल भरी आंधी के धीरे-धीरे छंटने के बाद लाल-भूरे रंग का हुआ आसमान देखा जा सकता है। क्यूरोसिटी रोवर द्वारा लिए गए तस्वीरों के इस संग्रह में उसके अपने कैमरे से लिया गया वह दुर्लभ दृश्य भी शामिल है जिसमें उसके ऊपरी हिस्से पर धूल की पतली परत जमी हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें वेरा रूबिन रिज से ली गई हैं जहां रोवर फिलहाल मौजूद है। नासा ने एक बयान में कहा कि रोवर ने नौ अगस्त को पत्थरों का एक नया नमूना एकत्रित करने के बाद ग्रह के आस-पास का अध्ययन किया था। इससे पहले ड्रिल करने के उसके आखिरी दो प्रयास बेहद कठोर चट्टानों की वजह से विफल हो गए थे। इसके बाद रोवर ने इस साल ड्रिल करने की एक नई प्रक्रिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। चट्टानों की कठोरता का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। ड्रिल करने के बाद ही इसका पता चलता है।

इसलिए रोवर टीम ने इस नई ड्रिलिंग गतिविधि के लिए यह तरीका अपनाया। नासा जेट प्रपल्शन लैबोरेटरी में क्यूरोसिटी के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट अश्विन वसावदा के मुताबिक वेरा रूबिन रिज की बनावट और रंग में बहुत विविधताएं हैं इसलिए रोवर टीम ने सबसे पहले ड्रिलिंग के लिए इस जगह को चुना है। ■

4. विश्व ऋतु विज्ञान संगठन की भविष्यवाणी

विश्व ऋतु विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation) ने भविष्यवाणी की है कि इस वर्ष के अंत-अंत तक 70% संभावना है कि एक अल-नीनो (Al Nino) विकसित हो। ENSO के गरम होने वाले चरण को अल-नीनो कहते हैं।

संगठन का अनुमान है कि इस कारण अधिकांश एशिया-प्रशांत क्षेत्र, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के तटीय प्रदेशों में धरातलीय तापमान ऊँचा रहेगा। इस लक्षण से दक्षिणी अमेरिका के अन्दरूनी हिस्से, ग्रीनलैंड, कई दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्वीप और कुछ कैरीबियाई द्वीप बचे रहेंगे।

ENSO क्या है?

ENSO का full form है- El Nino Southern Oscillation। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह पवनों और समुद्र-तल के तापमान में होने वाले उस अनियमित और सामयिक परिवर्तन का नाम है जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत सागर में होता है। ENSO का प्रभाव भूमध्यरेखा के आस-पास के क्षेत्रों और उष्ण कटिबंध के समीप स्थित क्षेत्रों पर पड़ता है। ENSO के गरम होने वाले चरण को अल-नीनो और ठन्डे होने वाले चरण को ला नीना (La Nina) कहते हैं।

El Nino क्या है?

El Nino एक जलवायवीय चक्र है जिसके अंतर्गत प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में हवा का दबाव ऊँचा होता है और पूर्वी प्रशांत सागर में हवा का दबाव कम होता है। अल नीनो के प्रभाव से एशियाई समुद्र तल के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस का उछाल आ सकता है। साथ ही पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित देशों इक्वेडोर, पेरू और चिली के तटों पर ठंडा पानी उठकर समुद्र तल पर आ जाता है। गहराई से पानी के ऊपर आने के इस प्रक्रिया से एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सहायता मिलती है।

El Nino के प्रभाव

- El Nino वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है। इसके कारण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में Hurricane और ऊष्ण कटिबंधीय आंधियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके चलते पेरू, चिली और इक्वेडोर में अभूतपूर्व एवं असामान्य वृष्टिपात होता है।
- अल नीनो के कारण ठन्डे पानी का ऊपर आना घट जाता है और परिणामस्वरूप समुद्र तल के पोषक तत्त्व ऊपर नहीं आ पाते हैं। इससे समुद्री जीवों और पक्षियों के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मत्स्य उद्योग को भी क्षति पहुँचती है।
- अल नीनो के कारण दक्षिण अफ्रीका, भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सूखा पड़ने लगता है। अत: खेती को क्षति पहुँचती है।
- ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया पहले से अधिक गर्म हो जाते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में सूचित किया है कि अल-नीनो के कारण मच्छरों से होने वाले रोग फैलते हैं।

La Nina का प्रभाव

La Nina का प्रभाव El Nino के ठीक उल्टा होता है। इसके कारण द. पू. एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सामान्य से अधिक वृष्टिपात होता है और द. अमेरिका तथा अमेरिका के खाड़ी तट में सामान्य से अधिक तापमान उत्पन्न होता है।■

5. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टानियो गूटेरस (Antonio Guterres) ने फिर से अमेरिका और भारत सहित 8 देशों से यह अनुरोध किया है कि वे CTBT की पुष्टि करे जिससे विश्व को आणविक अस्त्रों से मुक्त रखने के वैश्विक प्रयास सार्थक हो सकें। CTBT का full form है- Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty अर्थात् व्यापक अणु परीक्षण अनुबंध संधि।

पृष्ठभूमि

अब तक 180 से अधिक देशों ने CTBT पर हस्ताक्षर किये हैं और उनमें अधिकांश ने उसकी पुष्टि भी कर दी है। परन्तु यह संधि तभी प्रभावी होगी जब इसकी पुष्टि वे आठ देश न कर दें जिनके पास आणविक क्षमता है। ये देश हैं- चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका।

CTBT क्या है?

CTBT एक ऐसी संधि है जो सभी प्रकार के आणविक विस्फोट को निषिद्ध करती है। इस संधि की रुपरेखा जेनेवा में हुए निरस्त्रीकरण सम्मलेन में तैयार की गई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंगीकृत कर लिया था। 24 सितम्बर, 1996 से यह संधि हस्ताक्षर के लिए खुली हुई है।

भारत और CTBT

भारत को आरम्भ से ही CTBT पर कुछ आपत्तियाँ हैं। भारत भी चाहता है कि यह विश्व आणविक अस्त्रों से मुक्त हो पर उसका कहना है कि निरस्त्रीकरण एक अंतिम लक्ष्य है जिसका मार्ग परीक्षण पर प्रतिबंध से होकर जाता है। भारत के अनुसार यह एक जटिल विषय है। भारत को संधि की धारा 14 के Entry-into-force (EIF) अनुच्छेद पर भी आपत्ति है क्योंकि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में प्रतिभागिता को स्वेच्छा से रोके रखने के अधिकार का यह उल्लंघन है।

संधि की आवश्यकता

आणविक निरस्त्रीकरण और आणविक अप्रसार के लक्ष्य को पाने में CTBT की एक प्रमुख भूमिका है। इस संधि के बने हुए 20 वर्ष हो गये हैं पर अभी भी इसे लागू नहीं किया जा सका है। इसे लागू करने में विफलता के कारण इसे पूरे तौर से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है। ■

6. विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान

विश्व भर में समुद्रों से प्रदूषण हटाने तथा समुद्रों की सफाई करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान 'ओशियन क्लीनअप' कैलिफोर्निया से आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य समुद्र से प्लास्टिक तथा अन्य कचरा निकालना एवं समुद्र को प्रदूषित होने से बचाना है।

इस अभियान की शुरुआत करने वाले "बोयान स्लाट" नामक 24 वर्षीय युवा हैं। उनके अभियान को विश्व भर के वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया। छह वर्ष तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद इसे 08 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया।

प्रोजेक्ट ओशियन क्लीनअप

- इस अभियान के तहत समुद्र में 'यू' आकार का 2,000 फुट का कलेक्शन सिस्टम डाला गया है जिसकी मदद से पानी में मिले कचरे को अलग किया जाता है।
- इस अभियान के तहत सबसे पहले कैलिफॉर्निया से हवाई तक लगभग 6,00,000 किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र को साफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- अनुमानित क्षेत्र 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर अर्थात टेक्सास के आकार से दोगुना अथवा फ्रांस के आकार का तीन गुना है।
- इस क्षेत्र में 80 हजार टन प्लास्टिक कचरा होने का अनुमान है जो कि 500 जंबो जेट विमानों के वजन के समान है।
- इस अभियान का लक्ष्य है कि हर साल समुद्र से करीब 50 टन कचरा साफ किया जा सके।
- यही नहीं समुद्र से निकाले जाने के बाद उन प्लास्टिक के कचरों को रिसाइकल करने की भी योजना बनाई गई है।

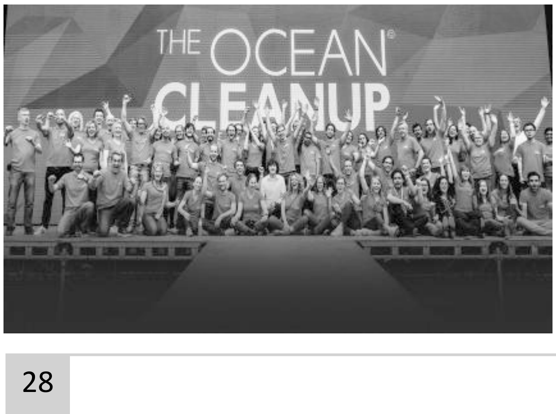

क्या है तरीका?

बोयान स्लाट और उनकी टीम ने "पैसिव ड्रिफ्टिंग सिस्टम" नाम से एक विधि तैयार की है जिसमें पानी की सतह पर 600 मीटर लंबा एक फ्लोटर लगाया गया है। इसमें तीन मीटर गहराई तक एक जाल लगाया गया है जिसपर समुद्री किनारों से आने वाला कचरा एकत्रित होता है। जैसे-जैसे इस फ्लोटर के साथ कचरा जमा होता जाता है, यह 'यू' आकार में आता रहता है। कचरा एकत्रित हो जाने पर इसे समुद्री जहाज के साथ बांध कर किनारे तक लाया जा सकता है। इसमें प्राप्त हुए प्लास्टिक कचरे को रीसायकल करके उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है।

बोयान स्लाट के बारे में जानकारी

- डच नागरिक बोयान स्लाट जब सिर्फ 18 साल के थे तभी उन्होंने द ओशियन क्लीनअप नामक संस्था की शुरुआत की थी।
- बोयान अब से आठ साल पहले जब 16 साल के थे तब उन्होंने समुद्र मार्ग से ग्रीस की यात्रा की और उस दौरान वे समुद्र में प्लास्टिक कचरे के अम्बार देख कर हैरान हुए।
- उन्होंने ग्रीस जाने के दौरान समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक देखी तो इस अभियान पर काम करने का निर्णय लिया।
- उन्होंने अपने प्रोटोटाइप के जरिये वैज्ञानिकों को समुद्री कचरे से निपटने का मार्ग सुझाया। उनके इस अभियान से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने इस पर काम करने का निर्णय लिया।

बोयान स्लाट को फोर्ब्स पत्रिका ने 2016 में 30 अंडर 30 सूची में स्थान दिया था। ■

7. विश्व में भूख की समस्या में लगातार तीसरे वर्ष बढ़ोतरी

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि 2030 तक भूख की समस्या को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य को बाधित करते हुए संघर्षों एवं जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप लगातार तीसरे वर्ष 2017 में वैश्विक भूख की समस्या में वृद्धि हुई।

प्रमुख बिंदु

- खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति की विश्व 2018 रिपोर्ट के अनुसार, लगभग पूरे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भूख की समस्या बढ़ रही है तथा 2017 में नौ में से एक व्यक्ति या 821 मिलियन लोग भूख से ग्रसित रहे।
- इस बीच, 2014 के 600 मिलियन की तुलना में मौजूदा समय में 672 मिलियन या प्रत्येक आठ वयस्कों में एक से अधिक वयस्क मोटापे से ग्रस्त हैं। सदस्य राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि और अधिक प्रयास किये बिना, 2030 तक भूख उन्मूलन के एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल है।
- यह लगातार तीसरा वर्ष था जब एक दशक तक गिरावट के बाद वैश्विक भूख के स्तर में वृद्धि हुई है। तापमान में बढ़ती विविधता; तीव्र अनियमित वर्षा और बदलते मौसम आदि ने खाद्य की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित किया है।
- संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले वर्ष 51 देशों में लगभग 124 मिलियन लोगों ने संघर्ष और जलवायु आपदाओं से प्रेरित भूख के संकट के स्तर का सामना किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन, सोमालिया, दक्षिण सूडान और अफगानिस्तान जैसे कई राष्ट्र जो लंबे समय से संघर्षों से जूझ रहे हैं, सूखे और बाढ़ जैसे एक या अधिक जलवायु खतरों से भी पीड़ित हैं।
- हाल ही में चौरिटी सेव द चिल्ड्रेन ने चेतावनी दी कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में वित्तपोषण कम होने और युद्धरत दलों द्वारा खाद्य आपूर्ति रोके जाने से 600,000 बच्चे इस वर्ष के अंत तक चरम भूख की वजह से मर सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दक्षिण अमेरिका में भूख की बदतर स्थिति, क्षेत्र की मुख्य निर्यातक वस्तुओं - विशेष रूप से कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की कमी के कारण अनुमानतः 2.3 मिलियन लोगों ने जून माह में वेनेजुएला छोड दिया था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भोजन की अनिश्चित या अपर्याप्त उपलब्धता मोटापे में भी योगदान देती है क्योंकि सीमित वित्तीय संसाधन वाले लोग सस्ते, ऊर्जा-सघन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का चयन कर सकते हैं जिसमें वसा, नमक और चीनी की उच्च मात्रा शामिल होती है।
- भोजन की अनुपलब्धता से मनोवैज्ञानिक और उपापचयी परिवर्तन भी हो सकते हैं। भ्रूणावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में भोजन की अनुपलब्धता जीवन में आगे चलकर मोटापे को आमंत्रित करता है।

भूख की समस्या का हल गरीबी को समाप्त करने से हो सकता है तथा इसके लिये परिवर्तनकारी निवेश की अत्यंत आवश्यकता है। कुछ बड़े एवं विकसित देश इस दिशा में मानवीय सहायता के रूप में बेहतर कार्य कर रहे हैं लेकिन ये प्रयास समस्या के मूल कारणों को लक्षित नहीं करते हैं, अतः भूख की समस्या अभी भी विकट बनी हुई है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

ई-विद्या भारती तथा ई-आरोग्य भारती

चर्चा का कारण

1.1 विदेश मंत्रालय और दूरसंचार परामर्शी भारत लिमिटेड ने ई-विद्या भारती तथा ई-आरोग्य भारती (e-VBAB) नेटवर्क परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

1.2 इस परियोजना के माध्यम से भारत और अफ्रीका के बीच ज्ञान और स्वास्थ्य के विषय में डिजिटल जानकारियों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

परियोजना क्या है?

2.1 यह परियोजना मुख्य रूप से अखिल अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना (चरण 1) का एक तकनीकी उन्नयन एवं विस्तार है, जो 2009 से लेकर 2017 तक अफ्रीका के 48 भागीदार देशों में कार्यान्वित की गई थी।

2.2 चरण 1 में भारत के शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को अफ्रीकी देशों से जोड़ते हुए टेली-शिक्षा और टेली-औषधि सफलतापूर्वक प्रदान की गई थी।

2.3 परियोजना के दूसरे पंचवर्षीय चरण में अफ्रीकी देशों के 4000 छात्रों को प्रतिवर्ष विभिन्न शैक्षणिक विषयों के टेली-शिक्षण पाठ्यक्रम नि:शुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

उपयोग

3.1 इस परियोजना का उपयोग अफ्रीकी डॉक्टरों/नर्सों/पैरा-चिकित्सकीय कर्मचारियों को बिना शुल्क के सतत चिकित्सकीय शिक्षा (प्रतिवर्ष) देने में किया जायेगा।

3.2 इसके अतिरिक्त इस परियोजना के माध्यम से भारत के डॉक्टर अफ्रीका के ऐसे डॉक्टरों को नि:शुल्क चिकित्सकीय परामर्श देंगे जो इस प्रकार का परामर्श चाहते हैं।

3.3 जो अफ्रीकी देश इस परियोजना का एक भाग बनना चाहते हैं उनमें ज्ञानार्जन केंद्रों की स्थापना की जायेगी तथा भारत में डाटा केंद्र एवं आपदा रिकवरी केंद्र स्थापित किया जायेंगे जिससे e-VBAB नेटवर्क परियोजना को संचलित किया जा सके।

कार्यप्रणाली

4.1 इसके लिये दो अलग-अलग मंच होंगे जो एक वेब-आधारित तकनीक के माध्यम से भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को परियोजना से जुड़े हुए अफ्रीकी देशों से जोड़ने का काम करेंगे।

4.2 भारत सरकार e-VBAB नेटवर्क परियोजना के लिए जब तक इसकी अवधि समाप्त न हो, के सम्पूर्ण कोष के लिए धन मुहैया कराएगी।

4.3 यह अफ्रीका के सभी भागीदार देशों की प्रतिभागिता के लिए खुली रहेगी। इस प्रकार यह परियोजना अफ्रीका के साथ भारत की विकास सम्बन्धी साझेदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

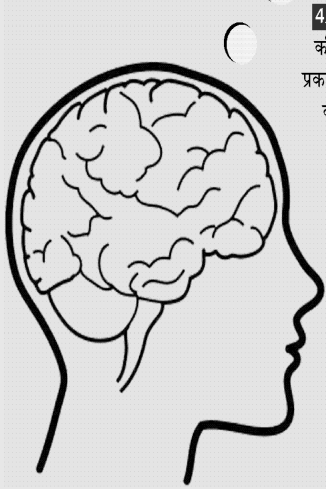

कोमकासा

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच पहला 2+2 संवाद हुआ। इसमें कोमकासा (COMCASA) नामक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

क्या है?

2.1 COMCASA का पूर्ण रूप है- Communications Compatibility and Security Agreement अर्थात् संचार एवं सुरक्षा समझौता।

2.2 कोमकासा उन चार आधारभूत समझौतों में से एक है जिसे अमेरिका अपने मित्र देशों और निकटस्थ सहभागीयों के साथ हस्ताक्षरित करता है जिससे कि उन देशों की सेनाएँ साथ-साथ कार्रवाई करने की स्थिति में आएँ। ऐसे समझौते अति उन्नत तकनीकों की बिक्री के लिए भी होते हैं।

2.3 कोमकासा भारत के लिए गढ़ा हुआ CISMOA (Communication and Information on Security Memorandum of Agreement) का एक संस्करण है जो तुरंत लागू हो जाएगा और दस वर्षों के लिए वैध रहेगा है।

2.4 कोमकासा अमेरिका के सैन्य मंचों, जैसे- C-17, C-130 और P-8Is एयरक्राफ्टों के लिए संचार व्यवस्था हेतु विशेष उपकरण भारत को मुहैया कराने की मंजूरी देता है।

लाभ

3.1 कोमकासा समझौता हो जाने पर अमेरिका को यह कानूनी अधिकार मिल जाएगा कि वह अपने संवेदनशील संचार उपकरणों को भारत को स्थानांरित कर सके।

3.2 इससे भारत को अमेरिकी गुप्त एजेंसियों के विशाल डेटाबेस और तात्क्षणिक दृश्य तक पहुँचने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी।

3.3 कोमकासा का निहितार्थ यह है कि भारत अब चीन और पाकिस्तान की सैन्य तैनातियों के विषय में अमेरिका के पास उपलब्ध तात्क्षणिक सूचनाओं का उपयोग कर सकेगा।

3.4 कोमकासा के माध्यम से भारत अमेरिका के समुद्र रक्षक सशस्त्र ड्रोन प्राप्त कर सकेगा।

मुख्य तथ्य

4.1 कोमकासा समझौते के तहत भारत अब अमेरिका से अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों और सी गार्डियन ड्रोन्स जैसे आर्म्ड ड्रोन्स को खरीद सकेगा।

4.2 इससे भारतीय सेना की जासूसी क्षमता बढ़ेगी और चीन समेत पड़ोसियों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

4.3 खास बात यह है कि अमेरिका अबतक सी गार्डियंस ड्रोन्स को सिर्फ अपने NATO सहयोगियों को ही बेचता आया है। भारत पहला गैर-नाटो देश है जिसके साथ अमेरिका ने इस तरह का रक्षा करार किया है।

4.4 अबतक 30 से भी कम देशों के साथ अमेरिका का कोमकासा जैसा समझौता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस समझौते के बाद भारत एक तरह से NATO का सदस्य बन गया है।

4.5 कोमकासा समझौते के बाद बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन का रास्ता साफ होगा।

4.6 इस समझौते के तहत हॉट लाइन से दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री जुड़ेंगे एवं संवेदनशील खुफिया सूचना साझा करने का रास्ता साफ होगा।

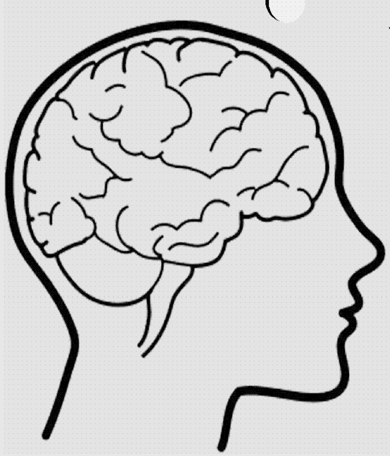

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

चर्चा का कारण

1.1 सरकार की किसान अनुकूल पहलों को अधिक बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी कटिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) को मंजूरी दे दी है।

1.2 इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है।

प्रमुख घटक

2.1 नई समग्र योजना में किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं-

- मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme-PSS)
- मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme-PDPS)
- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (Private Procurement & Stockist Scheme-PPSS)

सरकार की किसान अनुकूल पहल

3.1 सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत उत्पादकता बढ़ाने, कृषि लागत घटाने और बाजार ढांचे सहित फसल कटाई उपरांत प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

3.2 अनेक बाजार सुधारों को लागू किया गया है। इनमें मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम, 2018 भी शामिल हैं।

3.3 एक नया बाजार ढांचा स्थापित करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज के उचित या लाभकारी मूल्य दिलाये जा सकें।

3.4 इनमें ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) की स्थापना करना भी शामिल है, ताकि खेतों के काफी निकट ही 22,000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित किया जा सके।

3.5 इसी तरह ई-नाम के जरिए एपीएमसी पर प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी थोक व्यापार सुनिश्चित करना और एक सुव्यवस्थित एवं किसान अनुकूल निर्यात नीति तैयार करना भी इन प्रयासों में शामिल हैं।

3.6 इसके अलावा, कई अन्य किसान अनुकूल पहल की गई हैं जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं परंपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन करना और मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण करना भी शामिल है।

3.7 खेती की लागत के डेढ़ गुने के फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का असाधारण निर्णय भी किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करता है।

एमएसपी योजना

4.1 इसके तहत उन सभी तिलहनी फसलों को कवर करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिये MSP को अधिसूचित कर दिया जाता है।

4.2 इसके तहत MSP और बिक्री/औसत मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान पहले से ही पंजीकृत उन किसानों को किया जाएगा जो एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिये अधिसूचित बाजार में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।

4.3 इस योजना के तहत फसलों की कोई भौतिक खरीदारी नहीं की जाती है क्योंकि अधिसूचित बाजार में बिक्री करने पर MSP और बिक्री/औसत मूल्य में अंतर का भुगतान किसानों को कर दिया जाता है।

निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना

5.1 तिलहन के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे चुनिंदा जिला/जिले की APMC (Agriculture Produce Market Committee) में प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) शुरू कर सकते हैं जिसमें निजी स्टॉकिस्टों की भागीदारी होगी।

5.2 यह व्यवस्था तब अमल में लाई जाएगी जब निजी चयनित एजेंसी को बाजार में उतरने के लिये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा और अधिसूचित MSP के 15 प्रतिशत तक अधिकतम सेवा शुल्क देय होगा।

व्यय

6.1 कैबिनेट ने 16,550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है जिससे यह गारंटी बढ़कर 45,550 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गई है।

6.2 इसके अलावा, खरीद परिचालन के लिये बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और पीएम-आशा के क्रियान्वयन के लिये 15,053 करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं।

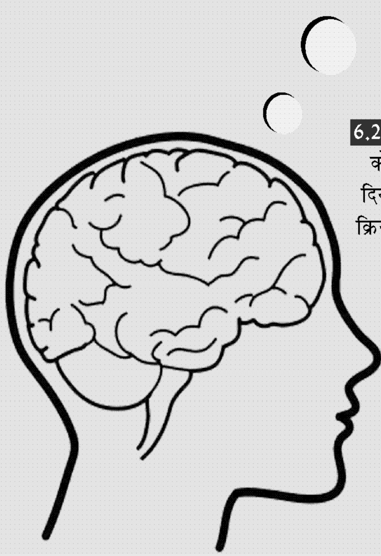

कैसिनी अंतरिक्षयान

चर्चा का कारण

1.1 नासा के कैसिनी अन्तरिक्षयान द्वारा भेजे गए डाटा से वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि शनि के उत्तरी ध्रुव पर एक गर्म और बहुत ऊँची जेट धारा उठ रही है जिसका आकार छह कोणों (षट्कोण) वाला है।

कैसिनी मिशन क्या है?

2.1 कैसिनी मिशन अंतरिक्षयान शनि ग्रह की ओर 15 अक्टूबर, 1997 के छोड़ा गया था। इसके प्रक्षेपण में नासा, यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी और इटली स्पेस एजेंसी का सहयोग था।

2.2 अब तक यह अन्तरिक्षयान शनि ग्रह (ringed planet) और उसकी चंद्रमाओं से संबंधित हजारों चित्र व नए तथ्य भेज चुका है।

2.3 कैसिनी अन्तरिक्ष यान शनि ग्रह पर पहुँचने वाला चौथा और उसकी कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अन्तरिक्षयान है। इसमें Huygens नामक एक लैंडर संलग्न है जो 2005 में शनि के चंद्रमा टाइटन पर उतरा था।

मिशन के उद्देश्य

3.1 शनि के छल्ले की त्रि-आयामी संरचना और गतिशील व्यवहार एवं उपग्रह की सतहों और प्रत्येक वस्तु के भूवैज्ञानिक इतिहास की संरचना का पता लगाना।

3.2 आईपेटस (Iapetus) के अग्रणी गोलार्ध पर काले पदार्थ (dark material) की प्रकृति और उत्पत्ति का पता लगाना।

3.3 चुंबक मंडल के त्रि-आयामी संरचना और गतिशील व्यवहार को मापना तथा बादलों के स्तर पर शनि के वायुमंडल के गतिशील व्यवहार का अध्ययन करना।

3.4 टाइटन के बादलों और धुंध में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना तथा क्षेत्रीय पैमाने पर टाइटन की सतह का पता लगाना।

मुख्य तथ्य

4.1 शनि में उठने वाली जेट धारा इस ग्रह के बादलों के अन्दर दिखने वाले प्रसिद्ध षट्कोण से मिलती-जुलती है।

4.2 इसका अर्थ यह है कि बादलों में स्थित षट्कोण ऊपर उठने वाली जेटधारा के आकार को प्रभावित करता है।

4.3 ऐसा प्रतीत होता है कि जेटधारा सैंकड़ों मील ऊँची है, इसमें वैज्ञानिकों द्वारा देखी गई जेटधारा ग्रह के समताप मंडल (stratosphere) से सैंकड़ों मील ऊपर है।

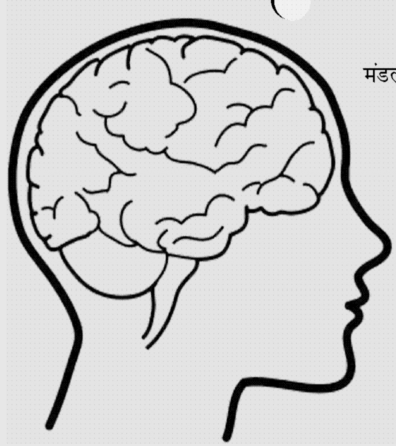

अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम

चर्चा का कारण

1.1 केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 9 वर्षों के अंतराल के बाद यह निर्णय लिया है कि भारत PISA में भागीदारी करेगा।

1.2 PISA का full form है- Programme for International Student Assessment अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम।

1.3 इसके लिए भारत पेरिस में अपने अधिकारी भेजेगा जो वहाँ PISA 2021 में भागीदारी के लिए भारत के शर्तों के विषय में बात करेगी।

पृष्ठभूमि

2.1 भारत ने PISA 2009 में भाग लिया था परन्तु इसमें भागीदारी करने वाले 74 देशों में इसका स्थान 72वाँ आया था।

2.2 तत्कालीन भारत सरकार का विचार था कि इसमें संदर्भ से हटकर प्रश्न पूछे गये थे जिसके कारण भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इसलिए सरकार ने PISA का बहिष्कार कर दिया था।

PISA क्या है?

3.1 PISA छात्रों का एक मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसमें 15 वर्ष के बच्चों की पढ़ने, गणित हल करने और विज्ञान की जानकारी से संबंधित परीक्षा हर तीसरे वर्ष ली जाती है।

3.2 सबसे पहली बार PISA 2000 ई. में आयोजित हुई थी।

3.3 मूल्यांकन परीक्षा में अलग-अलग चक्रों में कभी पढ़ने की क्षमता, कभी गणित हल करने की क्षमता तो कभी विज्ञान की समझ की क्षमता पर मुख्य बल दिया जाता है। PISA में मिल जुलकर समस्या के हल की क्षमता को भी शामिल किया जाता है।

3.4 PISA की रूपरेखा ऐसी बनाई गई है कि उन छात्रों की क्षमता की जाँच हो सके जो स्कूल की पढ़ाई लगभग पूरी करने के कगार पर हैं।

3.5 पीसा का समन्वयन औद्योगिकृत देशों के एक अंतर-सरकारी संगठन – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) – द्वारा किया जाता है और इसका संचालन अमेरिका में NCES द्वारा किया जाता है।

3.6 2012 के PISA परीक्षा में चीन के शंघाई नगर के स्कूल शीर्ष पर रहे और उसके ठीक पीछे सिंगापुर का स्थान था।

3.7 2015 की परीक्षा में शीर्ष पर सिंगापुर, जापान और एस्टोनिया के शहर रहे।

विशेष

4.1 पीसा 2021 का आयोजन संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के स्कूलों में होने की संभावना है।

4.2 चंडीगढ़ के स्कूलों के अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित और संचालित सभी केन्द्रीय विद्यालय (केवी) और नवोदय विद्यालय (एनवी) इस परीक्षा का आयोजन करेंगे।

4.3 चंडीगढ़ को अपने कॉम्पैक्ट क्षेत्र के लिए चुना गया था। यहाँ पर छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है (सरकार उन भाषाओं की संख्या रखना चाहती है जिनमें परीक्षण न्यूनतम रूप से प्रशासित किया जाना चाहिए)। चंडीगढ़ में सीखने के आकलन में अच्छा प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड है।

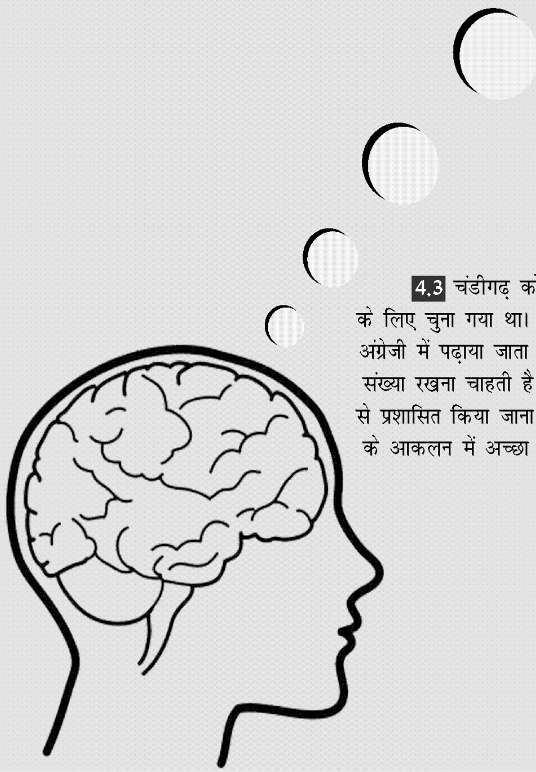

मुकदमा चलाने पर विधि आयोग की रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में विधि आयोग ने "अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने (न्याय की हत्या) कानूनी उपाय" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी दी है।

1.2 उल्लेखनीय है कि मई 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बबलू चौहान बनाम दिल्ली सरकार, 247 (2018) डीएलटी 31 के मामले में निर्णय देते हुए निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ अनुचित मुकदमा चलाने पर चिंता व्यक्त की थी।

प्रमुख बिंदु

2.1 इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुचित तरीके से मुकदमे के शिकार लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिये एक कानूनी रूपरेखा तैयार करने की तत्काल आवश्यकता बताई थी तथा विधि आयोग से कहा था कि वह इस मुद्दे की विस्तृत जाँच कर सरकार को अपनी सिफारिशें दें।

2.2 अंतर्राष्ट्रीय स्पर पर अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने, निर्दोष व्यक्तियों को दोषी ठहराने और जेल में बंद करने जैसे मुद्दे को 'न्याय की हत्या) के रूप में चिह्नित किया गया है।

2.3 ध्यातव्य है कि ऐसा किसी व्यक्ति को अनुचित तरीके से दोषी ठहराने पर होता है लेकिन बाद में नए तथ्यों के उजागर होने से व्यक्ति को निर्दोष पाया जाता है।

2.4 नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (The International Convenant on Civil and Political Rights - ICCPR) भी 'न्याय की हत्या' के शिकार लोगों को मुआवजा देने के लिये सदस्य राष्ट्रों के दायित्वों की बात करता है। उल्लेखनीय है कि भारत ने भी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम की पुष्टि की है।

2.5 यह रिपोर्ट भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में इस मुद्दे को देखती है और सिफारिश करती है कि 'न्याय की हत्या' के मानकों में अनुचित तरीके से मुकदमा चलाना, गलत तरीके से कैद करना और गलत तरीके से दोष साबित करना आदि शामिल होंगे।

2.6 जबकि अनुचित मुकदमों में वे मामले शामिल होंगे जिसमें निर्दोष व्यक्ति हो तथा पुलिस/अभियोजन पक्ष ने जाँच में किसी प्रकार की अनियमितता बरती हो तथा व्यक्ति को अभियोजन के दायरे में लाया गया हो।

2.7 इसमें उन दोनों मामलों को शामिल किया जाएगा जिसमें व्यक्ति द्वारा जेल में समय बिताया गया हो या नहीं बिताया गया हो और जिन मामलों में अभियुक्त को निचली अदालत द्वारा दोषी नहीं पाया गया था या जहाँ आरोपी को एक या एक से अधिक अदालतों द्वारा दोषी पाया गया था लेकिन अंततः उच्च न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया गया था।

2.8 आयोग ने अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने के मामलों के निपटारे के लिए विशेष कानूनी प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश की है, ताकि अनुचित तरीके से चलाए गए मुकदमें में शिकार लोगों को मौद्रिक और गैर-मौद्रिक मुआवजे (जैसे- परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, व्यावसायिक/रोजगार, कौशल विकास आदि) के मामले में वैज्ञानिक दायरे के भीतर राहत प्रदान की जा सके।

प्रमुख सिद्धांत

3.1 अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने की परिभाषा यानी जिन मामलों में मुआवजे का दावा किया गया है, मुआवजे के इन दावों के फैसले के लिये विशेष अदालतें बनाने, कार्यवाही की प्रकृति- दावों के फैसले के लिये सामयिकता आदि, मुआवजा निर्धारित करते समय वित्तीय और अन्य कारक, कुछ मामलों में अंतरिम मुआवजे का प्रावधान, गलत तरीके से मुकदमा चलाने/दोषी ठहराने आदि को देखते हुए अयोग्यता हटाने जैसी बातों को एक-एक करके बताया गया है।

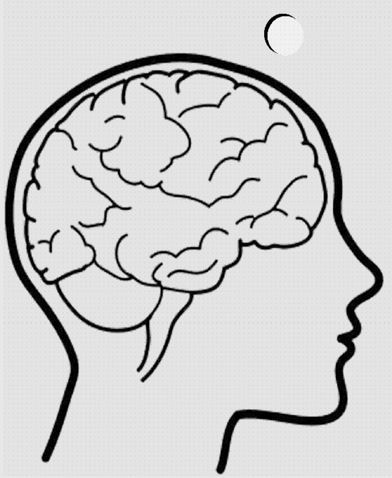

नियत डोज के सम्मिश्रण वाली दवायें

चर्चा का कारण

1.1 सरकार ने 328 नियत डोज के सम्मिश्रण वाली (fixed dose combination – FDC) दवाओं के मानव के उपयोग के लिए निर्माण, विक्रय अथवा वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

1.2 जिन दवाओं पर प्रतिबन्ध लगा है उनमें दर्दनिवारक, मधुमेह, श्वसन एवं पेट की बीमारियों से सम्बंधित दवाएँ शामिल हैं। प्रतिबंधित ब्रांडों की संख्या 6,000 है।

प्रतिबंध का आधार

2.1 विशेषज्ञ पैनल ने नियत डोज के सम्मिश्रण वाली दवाओं का परीक्षण किया था और उन्हें अतार्कित बताया था क्योंकि वे सुरक्षित नहीं थी और उनके उपचार के दावे उचित नहीं थे।

2.2 पैनल ने यह पाया कि इन दवाओं को डोज के विषय में बिना उचित ध्यान दिए तैयार किया गया था और इनमें डोज एक समान नहीं थे जिसके चलते विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है।

FDC क्या है?

3.1 नियत डोज के सम्मिश्रण (FDC) वाली दवाएँ दो या अधिक सक्रिय औषधीय तत्त्वों को एक नियत अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती हैं।

3.2 अमेरिका की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली संस्था IMS Health के अनुसार 2014 में भारत में जितनी दवाएँ बिक रही थीं, उनमें आधी FDC ही थी। इस प्रकार भारत में ऐसी दवाओं का प्रचालन विश्व भर में सबसे ज्यादा है।

FDC भारत में लोकप्रिय क्यों?

4.1 भारत में FDC की लोकप्रियता के मुख्य कारण हैं- बढ़ी हुई प्रभावशीलता, घटे हुए दाम और वितरण में सुविधा।

4.2 FDC दवाएँ उन रोगों के उपचार में कारगर हैं जो संक्रामक होते हैं, जैसे- HIV, मलेरिया, तपेदिक आदि। ये पुरानी बीमारियों में भी काम आती हैं, विशेषकर उन बीमारियों में जिनमें एक से अधिक विकृतियाँ साथ-साथ होती हैं।

FDC के खतरे

5.1 जब एक ही उपचार से जुड़ी अनेक दवाएँ, जैसे- एंटी-बायटिक सम्मिश्रित कर दी जाती हैं तो इसके कारण प्रतिरोध (resistance) उत्पन्न हो सकता है।

5.2 पिछले दिनों सार्वजनिक विज्ञान पुस्तकालय की पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत के बाजार में उपलब्ध 70% NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug) सम्मिश्रण, जिनका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में होता है, बिना भारत सरकार की अनुमति के बेची जा रही हैं।

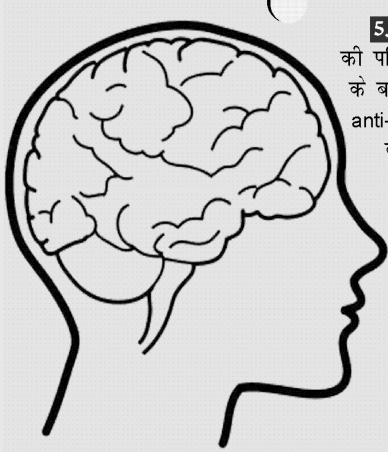

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. ई-विद्या भारती तथा ई-आरोग्य भारती

प्र. ई-विद्या तथा ई-आरोग्य भारतीय नेटवर्क परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इस परियोजना के दूसरे पंचवर्षीय चरण में अफ्रीकी देशों के 10,000 छात्रों को प्रतिवर्ष विभिन्न शैक्षणिक विषयों के टेली-शिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
2. इस परियोजना के माध्यम से भारत के डॉक्टर अफ्रीका के ऐसे डॉक्टरों को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श देंगे जो इस प्रकार का परामर्श चाहते हैं।
3. भारत सरकार इस परियोजना के लिये, जब तक इसकी अवधि समाप्त न हो, के सम्पूर्ण कोष के लिये धन मुहैया करायेगी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3

(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः ई-विद्या तथा ई-आरोग्य के दूसरे पंचवर्षीय चरण में अफ्रीकी देशों के 4,000 छात्रों को प्रतिवर्ष विभिन्न शैक्षणिक विषयों के टेलीशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे। इस तरह कथन 1 गलत है। इस परियोजना को लागू करने के लिये विदेश मंत्रालय और दूरसंचार परामर्शी भारत लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। ■

2. कोमकासा

प्र. कोमकासा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच दूसरा 2+2 संवाद हुआ जिसमें कि कोमकासा नामक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
2. कोमकासा अमेरिका के सैन्य मंचों, जैसे- C-17, C-130 और P-81 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए संचार व्यवस्था हेतु विशेष उपकरण भारत को मुहैया करने की मंजूरी देता है।
3. कोमकासा के माध्य से भारत अमेरिका के समुद्र रक्षक सशस्त्र ड्रोन प्राप्त कर सकेगा।
4. अमेरिका अब तक सी गार्डियंस ड्रोन्स को सिर्फ अपने नाटो (NATO) सहयोगियों को ही बेचता आया है एवं भारत पहला गैर-नाटो देश है, जिसके साथ अमेरिका ने इस तरह का करार किया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 4

(b) केवल 1, 3 व 4

(c) केवल 2, 3 व 4

(d) केवल 1 व 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच पहला 2+2 संवाद हुआ जिसमें कि कोमकासा नामक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इस तरह कथन 1 गलत है। इसके अलावा कोमकासा के संदर्भ में दिये गये सभी कथन सत्य हैं इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

प्र. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें-

(a) इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिये उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है।

(b) इस अभियान में ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) की स्थापना करना भी शामिल हैं, ताकि खेतों के निकट ही 30,000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित किया जा सके।

(c) इसके लिये कैबिनेट ने 16,550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है जिससे यह गारंटी बढ़कर 45,550 करोड़ रुपये पहुँच गई।

(d) इस योजना के मुख्य घटक के रूप में मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना एवं निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना को शामिल किया गया है।

उत्तरः (b)

व्याख्याः प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) की स्थापना करना भी शामिल है, ताकि खेतों के निकट ही 22,000 खुदरा बाजरों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस तरह कथन (b) गलत है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिये उचित मूल्य दिलाना है। इस योजना के मुख्य घटक के रूप में मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना एवं निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना को शामिल किया गया है। ■

4. कैसिनी अंतरिक्षयान

प्र. कैसिनी अंतरिक्षयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. कैसिनी अंतरिक्षयान शनि ग्रह पर पहुँचने वाला चौथा और उसकी कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्षयान है।
2. इस यान का उद्देश्य शनि के छल्ले की त्रि-आयामी संरचना और गतिशील व्यवहार का पता लगाना है।
3. शनि में उठने वाली जेट धारा इस ग्रह के बादलों के अंदर दिखने वाले प्रसिद्ध षट्कोण से मिलती-जुलती है।
4. कैसिनी के माध्यम से वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि शनि के उत्तरी ध्रुव पर एक गर्म और ऊँची जेट धारा उठ रही है जिसका आकार छह कोणों वाला है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 3 (b) केवल 1, 3 व 4
(c) केवल 2 व 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (b)

व्याख्या: कैसिनी मिशन अंतरिक्षयान शनि ग्रह की ओर 15 अक्टूबर 1997 को छोड़ गया था। इसके प्रक्षेपण में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इटली स्पेस एजेंसी का सहयोग था। इस यान का उद्देश्य शनि ग्रह के छल्ले की त्रि-आयामी संरचना और गतिशील व्यवहार का पता लगाना है। कैसिनी के माध्यम से वैज्ञानिक शनि ग्रह के वातावरण का पता लगा रहे हैं। ■

5. अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम

प्र. अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA) छात्रों का एक मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसमें 15 वर्ष के बच्चों की पढ़ने, गणित हल करने और विज्ञान की जानकारी संबंधित परीक्षा हर तीसरे वर्ष ली जाती है।
2. पीसा (PISA) का समन्वयन औद्योगिकृत देशों के एक अंतर-सरकारी संगठन Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) द्वारा किया जाता है।
3. पीसा का संचालन इंग्लैण्ड में NCES द्वारा किया जाता है।
4. पीसा 2021 परीक्षण संघशासित प्रदेश दिल्ली के स्कूलों में प्रशासित होने की योजना है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1 व 4
(c) केवल 2 व 3 (d) केवल 2 व 4

उत्तर: (a)

व्याख्या: पीसा (PISA) का संचालन अमेरिका में NCES (National Council licensure Exam) द्वारा किया जाता है। इस तरह कथन 3 गलत है। पीसा 2021 परीक्षण संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के स्कूलों में प्रशासित होनी की संभावना है। ■

6. मुकदमा चलाने पर विधि आयोग की रिपोर्ट

प्र. दिए गये निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने, निर्दोष व्यक्तियों को दोषी ठहराने और जेल में बंद करने जैसे मुद्दे को 'न्याय की हत्या' के रूप में चिह्नित किया गया है।
2. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (ICCPR) भी 'न्याय की हत्या' के शिकार लोगों को मुआवजा देने के लिये सदस्य राष्ट्रों के दायित्वों की बात करता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से गलत है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में विधि आयोग ने अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने (न्याय की हत्या): "कानूनी उपाय" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट सरकार को सौप दी है। उल्लेखनीय है कि मई 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बबलू चौहान बनाम दिल्ली सरकार, (2018) के मामले में निर्णय देते हुए निर्दोष व्यक्ति के अनुचित मुकदमा चलाने पर चिंता व्यक्त की थी। इस संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

7. नियत डोज के सम्मिश्रण वाली दवायें

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें-

1. नियत डोज के सम्मिश्रण (FDC) वाली दवाएँ दो या अधिक सक्रिय औषधीय तत्वों को एक नियत अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है।
2. एफडीसी दवाएँ उन रोगों के उपचार में कारगर हैं जो संक्रामक होते हैं जैसे- एचआईवी, मलेरिया, तपेदिक आदि।
3. पिछले दिनों एक अध्ययन के अनुसार भारत में बाजार में उपलब्ध 40 प्रतिशत NSAID (Non-steroidal anti-Inflamnatory drug) सम्मिश्रण, जिनका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में होता है, बिना भारत सरकार की अनुमति के बेची जा रही है।

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1 व 3
(c) केवल 3 (d) केवल 2 व 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: पिछले दिनों किये गये एक अध्ययन के अनुसार भारत में बाजार में उपलब्ध 70% NSAID (Non-steroidal anti-Inflamnatory drug) सम्मिश्रण, जिनका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में होत है, बिना भारत सरकार की अनुमति के बेची जा रही है। इस तरह कथन 3 गलत है इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. सितम्बर, 2018 में किस राज्य ने ई–सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है?

- तमिलनाडु

2. 11 सितम्बर, 2018 को केंद्र ने किस घातक ऑनलाइन गेम के खिलाफ सलाह जारी की?

- मोमो चैलेन्ज

3. 11 सितम्बर, 2018 को किस भारतीय राज्य ने नेपाल के लिये अपनी बस सेवा शुरू की?

- बिहार

4. संयुक्त राष्ट्र संघ ने टीवी की समाप्ति के लिए किस वर्ष को लक्ष्य वर्ष घोषित किया है?

- वर्ष 2030

5. सितम्बर, 2018 में होने वाले भारत–यूएस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है?

- युद्ध अभ्यास

6. हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया?

- न्यायाधीश रंजन गोगोई

7. प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हिन्दी दिवस मनाया जाता है?

- 14 सितम्बर

सात महत्वपूर्ण विलुप्तप्राय प्रजातियाँ

1. द ग्रेटर मास्करेन फ्लाइंग फॉक्स (पतरोपस नाइजर)

- यह मॉरीशस में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थानीय स्तनधारी जीव है।
- यह द्वीपों के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कि द्वीपीय वनस्पतियों के परागणक और बीज वृद्धि दोनों रूपों में है।
- उल्लेखनीय है कि पिछले आकलन में पतरोपस नाइजर की स्थिति में तेज गिरावट देखी गई है। 2018 में यह विलुप्तप्राय प्रजाति के रूप में चिह्नित की गई है।
- 2015 और 2016 के बीच पतरोपस नाइजर की जनसंख्या में लगभग 50% की गिरावट देखी गई जो एक सोचनीय विषय है।
- इस प्रजाति के विलुप्त होने के महत्वपूर्ण कारण शिकार, कम कानूनी सुरक्षा का अभाव वनों की कटाई आदि है।

2. रानी अलेक्जेन्ड्रा बर्डविंग (ऑर्निथोपटेरा एलेक्जेंड्रा)

- न्यू गिनी द्वीप के समीप स्थित जगहों पर पाये जाने वाली रानी अलेक्जेन्ड्रा बर्डविंग, दुनिया की सबसे बड़ी तितली है। इसके पंखों की लंबाई 250 मिमी होती है।
- 2018 में इसका पुन: मूल्यांकन किया गया जिसमें कि इसे विलुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है।
- ऑर्निथोपटेरा एलेक्जेंड्रा छोटे-छोटे झाड़ियों तथा वन और निचले पहाड़ी वर्षावन तक सीमित है।
- इनके विलुप्त होने का मुख्य कारण- ऑयल बाम, कोको और रबर जैसे इमारती पेड़ों का नष्ट होना है।

3. जीओमित्रा ग्रैम्भी

- जीओमित्र ग्रैम्भी घोंघा की एक प्रजाति है जो मदीरा द्वीप समूह के डेजर्टा ग्रांडे द्वीप में पाई जाती है।
- कई वर्षों के खोज के परिणामस्वरूप भी इस जीव के नहीं मिलने के कारण अब इसे विलुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया गया है।
- हालांकि वर्ष 2008 और फिर वर्ष 2013 में इसके बारे में डेजर्टा द्वीप के पूर्वी तट पर जानकारी प्राप्त हुई थी लेकिन उसके बाद से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।
- इसके समाप्ति का सबसे बड़ा कारण भूस्खलन को माना गया है।
- इस क्षेत्र में जंगली चूहों की बढ़ती संख्या भी इनके समाप्ति का एक कारण है।

4. एक्वॉलेरिया मैलकेन्सिस

- 'एक्वॉलेरिया मैलकेन्सिस' सुगंधित पेड़ों की एक प्रजाति है जिसे वर्ष 2018 में विलुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है।
- इस सदाबहार पेड़ की संख्या में पिछले 150 वर्षों में 80% की कमी हुई है।
- इस पेड़ से सुगंधित इत्र, धार्मिक वस्तुओं जैसे- धूप तथा फर्नीचर आदि का निर्माण किया जाता है।
- इसकी में बढ़ती मांग तथा बहुपयोगी होने के कारण यह प्रजाति विलुप्ति की दशा में पहुँच गई।
- मैलकेन्सिस के उच्च मांग से भारत तथा इण्डोनेशिया से यह पेड़ प्रजाति विलुप्त हो गया है।

5. मेडागास्कर केला (एन्सेटे पेरीरी)

- पश्चिमी मेडागास्कर में पाया जाने वाला यह केला व्यावसायिक रूप से अति महत्वपूर्ण है।
- वर्तमान में यह मेडागास्कर के केवल पांच क्षेत्रों में पाया जाता है जो इसकी महत्ता को दर्शाता है।
- अत्यंत छोटे आबादी के आकार में होने के कारण 2018 में आईयूसीएन ने इसे रेड लिस्ट में रखा है जो इसके अति जोखिम को दर्शाता है।
- उल्लेखनीय है कि इस प्रजाति के लिए इन सीटू संरक्षण को काई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

- मेडागास्कर की सरकार अब इसके संरक्षण की बात कर रही है जिसमें कि पर्यावरणविदो का बहुत बड़ा योगदान है।

6. ग्रासलैण्ड ईरलेस ड्रैगन (टाइम्पैनोक्रीप्टिस पिंगुइकोला)

- ग्रासलैण्ड ईरलेस ड्रैगन अपना आवास आस्ट्रेलिया के समशीतोष्ण घास के मैदान में बनाता है।
- वर्ष 2009 से इसकी जनसंख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है।
- ड्रैगन वर्तमान में अपने मूल निवास स्थान समशीतोष्ण घास के मैदानों में केवल 1% की जनसंख्या में रह गये हैं।
- इस प्रजाति के विलुप्त होने का मुख्य कारण शहरी औद्योगिक विकास, कृषि विकास, चराई और बढ़ती आग की घटनाओं को माना जा रहा है।
- इनकी तेज गति से घटती जनसंख्या के कारण वर्ष 2018 में इन्हें विलुप्तप्राय प्रजाति के रूप में चिह्नित किया गया है।

7. लेसर इंटीलियन इगुना (इगुना डेलिकाटिसिमा)

- लेसर एंटीलियन इगुना जो डोमिनिका (कैरेबियन देश) के तटीय इलाकों में पाया जाता है, की घटती संख्या के कारण आईयूसीएन ने 2018 में इसे संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में चिह्नित किया है।
- आवास के संकट (कृषि व तटीय बुनियादी ढाँचे के विकास) के कारण इस प्रजाति की संख्या लगातार घट रही है।
- वर्तमान में इसके लिए सबसे बड़ा खतरा ग्रीन इगुना (इगुना इगुआना) है। इस आक्रामक प्रजाति से स्पर्धा के कारण पिछले तीन पीढ़ियों में लेसर एंटीलियन इगुना की जनसंख्या में 75% से अधिक की गिरावट आई है।
- इसकी विलुप्ति के कारणों में मानव शिकार के अलावा, इगुना इगुआना की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि को माना जा रहा है।
- एक अध्ययन के मुताबिक शिकार की वजह से इगुना की संख्या में 10 गुना से अधिक की कमी आई है।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. कौशल विकास से आप क्या समझते हैं? भारत में कौशल विकास की सार्थकता को बताते हुए इसके समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों पर प्रकाश डालें।

2. मानव जनित कृत्रिम वर्षा से आप क्या समझते हैं? क्या इस विधि का सूखा ग्रस्त इलाकों में प्रयोग किया जा सकता है? विवेचना करें।

3. जिस प्रकार वाक् एवं अभिव्यक्ति के अधिकार में 'अभिव्यक्ति न करने' का भी अधिकार शामिल है, क्या उसी प्रकार जीवन जीने के अधिकार में 'मरने का अधिकार' भी शामिल है? आलोचनात्मक परीक्षण करें।

4. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि "अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उन्नति के लिए किया गया 'आरक्षण का प्रावधान' वर्तमान में राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का साधन बन गया है?" अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

5. भारत की मुद्रा डॉलर के मुकाबले दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समीक्षा करें।

6. देश में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की तकनीकों की चर्चा करें।

7. जनता के प्रति सरकार की जबावदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना करें।

CALL US

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR

635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009, Ph: 011-47354625 / 26, (+91)-9205274741 / 42

RAJENDRA NAGAR

25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Delhi-110060, Ph: (+91)- 9205274745 / 43

LAXMI NAGAR

1/53, 2nd floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092 Ph: 011-43012556, (+91)- 9311969232

ALLAHABAD

2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad, U.P.- 211001, Ph: 0532 2260189, +91 8853467068

LUCKNOW

A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, U.P.-226024, Ph: 0522 4025825, +91 9506256789

GREATER NOIDA

Plot No. 28/1A Knowledge Park III, Greater Noida, U.P.-201306, Ph: +91 9205336037 / 38

BHUBANESWAR, ODISHA

Oeu Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha-751024, Ph: +91 9818244644, 7656949029

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR – PATNA 9334100961, **CHANDIGARH**- 8146199399 **DELHI & NCR**- FARIDABAD 9711394350, 01294054621, **HARYANA**- KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR 9098219190, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA 9926207755, 7662408099 **PUNJAB**- PATIALA 9041030070, **RAJASTHAN**- JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND**- HALDWANI 7060172525 **UTTAR PRADESH**- BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570009003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM
011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS की स्थापना श्री विनय सिंह और श्री क्यू.एच. खान द्वारा एक दशक पूर्व की गयी थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस संस्थान की सफलता की कहानी अद्वितीय रही है। आज यह संस्थान सिविल सेवा की कोचिंग प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्थान रखता है। संस्थान योग्य उम्मीदवारों द्वारा उनके सपनों को साकार कराने में काफी सफल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी पिछले वर्षों की सफल कहानियाँ हैं।

बड़ी संख्या में ऐसे छात्र, जो इस कठिन परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधनों की कमी है जबकि कई अन्य छात्र जिनके पास एक मेधावी अकादमिक पृष्ठभूमि तो है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में एक बड़ा अंतर है और यह परीक्षा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से सुनियोजित मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। यहाँ सही दिशा में रखा गया एक कदम किसी को भी निरपवाद रूप से कईयों से आगे कर सकता है। ध्येय IAS अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शकों की टीम तथा विशेष रूप से तैयार की हुई पाठ्य सामग्री से सुसज्जित है, जो छात्रों को उनके ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है।

सिविल सेवा परीक्षा निर्दिष्ट विषयों के आधारभूत ज्ञान की मांग करती है। यद्यपि ये विषय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण इस परीक्षा की दिशा में नहीं होता है। ध्येय IAS की कक्षाएँ दृष्टिकोण के मामले में स्कूल और कॉलेजों की कक्षाओं से भिन्न होती हैं। ये कक्षाएँ इस विशेष परीक्षा पर केंद्रित होती हैं। ध्येय IAS में प्रदान की जाने वाली मार्गदर्शक कक्षाएँ छात्र के केंद्रित रहने, सीखने और अन्वेषण की क्षमता की अभिवृद्धि करती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते बल्कि अपने अंदर उसे खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं।

DSDL Prepare yourself from distance

जिस प्रकार **ध्येय IAS** अपनी क्लासरूम परिचर्चा कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं सही रणनीति के साथ मार्गदर्शन के लिए प्रतिभागियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनायी है, उसी प्रकार एक नए उद्देश्य के साथ ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है जो विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए संरचित है जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण क्लासरूम कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को यदि समय-समय पर सही मार्गदर्शन के साथ दिशा-निर्देश दिया जाए, तो वे अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पर आधारित यह कार्यक्रम केवल संस्था के नाम पर नोट्स उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतिभागियों एवं शिक्षक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की एक कड़ी भी है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सारगर्भित, वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इस अध्ययन सामग्री निर्माण का लक्ष्य है कि हमसे कोई भी तथ्य छूटे नहीं बल्कि सही दिशा में सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण हो। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समान रूप से उपयोगी है। **हमारा विश्वास है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री निर्माण करना जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके।**

Dhyeya IAS Now on WhatsApp

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending

"Hi Dhyeya IAS" Message on 9355174440.

You can also join Whatsapp Group through our website

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400